खण्ड-198, अंक-7
गुरूवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(18 सितम्बर, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 198 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२६१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री

जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमात्मानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ सितम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अधिक मात्रा में स्टाक किये गये गल्ले को जब्त करने का आदेश

**१--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि जिन लोगों के पास बिना किसी आज्ञा के गल्ले का स्टाक अधिक मात्रा में रक्खा है उसे सरकार अपने अधिकार में कर ले ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी हां ।

**२--श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस आज्ञा के मातहत अब तक कितने लोगों के यहां तलाशी ली गई और कितना गल्ला इस प्रकार सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---लगभग १० या १२ स्थानों की तलाशी की गई परन्तु किसी भी स्थान से काफी मिकदार में गल्ला मिल न सका ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि काफी मिकदार में गल्ला नहीं निकला तो कितना गल्ला निकला ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---मेरे खयाल में इस प्रकार से इसका सदन में उत्तर देना कुछ जनहित के हक में नहीं होगा । गल्ला थोड़ा बहुत निकला जरूर है, लेकिन काफी मिकदार में नहीं निकला है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---तलाशी प्रदेश के किन-किन जिलों में की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मेरा खयाल है अलीगढ़ में की गयी, मुरादाबाद में की गयी और मुमकिन है कुछ और जगहों पर भी हुई हो ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदेश जिलाधीशों को किस तारीख को भेजा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१० सितम्बर, १९५८ को ।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों का स्टाक जो पंजाब में था उसे पंजाब सरकार ने जब्त कर लिया ? यदि हां, तो चूंकि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का वह स्टाक था, उसे पंजाब सरकार से वापस लेने का सरकार विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने भी अखबारों में खबर पढ़ी है, लेकिन यह बात तो खुली हुई है कि उनके प्रदेश में भी इस किस्म का आदेश है कि गल्ला प्रदेश को बाहर नहीं जा सकता है तो इस वजह से उन्होंने जब्त कर लिया हो, तो उस पर कोई एतराज नहीं किया जा सकता है और न हम उनसे उस गल्ले की मांग कर सकते हैं कि वे हमको दे दें ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कि उन्होंने सदन में और सदन के बाहर स्टाक्स पर कब्जा करने के बारे में कई दफा सूचना दी थी तो १० सितम्बर को आदेश भेजने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह आदेश जो १० सितम्बर को गया है वह यह गया है कि जिलाधीश को यह अख्तियार है कि वह गल्ले को जब्त कर सकता है लेकिन यह अधिकार जो हमारे रीजनल फूड कमिश्नर थे उनको बहुत पहले से मिला हुआ था ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---किन-किन चीजों की तलाशी लेने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिया गया और कितने मन गल्ला निकला है तथा तलाशी में कितने मन गल्ला निकलने पर वह व्यापारी सरकार की निगाह में जखीरेबाज माना जा सकता है ?

श्री सैयद अली जहीर---अभी तो सिर्फ गेहूं, चना और शायद मटर के लिये आदेश जारी हुआ है और जहां तक मिकदार का ताल्लुक है इसके लिये कोई हद मुअय्यन नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसी सूरतेहाल होती है उसे देखा जाता है और यह तो खुली हुई बात है कि अगर १००, ५० मन किसी के पास गल्ला है तो वह होर्डिंग नहीं समझी जायगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार जौ के स्टाक की भी तलाशी लेने का आदेश जारी कर रही है क्योंकि मटर के मुकाबले में जौ सस्ता अनाज है जो लोगों को खाने के लिये मिल सकता है ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने आपको बतलाया कि यह अख्तियार रीजनल फूड कमिश्नर को पहले से है । इस आदेश द्वारा जिलाधीश को सिर्फ गेहूं के लिये अख्तियार दिया गया है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि आटा मिलों के पास जो बहुत-सा स्टाक भरा पड़ा हुआ है उनको भी जब्त कर लिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---आटा मिलों का किस्सा तो पहले ही खत्म हो गया । वह तो २७,००० मन गेहूं मुख्तलिफ आटा मिलों को जो सरकार से मिलना चाहिये उनको मिलता है । उनके लिये केन्द्रीय सरकार से गेहूं मिलता है, वह मिलेगा एक खास मिकदार में और उसको वह पीस कर फिर सरकार को देते हैं ।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहातों में बड़े-बड़े महाजन हैं और वह आमतौर से रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं हैं, उनके पास भी अनाज है तो वह भी जखीरेबाज समझे जायंगे और उनका भी अनाज जब्त किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो अध्यक्ष महोदय, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है । अगर कोई स्पेसिफिक केस हमारे सामने आयेगा तो उसके ऊपर हम फैसला करेंगे ।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका कोई ऐसा विचार है कि व्यापारियों के लिये कोई एक खास सीमा मुकर्रर कर दी जाय कि उससे ज्यादा अनाज वह न रखें ?

श्री सैयद अली जहीर---व्यापारियों के लिये सीलिंग का तो कोई ऐसा इरादा हमारा नहीं है। लेकिन यह है कि जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं उनको यह आदेश पहले से मिले हुए हैं कि वह लाइसेंस लें और उस लाइसेंस के मातहत अपना रिटर्न हर पन्द्रहवें दिन या हर हफ्ते सरकार के पास भेजें कि उनके पास इतना माल है ताकि सरकार को यह मालूम रहे कि किस व्यापारी के पास कितना माल है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गल्ले का व्यापारी ज्यादा से ज्यादा कितने मन का स्टाक अपने यहां रख सकता है ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो अभी जबाब दिया उन्होंने। आपने सुना नहीं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गल्ला सरकार ने जब्त किया है उसका सरकार को एवरेज प्राइस क्या पे करना पड़ा ?

श्री सैयद अली जहीर---एवरेज प्राइस का तो रूल बना हुआ है कि गुजश्ता तीन महीने में जो प्राइस एवरेज होगी वह दाम उसको दिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

---

*१-३---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---[९ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४-५---श्री गनेशीलाल चौधरी तथा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---[९ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६-८---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[९ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*९-११---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---[हटा दिये गये।]

*१२---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---[हटा दिया गया।]

*१३---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---[हटा दिया गया।]

*१४---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[९ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५-१६---श्री राजेन्द्रसिंह---[२९ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६३-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गणेशपुर, जिला बाराबंकी से प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र हटाने का विचार

*१७---श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गणेशपुर, बाराबंकी में जो प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चल रहा है उसे वहां से हटाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---(क) जी हां ।

(ख) प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों के पुनर्संगठन के फलस्वरूप ।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उक्त स्थान में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का जो उद्देश्य था वह पूर्ण हो गया ?

श्री रऊफ जाफरी---जी, उस केन्द्र में जो इस वक्त ट्रेनिंग पा रहे हैं, जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जायगी उस वक्त यह केन्द्र वहां से हटाया जायगा । इसलिए जो इस वक्त काम हो रहा है वह तो खत्म ही हो जायगा ।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल---क्या माननीय मन्त्री जी उस क्षेत्र में फैली बेकारी को ध्यान में रखते हुए उस केन्द्र को वहां स्थायी तथा और विकसित करने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं । ऐसा कोई विचार नहीं है । यह जो पुनर्संगठन हुआ है उसमें यह किया गया है कि हर जिले में एक जगह पर चार-चार चीजों की ट्रेनिंग दी जायगी और इस वजह से किया गया है कि धीरे-धीरे इंटेसिव डेवलपमेंट ब्लाक जो हैं वह नार्मला-इज होंगे तो अगर हर जगह किया जाय तो उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी और उतना धन हमारे पास है नहीं ।

*१८---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[हटा दिया गया ।]

राज्य से चमड़े के सामान का निर्यात

*१९---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों से कितने रुपये का चमड़े का सामान गत तीन वर्ष में बाहर किन-किन देशों को गया ?

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---गत तीन वर्षों में कानपुर, आगरा और मेरठ से चमड़े का सामान विदेशों को, अधिकतर पोलैण्ड, रूस और मध्य पूर्वीय देशों को भेजा गया । परन्तु इसका मूल्य ज्ञात नहीं है ।

*२०---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या इस माल के सम्बन्ध में कुछ देशों से शिकायतें आई ह ? यदि हां, तो वे क्या थीं और उन्हें रोकने का सरकार ने क्या प्रयत्न किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार इस चमड़े के सामान के बदले में दूसरे देशों से कुछ सामान मंगाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है । प्रदेशीय सरकार से इसका संबंध नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर से रूस को जूता भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्या वह वापस आये और वापस आये तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कानपुर से लेदर और लेदर गुड्स जाते हैं ।

श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)---मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि चमड़े का जो सामान विदेशों से आता है उसके परमिट कानपुर से इश्यु होते हैं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यहां से जाने की बात कही मैंने । विदेश से आने की बात नहीं ।

नोट---तारांकित प्रश्न १९-२० श्री रामदास आर्य ने पूछे ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कानपुर से जूते भेजे गये थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, भेजे गये थे ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या वे वहाँ पर ले लिये गये या वहां से वापस आये, और अगर वापस आये तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—न सब ले लिये गये, न सब वापस किये गये । कुछ थोड़े से वापस आये थे । वे पसन्द नहीं आये थे । लेकिन उसके बाद जब जूते भेजे गये तो वहां लोगों को बहुत पसन्द आये ।

*२१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[१७ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ५७ के अन्तर्गत हटा दिया गया है ।]

*२२—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[९ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—[२२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) में संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना

*२४—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि अनुशासन कार्य विधि सम्बन्धी जांच समिति (Disciplinary Proceedings Inquiry Committee) ने प्रदेशीय सरकार के सम्मुख १९५४ में अपने प्रतिवेदन द्वारा यह सुझाव रखा था कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि भारतीय संविधान की धारा ३११ (२) में उचित परिवर्तन करे ताकि सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सुगमतापूर्वक शीघ्र हो सके ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस दिशा में कौन-सी कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । राज्य सरकार ने सन् १९५४ में ही केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दे दिया था कि भारतीय संविधान की धारा ३११ (२) में इस उद्देश्य से समुचित संशोधन कर दिया जाना चाहिए । राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को इस विषय में समय-समय पर स्मरण भी दिलाती रही है कि केन्द्रीय सरकार ने सूचित किया था कि मामला उनके विचाराधीन है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संविधान की इस धारा में क्या कमी है जिससे संशोधन की आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो संविधान की धारा है उसके अनुसार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें उनके डिसमिसल होने की बात हो तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिये अपने पक्ष में सब कुछ कहने का । उस धारा की जो मीमांसा है, इंटर-प्रीटेशन है, वह इस प्रकार है कि एक बार जब उनके खिलाफ कोई शिकायत होती है तो शिकायत उनके सामन रखी जाती है । ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने मामला पेश होता है । ट्रिब्युनल में उनसे पूरी बहस की जाती है, उनको पूरा मौका होता है कहने सुनने का अपने पक्ष में । और फिर अगर ट्रिब्युनल सब बातों के सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि नहीं उन्होंने गलती की है उनको इस बात की सजा देनी चाहिये तब उनको फिर लिखा जाता है कि अब आप बतायें कि आपको यह सजा क्यों न दी जाय । उसका नतीजा होता है कि फिर से सारे का सारा मामला खुलता है और जितनी बातें पहले कह चुकी होती हैं उनके अलावा भी नई-नई बातों को

कहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत दिनों तक बात खिंच जाती है। अगर संशोधन हो गया तो एक ही मर्तबा में सारी बातें आ जायंगी कि फलां बात है और यह सजा हो सकती है तो इसलिये आप बतायें कि क्यों न आपको सजा दी जाय।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि इस संशोधन के मान लेने पर अभियुक्त को पर्सनल हीयरिंग और क्रास-ऐग्जामिनेशन का मौका नहीं मिलेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतने ब्योरे की बात मैं नहीं कह सकता। लेकिन मौका जरूर मिलना चाहिये इसका विधान होगा।

*२५—**श्री टीकाराम** (जिला बहराइच)—[हटा दिया गया।]

बस्ती जिले में स्टेज १ के खंड खोलने की योजना

*२६—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह बस्ती जिले में अक्तूबर, १९५८ से कौन-कौन से राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलने जा रही है?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—सामुदायिक विकास योजना की परिमार्जित प्रणाली के अनुसार अब राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड नहीं खोले जाएंगे। इनके स्थान पर स्टेज १ के खंड खुलेंगे और स्टेज १ में खोले जाने के पूर्व नये खंडों को १ वर्ष को "प्रि-एक्स्टेन्शन स्टेज" (प्रसार से पूर्व की स्थिति) में रक्खा जायगा।

बस्ती जिले के कुदराहा और इटवा—इन दोनों क्षेत्रों को अक्तूबर, १९५८ से "प्रि-एक्सटेन्शन स्टेज" में रखने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रसार के पूर्व की स्थिति में खुलने वाले क्षेत्रों में कितना धन व्यय होगा और कितने कर्मचारी लगाये जायेंगे?

श्री सुल्तान आलम खां—प्रि-ऐक्सटेंशन का जो एक सेल होगा उसमें १८,८०० रुपये साल में खर्च होंगे और उसमें एक बी० डी० ओ० और उसकी मदद के लिये एक छोटा-सा स्टाफ होगा। इन लोगों का ज्यादातर काम होगा कि एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जह करें।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों का खयाल करके सांथा और बघौल में भी प्रसार के पूर्व की व्यवस्था लागू करने की कृपा करेगी?

श्री सुल्तान आलम खां—जैसा माननीय सदस्य को मालूम है कि प्लान के स्टैगर होने की वजह से उतने ब्लाक नहीं खोले जा सकेंगे जितने खोले जाने वाले थे। इसलिये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन माननीय सदस्य तो इस मामले में खुशनसीब हैं कि उनके जिले को एक क्या दो प्रि-ऐक्सटेंशन ब्लाक मिल रहे हैं।

*२७-२८—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—[हटा दिये गये।]

*२९—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—[हटा दिया गया।]

*३०—**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिया गया।]

*३१—**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया।]

*३२—**श्री व्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—[हटा दिया गया।]

*३३—**श्री व्रजनारायण तिवारी**—[चौदहवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रूपकुण्ड में प्राप्त मृत मानवी ढांचों के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में डाक्टर डी० एन० मजूमदार की खोज

*३४--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि रूपकुण्ड में पाये गये मृत-मानवी ढांचे के ऐतिहासिक महत्व के सम्बन्ध में डाक्टर डी० एन० मजूमदार जो इसकी खोज में थे किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो उनका निष्कर्ष क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी डाक्टर डी० एन० मजूमदार ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है। फिर भी अभी तक की खोज के आधार पर वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसका संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०४ पर)

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह रूपकुंड की उन हड्डियों को निकलवाने का प्रबन्ध करा रहे हैं जो पत्थरों के नीचे वहां दबी पड़ी हैं ताकि यह गवेषणा अपने अन्तिम रूप तक पहुंच सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हम तो उन गड़ी हुई हड्डियों को नहीं खुदवा रहे हैं मगर जो लोग वहां खोज करने जाते हैं उनको थोड़ी बहुत पत्रम् पुष्पम् मदद हम कर देते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस अन्वेषण के कार्य में अब तक सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मुझे याद है ५,००० रुपया डाक्टर मजूमदार को दिया गया है और स्वामी योगिमानन्द को, ठीक तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्हें भी १,००० या २,००० रुपया दिया गया है ।

*३५-३६--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[हटा दिये गये ।]

*३७--श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--[हटा दिया गया ।]

राजकीय खादी केन्द्रों को तोड़ने की आज्ञा

*३८--श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने प्रदेश के राजकीय खादी केन्द्रों को समाप्त करने का कोई निर्णय किया है ?

श्री रऊफ जाफरी--इस साल खादी विस्तार योजना के १०० केन्द्रों को समाप्त करने का आदेश दिया गया था परन्तु पूर्वी जिलों में अनाज की कमी को देखते हुये इन केन्द्रों को फिलहाल ३१ अक्टूबर १९५८ तक जारी रखने का फैसला किया गया। यह अभी तय नहीं किया गया कि यह केन्द्र ३१ अक्टूबर के बाद जारी रहेंगे या नहीं और यदि जारी रहेंगे तो किस रूप में। ५० स्थायी खादी केन्द्र अभी बने रहेंगे ।

*३९--श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने राजकीय खादी केन्द्र समाप्त किये गये और उसका प्रभाव कितने कार्यकर्त्ताओं पर पड़ा ?

श्री रऊफ जाफरी--इन केन्द्रों को बन्द करने की आज्ञा १-८-५८ को दी गई। बाद में यह तय हुआ कि उपरोक्त केन्द्र ३१-१०-५८ तक चलाये जायं ।

श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि राजकीय खादी केन्द्रों को तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री रऊफ जाफरी--यह सौ केन्द्र जो थे वह जब वहां बाढ़ आ गई थी और अनाज की कमी थी उस वक्त खोले गये थे, वे स्थायी नहीं थे बल्कि थोड़े दिनों के लिये खोले थे, उसके बाद यह कोशिश की गई कि इन केन्द्रों को अम्बर चर्खा केन्द्रों में धीरे-धीरे परिवर्तित कर दिया जाय, लेकिन बाद में वह स्कीम खादी कमीशन ने मंजूर नहीं की। इसलिये धनाभाव के कारण अब वे बन्द किये जा रहे हैं।

श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कई वर्ष तक यह योजना चलती रहे, इसकी उपयोगिता की जांच उन्होंने ने करा ली है ?

श्री रऊफ जाफरी--इसमें कई वर्ष का सवाल नहीं है, पिछले साल जब बाढ़ आ गई थी तो एक साल के लिये ऐसी योजनाएं होती हैं। ५० केन्द्र जो स्थायी हैं वह चल रहे हैं और चलते रहेंगे।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उस क्षेत्र में हैंडलूम बोर्ड भी सरकार खत्म करने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--इसका इस सवाल से ताल्लुक नहीं है, यह खादी का सवाल है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पूर्वी जिलों में बेकारी को दूर करने के लिये खादी एक ही उद्योग है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह तो सही नहीं है कि खादी ही एक उद्योग है और बहुत से काम हैं जो चलते रहते हैं, लेकिन जैसा कि अभी बताया गया कि फिलहाल यह ३१ अक्तूबर तक चालू रहेंगे। उसके बाद का अभी फैसला नहीं हुआ है कि वह चालू रहेंगे या खत्म हो जायंगे।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--क्या ये केन्द्र अनुपयोगिता के कारण अथवा अर्थाभाव के कारण बन्द किये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बता दिया कि किस कारण बन्द किये जा रहे हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो केन्द्र तोड़े जा रहे हैं उनके सरकारी अधिकारी किसी दूसरे काम पर लगाये जा रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, कोशिश की जायगी।

*४०-४१--श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--[हटा दिये गये।]

*४२--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--[हटा दिया गया।]

*४३--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--[हटा दिया गया।]

विधायकों को रोडवेज में आवागमन के लिये फ्री पास देने पर विचार

*४४--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार का बिचार इस प्रदेश के विधायकों को राजकीय रोडवेज में आवागमन के लिये फ्री पास देने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

परिवहन राज्य-मंत्री (डाक्टर सीताराम)--यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न का फैसला कब तक कर देंगे ?

डाक्टर सीताराम--समय बतलाना तो कठिन है। लेकिन आशा की जाती है कि शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जायगा।

श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

डाक्टर सीताराम--करीब डेढ़ दो मास से है ।

श्री राम कृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)--क्या मंत्री महोदय से यह आशा की जाय कि इस प्रश्न का निर्णय १९५८ के अन्त तक कर सकेंगे ?

डाक्टर सीताराम--निश्चित समय बतलाना कठिन है ।

आगरे के टूरिस्ट व्यवसाय को बढ़ाने के लिये प्रयत्न

*४५-- श्री देवकीनन्दन त्रिभुवन (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरे के टूरिस्ट व्यवसाय को बढ़ाने के लिये उसने क्या प्रयत्न किये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०५ पर)

*४६-४७--श्री तेजसिंह--[६ अक्तूबर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ५८-५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गाजियाबाद में चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के संबंध में जानकारी

*४८--श्री तेजसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद में चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये अब तक उसने क्या किया है और क्या सरकार भविष्य में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये किसी खास योजना पर विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री तेजसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कब से सूचना एकत्र करना उन्होंने शुरू किया और अब तक कितनी सूचना एकत्र हो चुकी है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह बतलाना मुश्किल है । इसलिए कि मेरे पास जब सूचना एकत्र हो जायगी तभी रिपोर्ट आयेगी ।

श्री तेजसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न बजट सेशन में दिया था, उसके बाद लैप्स हो गया, फिर इसको पुनर्जीवित कराया गया । तो क्या साल भर में कुछ सूचना एकत्र नहीं हो सकी ?

श्री रऊफ जाफरी--साल भर के अन्दर नयी बातें भी पैदा हो जाती हैं जिनको जांचना पड़ेगा ।

*४९--श्री भजनलाल (जिला इटावा)--[हटा दिया गया ।]

*५०-५१--श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये ।]

अफीम की खेती वाले जिले

*५२--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले कौन-कौन से हैं, जिनमें इस वक्त अफीम की काश्त होती है ?

डाक्टर सीताराम--इस समय उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, वाराणसी, बरेली तथा शाहजहांपुर जिलों में अफीम की काश्त होती है ।

*५३-५४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[हटा दिये गये ।]

ग वाल एवं टेहरी-गढ़वाल जिलों में शैलानी आवास-गृह बनाने की आवश्यकता

*५५---श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गढ़वाल एवं टेहरी-गढ़वाल के तीर्थ एवं स्थानों एवं रमणीक स्थलों में यात्रियों एंव शैलानियों की आवास व्यवस्था के लिये 'यूथ ह स्टल' (शैलानी आवास गृह) बनाने की कोई सरकारी योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक चालू की जावेगी ?

श्री सुल्तान आलम खं---जी नहीं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि यात्रियों एव शैलानियों के लिए आवास की उचित व्यवस्था न होने के कारण इन जिलों में पर्यटन उद्योग का विकास नहीं हो पाता ?

श्री सल्तान आलम खं---माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यूथ होस्टल की कोई योजना तो सरकार के सामने नहीं है, लेकिन सरकार वहां लांग कैंबिस बनवाने जा रही है, और वह इन मुकामात पर बनवाये जायेंगे --

पांडुकेश्वर, भुइंधर, गौना, बिरही, औसला, सूखी, भाला, लोकपाल, अगोरा, अथवा कल्यानी, झाला, धरारी, भैरोंघाटी, गंगोत्री ।

इन पर काम शुरू हो गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश और देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे यूथ होस्टल और आवास गृहों के निर्माण का प्राविधान है ?

श्री सुल्तान आलम खं---यूथ होस्टल की स्कीम तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से होती है । मैंने जो ल ग कैबिन्स के बारे में बताया यह हमारे सूबे की जो टूरिस्ट कौंसिल है और जिसका प्लानिंग से ताल्लुक है इसकी तरफ से यह योजना चालू की गयी है ।

मैनपुरी-लखनऊ बस सर्विस की मांग

*५६---श्री गनेश चन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह मैनपुरी से लखनऊ तक सरकारी बसें चलाने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम---मैनपुरी से कानपुर तक और कानपुर से लखनऊ तक बसें चलती हैं । मैनपुरी से लखनऊ तक सीधे बसें चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

१९५८ के विद्यार्थी आ दोलन में परिवहन विभाग को क्षति

*५७---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, अगस्त, सन् १९५८ में विद्यार्थियों के आन्दोलन के समय प्रदेश भर में ट्रान्सपोर्ट विभाग की कितनी क्षति हुई जिसमे विद्यार्थियों ने बसों आदि को जलाया ?

डाक्टर सीताराम---८४६१ ७५ रुपये की क्षति हुई । पर बस जलाने के कारण नहीं ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह क्षति प्रदेश के किन-किन जिलों में हुयी ?

डाक्टर सीताराम---इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ ।

सीतापुर जिले में उद्योग-धंधों के लिये सहायता

*५८--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५७ ई० से जून, सन् १९५८ तक सीतापुर जिले के उद्योग-धन्धों के सहायतार्थ कितना रुपया कर्ज तथा अनुदान के रूप में दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी--अगस्त, सन् १९५७ से जून, सन् १९५८ तक सीतापुर जिले में उद्योग धन्धों के सहायतार्थ ३५,००० रुपये की धनराशि कर्ज के रूप में तथा ८,००० रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में वितरित की गई।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों मदों में से कितनी धनराशि व्यक्तियों को और कितनी धनराशि संस्थाओं को दी गई और वह उद्योग किस प्रकार के हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक अनुदान की रकम का ताल्लुक है वह तो ब्लाइंड स्कूल के लिये ३,००० रुपये और ५,००० रुपये अस्पताल के लिये दी गयी और जो ३५,००० रुपया कर्ज में दिया गया है उसमें से डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने ७ पार्टियों को २५,००० रुपया दिया और १०,००० रुपया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से ८ आदमियों में तकसीम हुआ ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे जिससे कर्ज और अनुदान प्राप्त कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित माल की खरीद को सरकारी विभागों में प्राथमिकता प्राप्त हो सके ?

श्री रऊफ जाफरी--मेरा ख्याल है कि ऐसा तो किया ही जा रहा है, उनको प्राथमिकता दी जाती है । बल्कि कुछ कीमत में फर्क भी होता है तो भी उन्हीं की चीजें खरीदी जाती हैं ।

*५९--६१--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[हटा दिये गये ।]

राज्य की मिलों तथा व्यापारिक संस्थाओं में सरकारी हिस्सों की जानकारी

*६२--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश की कुछ मिलों या व्यापारिक संस्थाओं में सरकार के कुछ हिस्से (shares) हैं ?

*६३--यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन concerns में उसके shares हैं और कितने-कितने ?

*६४--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन concerns में से कितने चालू हैं और कितने बन्द और सरकार को अपने shares से क्या सालाना आमदनी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उत्तर के लिये आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*६५--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--[स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले में पिपरई की शराब की दूकान के खिलाफ शिकायत

*६६--श्री सुशमा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पिपरई, थाना जालौन (जिला झांसी) की शराब की दूकान को सन् १९५६-५७ में अतिरिक्त जिलाधीश नें अस्थायी रूप से बन्द करके सरकार से सिफारिश की थी कि इस दुकान को स्थायी रूप से बन्द कर दिया जावे ?

नोट--तारांकित प्रश्न ६२-६४ श्री बाबूराम ने पूछे।

डाक्टर सीताराम---पिपरई थाना जखलौन, जिला झांसी की शराब की दूकान सन् १९५६-५७ में अतिरिक्त जिलाधीश ने अस्थाई रूप से तो कभी बन्द नहीं किया किन्तु दूकान की नीलाम के बाद यह सिफारिश की थी कि कान किसी दूसरे स्थान पर नहीं हटाई जा सकती और यदि सरकार चाहे तो दूकान बन्द कर दे ।

*६७---श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस दूकान को बन्द कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं, इस दूकान के नौ मील के घेरे में कोई अन्य दूकान नहीं है। दूकान के बन्द करने से आस-पास आबकारी के अपराधों में वृद्धि होने की सम्भावना है ।

श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार को यह पता है कि १३ अगस्त, १९५७ को एक पत्र द्वारा मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उक्त दूकान में डाकुओं को पनाह मिलती है और १ अगस्त, १९५७ को दिनदहाड़े डाकुओं ने हजारी लाल व राम दयाल को गोली से मार दिया तथा कांग्रेसी कार्यकर्ता हरिदास शर्मा को पकड़कर उक्त ठेकेदार के चरणों पर डाल दिया था ?

डाक्टर सीताराम---इसकी इत्तला नहीं है, लेकिन अगर ऐसी शिकायत है तो इसकी जांच कराई जायगी और बाद को कार्यवाही की जायगी ।

श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त गांव के निवासियों और उक्त मेरी शिकायत पर तथा जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर उक्त दूकान को जिले की अन्य दूकानों के साथ-साथ ६, ७ फरवरी को नीलाम नहीं किया गया था ?

डाक्टर सीताराम---शिकायत के आधार पर दूकान का नीलाम करना रुकता नहीं है, बल्कि इसके दूसरे कारण हुआ करते हैं उन्हीं कारणों के अन्तर्गत यह दूकान नीलाम नहीं हुई थी।

बुलन्दशहर जिलान्तर्गत सिकन्दराबाद व दादरी में बस स्टेशनों के निर्माण का आयोजन

*६८---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या सिकन्दराबाद व दादरी, जिला बुलन्दशहर में बस स्टेशनों के भवन निर्माण का कार्य उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह स्टेशन कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, सिकन्दराबाद में स्थायी बस स्टेशन का निर्माण-कार्य अक्तूबर, १९५८ में प्रारम्भ होगा और मार्च, १९५९ तक उसके बन जाने की संभावना है। एक अस्थायी बस स्टेशन तो यहां बनना प्रारम्भ हो गया है जो ३१ दिसम्बर, १९५८ तक बन जायेगा । दादरी में जमीन ले ली गई है परन्तु उसके कुछ भागों पर लोगों का अनधिकृत अधिकार है। उनको हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मामला तय होने पर यहां भी बस स्टेशन बनाया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अस्थायी बस स्टेशन बनाया जा रहा है उस पर कितना खर्च सरकार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---२,६४० रुपया ।

श्री रामचन्द्र विकल---अक्तूबर में जब स्थायी बस स्टेशन नये बनने शुरू हो रहे हैं तब इस पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम---इसलिये किया जा रहा है कि बुलन्दशहर से दिल्ली तक ४० बसेज रोज आती जाती हैं और वहां पर एक बस के एक दिन के रुकने के लिये एक रुपया किराया देना पड़ता है। इस तरह से १२०० रुपया महीना खर्चा पड़ता है। अगर चार महीने भी लगा लें तो ४८०० रुपया खर्चा पड़ जायगा और हमारा अस्थायी बस स्टेशन केवल २ ६४० रुपये में बन जायगा, जो इन्हीं कारणों से बनाया जा रहा है वह आगे भी काम दे सकता है।

बदायूं-आसफपुर सड़क पर बस सर्विस के संबंध में जानकारी

*६९---श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी रोडवेज चालू होने से पूर्व बदायूं-आसफपुर सड़क पर कितनी प्राइवेट बसें चलती थीं और रोडवेज चालू हो जाने के बाद कितनी प्राइवेट बसें काम कर रही हैं?

डाक्टर सीताराम---सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री शिवराजसिंह यादव---क्या सूचना एकत्रित हो जाने पर सरकार उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---वह तो नियम के अनुसार होगा ही, यह कोई प्रश्न नहीं है।

सुल्तानपुर जिले में कुओं के लिये सहायता

*७०---श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५६ से ३१ मार्च,१९५७ तक सुल्तानपुर जिले में किन किन गांवों में कितना कितना धन नये कुओं के बनाने तथा पुराने कुओं की मरम्मत व पुराने कुओं की जगत बनाने के लिये सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां---सदस्य महोदय गांवों की सूची मेरे कार्यालय में देखने की कृपा करें।

*७१-७२---श्री मदन पाण्डेय---[हटा दिये गये।]

बलिया जिले में टोंस के समीपवर्ती ग्रामों में उगने वाली कथित मूंज

*७३---श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार को विदित है कि तहसील रसड़ा, जिला बलिया में विशेषतः टोंस के समीपवर्ती ग्रामों में मूंज (एक प्रकार की लम्बी लम्बी घास) विशेष मात्रा में पैदा होती है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं।

*७४---श्री गंगाप्रसादसिंह---यदि हां, तो क्या सरकार किसी विशेषज्ञ से उसका परीक्षण कराकर किसी गृह उद्योग के रूप में उसका उपयोग करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसादसिंह---मंत्री महोदय ने कहा है "जी नहीं" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने बलिया में किस अधिकारी से यह जांच कराई है जिसके बल पर सरकार कहती है "जी नहीं"।

श्री रऊफ जाफरी---माननीय सदस्य को मालूम होगा कि सिर्फ बलिया ही में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रियल सर्वे हो रहा है, वहां जो हमारे अधिकारी हैं उनके जरिये से जो मालूम हुआ वह यह है कि वहां की घास में कोई विशेषता नहीं है। वैसी घासें बहुत सी जगह उगती है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार किसी और सरकारी व्यक्ति को नियुक्त करके इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---ऐसी फिलहाल कोई जरूरत तो मालूम नहीं होती ।

*७५-७६---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[११ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ३७-३८ के अन्तर्गत हटा दिये गये ।]

आर० टी० ए०, बरेली द्वारा बस परमिटों का दिया जाना

*७७---श्री श्री कृष्ण गोयल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आर० टी० ए०, बरेली, द्वारा १ जनवरी, १९५७ से १६ जुलाई, १९५८ तक कुल कितनी नई बसों के परमिट दिये गये ?

*७८---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रीजन में उपर्युक्त समय के अन्दर कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र और कितने Displaced Persons के प्रार्थना-पत्र आये और कितनों को परमिट दिये गये ?

*७९---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे व्यक्तियों को उक्त रीजन में उपर्युक्त समय में परमिट दिये गये हैं जो उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं ?

डाक्टर सीताराम---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

भावी कार्य क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं आगे के कार्यक्रम के बारे में एक सूचना देना चाहता हूं। १९ सितम्बर को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक का पुरःस्थापन होगा। १४ अगस्त, १९५८ के दिन जो असरकारी कार्य रह गया था उसके लिये जो दिन दिया गया था वह कल का दिन असरकारी कार्य के लिये निश्चित किया गया है और कल अगर असरकारी कार्य समाप्त हो गया तो लखनऊ यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पर विचार एवं पारण होगा । २० और २१ तारीख को, शनिवार एवं रविवार को सदन की बैठक नहीं होगी । २२ और २३ को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक पर विचार एवं उसका पारण होगा और २४ व २५ को विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर विचार एवं उसका पारण होगा । यह कार्यक्रम २५ तक का मैंने सदन की सूचनार्थ दे दिया है ।

१४ तारीख को जो असरकारी कार्य था उसकी सूचना माननीय सदस्यों के पास पहुंच गयी है, अगर किसी को और सूचना प्राप्त करनी हो तो मेरे दफ्तर में उसकी सूचना प्राप्त कर लें, क्योंकि मुमकिन है कुछ सदस्य भूलभाल गये हों कि कौन-कौन से उसमें संकल्प हैं ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा २६ को चलेगी या बन्द हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष---माननीय मख्य मंत्री इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---२६ को तो बारावफात की छुट्टी है, तो उस रोज तो किसी हालत में भी सदन नहीं बैठेगा । २५ तारीख के बाद कुछ अनिश्चित काल के लिये सदन की बैठक उठ जायगी ।

१९५८-५९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर विवाद के लिये समय निर्धारण

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह जो आज अनुपूरक बजट है उस पर बहस के लिये जनरल डिबेट के लिये आज का पूरा दिन दिया जाय और ग्रान्ट्स के वास्ते दूसरा दिन दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---इसमें दोनों ही आज हैं । सामान्य विवाद भी होगा और अनुदानों पर मतदान भी होगा । आइटम ३ पर दिया हुआ है "वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद एवं मतदान "। लिहाजा मतदान के साथ-साथ सामान्य विवाद भी होगा । सामान्य विवाद बहुत विस्तार से नहीं होगा, संक्षेप में होगा, क्योंकि आज ही इन सब अनुदानों को स्वीकृत होना है और उसके लिये विनियोग विधेयक होगा उसको भी आज ही स्वीकार करना है ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---जब आपकी व्यवस्था यह है कि आज ही सामान्य विवाद तथा अनुदानों पर बहस होगी और विनियोग विधेयक पर भी बहस करना है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये अलग-अलग समय निर्धारित कर दिया जाय तो हम लोगों को विचार करने में सुविधा होगी ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सामान्य विवाद सवा बजे तक खत्म कर दिया जाय । उसके बाद अनुदानों के लिये जो समय रहेगा वह साढ़े ४ बजे तक रहेगा और साढ़े ४ बजे के बाद फिर जितने अनुदान रह जायेंगे उन पर सीधे बगैर बहस के, राय ले ली जायगी । इस के बाद वह विधेयक आ जायेगा । तो यह समय का निर्धारण रहेगा ।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ [The Lucknow University (Amendment) Bill, 1958] आपकी आज्ञा से पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०६ पर)

१९५८-५९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद आरम्भ होगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के अनुपूरक बजट की जो मांगें प्रस्तुत की गयी हैं उन पर विवाद करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मुझे इस बात का पूरा-पूरा संतोष है और हर्ष भी है कि हमारे इस प्रदेश की सरकार ने अनुपूरक बजट के संबंध में गत वर्ष से कुछ उदारता दिखलायी है । गत वर्ष जहां इस प्रदेश की सरकार ने अपने ९० करोड़ के बजट में १२ करोड़ की अनुपूरक मांगें इस सदन में प्रस्तुत की थीं वहां इस वर्ष ११३ करोड़ के बजट में सिर्फ ४,०९,१५,००० की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गयी हैं । गत वर्ष के मुकाबले में ये मांगें एक-तिहाई हैं । तो इनको देखने से यह पता चलता है कि हमारे प्रदेश के अधिकारियों ने अपनी उस गलती में सुधार कर लिया है जिसके कारण उन्हें गत वर्ष १२ करोड़ की मांगें प्रस्तुत करनी पड़ी थीं । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे संदेह है कि जो ये ४ करोड़ की मांगें यहां प्रस्तुत की गयी हैं वह एक भुलावा ही सिद्ध होंगी, क्योंकि जैसे कल हम लोगों ने १९५४-५५ की अतिरिक्त अनुदानों के संबंध में जो विधेयक आया

था उस पर विचार किया और उस समय पता चला कि लगभग ३ करोड़ की अतिरिक्त मांगें १९५४–५५ के लिये इस सदन को स्वीकार करनी पड़ीं जबकि उस वर्ष का बजट केवल ७७ करोड़ का था ।

आज हम इस बजट पर जो संदेह प्रकट कर रहे हैं उसका एक मात्र कारण है प्रदेश की खाद्य समस्या । मुझे मेरे साथी सदस्य क्षमा करेंगे इसलिये कि मैं पुनः सदन का ध्यान प्रदेश की खाद्य समस्या की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन मैं उस पर बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं और, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं खाद्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश की खाद्य स्थिति के लिये सन् १९५७ की अपेक्षा १९५८ में अधिक रुपये की आवश्यकता है अथवा कम, सन् १९५७–५८ के रिवाइज्ड बजट में इस प्रदेश की अन्न योजनाओं के लिये १५,१५,३१,६०० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था, लेकिन मुझे दुख है कि १९५८–५९ के बजट में इस मद में ११,३९,२४,४०० रुपये की ही रकम रखी गयी है । गत वर्ष के मुकाबले में ४ करोड़ रुपया कम इस प्रदेश के अन्न व्यापार की योजनाओं के लिये रखा गया । आज इस अनुपूरक बजट में अन्न व्यापार योजनाओं के लिये एक पैसे की भी मांग नहीं की गई है । आज प्रदेश का बच्चा बच्चा, चाहे वह पोलीटिशियन हो या न हो, एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी यह जानता है कि इस प्रदेश की खाद्यस्थिति बिगड़ चुकी है और गत वर्ष के मुकाबले सरकारी दूकानों की संख्या दुगुने से भी अधिक हो गई है । कवाल टाउन्स के अलावा म्युनिसिपल एरिया में आये, टाउन एरिया में आये और अब यह सरकार खाद्यस्थिति सुलझाने के लिये गांवों में भी दूकानें खोलने लगी है । तो हम सोच सकते हैं कि गत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष दुगुने से भी ज्यादा रुपये की आवश्यकता है लेकिन पता नहीं हमारे प्रदेश की सरकार के अधिकारियों के हाथ में ऐसा कौन-सा जादू है कि गत वर्ष के मुकाबले में ४ करोड़ रुपया बजट में कम रखा गया और आज जब कि सरकार अन्न का व्यापार बढ़ाती चली जा रही है उसे एक पैसे की भी मांग प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । अगर सचमुच कहीं आसमान से या मुफ्त में इस प्रदेश की सरकार को अन्न मिलने लगा है तो मैं उसको हार्दिक बधाई देता हूं अन्यथा मैं कहना चाहता हूं कि आज अनुपूरक बजट में आप कोई मांग प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और ४ वर्ष के बाद जब यह बजट आडिट हो चुकेगा, तब आप अतिरिक्त मांग के रूप में इस धन की स्वीकृति लेंगे ।

हर आदमी जानता है और अखबारों में हमने पढ़ा है और आज के ही समाचार-पत्र इस बात से भरे पड़े हैं कि जेलों के अधिकारियों ने इस बात की मांग की है कि वर्त्तमान सत्याग्रह विभिन्न पार्टियों द्वारा छेड़े जाने के कारण जेलों में आज बन्दियों के लिये जगह बाकी नहीं रही । शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है और कैम्प जेलों की मांग की जा रही है । लेकिन अगर जेल के बजट को देखें तो इस सिलसिले में कुछ भी मांग नहीं रखी गई है ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने ये दो उदाहरण आपके सामने रखे हैं । टीका-टिप्पणी जो गत वर्ष हुई थी उसे देखते हुये १२ करोड़ से घटाकर केवल ४ करोड़ रुपये की मांगें प्रस्तुत की गई हैं लेकिन वे मसले जिन पर कम से कम १५, २० करोड़ रुपया अधिक खर्च होगा आज सदन के सामने छिपाये जा रहे हैं । क्या यह इसलिये किया जा रहा है कि अनुपूरक बजट की मांगें कम दिखाई जावें ? मैं चाहता हूं कि माननीय अन्न मंत्री और जेल मंत्री अपने इस गोरखधन्धे को सदन के सामने सुलझाने की कृपा करें ।

मैं परिवहन विभाग के मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी २३ अगस्त को इसी सदन में स्टाफ कारों की चर्चा हुई थी । उस समय उन्होंने बतलाया था कि फरवरी, १९५७ में इस प्रदेश की सरकार ने निश्चय किया कि खर्च की कमी को देखते हुये, मोटरों का सही उपयोग न करने के कारण, इस प्रदेश की अधिकांश स्टाफ कारें वापिस ले ली जावें । १ जून अन्तिम तिथि निश्चित की गई कि उस तारीख तक स्टाफ कारें वापिस आ जानी चाहियें। स्टाफ कारें वापिस नहीं आईं । १५ जुलाई को फिर केबिनेट की मीटिंग में इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर की गई और एक बार पुनः अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि वे अधिक से

[श्री जगन्नाथ लहरी]

अधिक १ अक्टूबर तक अपनी स्टाफ कारें वापिस कर दें । १५ जुलाई के ४ दिन बाद १९ जुलाई को वित्तीय वर्ष १९५७–५८ का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया । अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्टाफ कारें सरकार को वापिस नहीं मिलीं बल्कि अभी २३ अगस्त को इसके वि री । हमने सुना कि जो ५२६ मोटर कारें विभाग द्वारा खरीदी गईं उनमें से १७६ गाड़ियां जिनका मूल्य १,७५,००,००० रुपये होता है, स्टाफ कारों के रूप में अफसरों के लिये खरीद ली गईं । सरकार ने अपने हुकुम में कोई तब्दीली नहीं की कि अधिकारियों से स्टाफ कारें तुरन्त वापिस ले ली जावें लेकिन बावजूद हमारी कैबीनेट के फैसले के स्टाफ कारे बिना किसी बजट के प्रावीजन के १७० और खरीद ली गईं । मैं चाहता हूं कि यह सरकार हवा का रुख पहचाने और यह समझे कि प्रदेश की जनता ने सर्वोच्च सत्ता अधिकारियों के हाथ में नहीं, बल्कि राज्यपाल महोदय के द्वारा मंत्रियों के हाथ में दी हैं । लेकिन जब सरकार की आज्ञाओं की इस प्रकार अवहेलना करते हुये कि स्टाफ कारें वापिस करना तो दूर रहा, अधिकारी बिना किसी हिचकिचाहट के करोड़ों पये की स्टाफ कारें और ले लेते हैं, तो क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि अधिकारियों को आज हमारे मिनिस्टरों के फैसले की कोई चिन्ता नहीं है और वे उसका कोई मूल्य नहीं समझते ? जिस प्रदेश की नौकरशाही में आज इतना साहस हो गया है कि वह हमारे मंत्रिमंडल की बार-बार की चेतावनी तथा अन्तिम आज्ञाओं को ठुकरा कर उनके विपरीत आचरण करें, मैं नहीं कह सकता कि इस प्रदेश का क्या हाल होगा । अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट के पन्नों को फिर उलटने की कोशिश की कि १७० स्टाफ कारों के लिये भी क्या सदन से कोई स्वीकृति मांगी जा रही है लेकिन मैं कहीं भी उसे नहीं पा सका । हो सकता है कि मुझसे देखने में भूल हो गई हो, तो मंत्री महोदय उसे बताने की कृपा करेंगे ।

कुछ और भी बातें हैं । अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या ४२ में लिखा है कि सस्ते गल्ले की दूकानें अधिक बढ़ जाने के कारण अकेले लखनऊ रीजन में ६५८ दूकानों के लिये अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है जिसके लिये १३,४०० रुपये की अतिरिक्त मांग है । इसमें कोई भी व्यक्ति सन्देह और विरोध नहीं कर सकता । आज सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या बढ़ती चले जाने के कारण अतिरिक्त स्टाफ रखा ही जायेगा । लेकिन क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के रीजन के लिये ही क्यों यह आवश्यकता पड़ी ? क्या लखनऊ के पुराने नवाबों की तरह हमारे लखनऊ के रीजनल फूड कन्ट्रोलर के आफिस में लोगों में इतनी नजाकत आ गई है कि वे अपने प्रदेश के अन्य रीजनों की तरह काम नहीं चला सकते हैं जहां भी दूकानें बढ़ी हैं ? या यह हो सकता है कि लखनऊ के ही रीजनल फूड कन्ट्रोलर इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने अपने काम की सहूलियत देखकर अपनी मांग समय से पूर्व प्रस्तुत करदी । लेकिन अन्य ३ रीजनल कन्ट्रोलरों ने कोई मांग प्रस्तुत नहीं की और ४, ५ वर्ष के बाद जब १९५८–५९ के अतिरिक्त अनुदानों का समय आवेगा तब ये मांग हम लोगों के सामने प्रस्तुत की जावेंगी और बहाना किया जायेगा कि चूंकि अनुपूरक बजट का समय व्यतीत हो चुका था इसलिये ये मांगें प्रस्तुत नहीं की गईं ।

मैं थोड़ा ही समय लेना चाहता हूं और इसलिये यह चन्द बातें रखी हैं, लेकिन आज मैं अपने प्रदेश की स्थिति के सम्बन्ध में इस अनुपूरक बजट के समय दो शब्द कहना चाहता हूं । मैं यह मानता हूं कि जिस समय युद्ध का नगाड़ा बजता है, उस समय शासक पार्टी को अपने देश और प्रदेश की रक्षा के लिये, अपने यहां के रक्षकों को चाहे वे पुलिस के सिपाही हों या फौज के सैनिक, कुछ विशेष अधिकार देने पड़ते हैं, जिससे देश और प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो सके । आज हमारे प्रदेश की विरोधी पार्टियों ने जो खाद्य के सिलसिले में आन्दोलन छेड़ा है वह एक प्रकार से युद्ध ही समझा गया है । और इस युद्ध के नगाड़े के समय सरकार ने गुप्त सूचनाओं के द्वारा अपरिमित अधिकार पुलिस को दे दिये हैं । सन् १९४२ में जो यहां विदेशी शासन था, उसने अपनी सत्ता को उखड़ता हुआ देखकर अपनी सत्ता कायम रखने के लिये पुलिस और फौज को अपरिमित अधिकार दे दिये थे, आज उससे भी अधिक अपरिमित अधिकार इस सरकार ने पुलिस

को दे दिये हैं । आप उनको अधिकार दें लेकिन क्या मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछूं कि क्या उन्होंने पुलिस को यह अधिकार भी दे दिये हैं कि वे इस सदन के विधायकों, जो कि शान्ति और अमन के साथ सविनय अवज्ञा आन्दोलन करते हैं, उनको जूते, ठोकर और डंडों से पिटाई करें ? ८ तारीख को इसी सदन में हमारे प्रदेश की पुलिस हमीं सदस्यों के सामने हमारे कुछ सदस्य साथियों को जूते की ठोकरों से मारा । हो सकता है कुछ भाइयों को विरोधी सदस्य होने के नाते, यह सोचकर कि चलो विरोधियों का इस प्रकार से मुंह बन्द हो जायगा, उनको जूतों से पिटाई होना अच्छा लगा हो ।

यहां की घटना को छोड़िये । आजमगढ़ में.....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, जब आपने यह घोषणा कर रखी है कि आप इन्क्वायरी करायेंगे इस सदन के मामले में, तो क्या माननीय सदस्य का यह कहना उचित है कि उनको जूतों से मारा ?

श्री अध्यक्ष—हां, यह अनुचित है । इस तरह का जिक्र यहां नहीं होना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, मैंने और कोई अधिक बात नहीं कही । आपने उस दिन जो कहा था उसी को मैंने दुहराया है ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैंने पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया ।

श्री जगन्नाथ लहरी—तो मैं यह कह रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर, श्री चन्द्रजीत यादव, आजमगढ़ के जिलाधीश के पास उसके बंगले पर डेप्युटेशन में मिलने गये। जिलाधीश तीन व्यक्तियों के डेप्युटेशन से मिलना चाहते थे लेकिन इधर से १८ व्यक्तियों का डेप्युटेशन कहा जा रहा था । इसी बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई और यकायक, जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है, श्री चन्द्रजीत यादव को एस० एस० पी० ने लाठीचार्ज द्वारा मार मार कर नीचे गिरा दिया । आज की पुलिस जब कि विधायकों के साथ ऐसी पिटाई कर सकती है तो साधारण जनता के साथ वह कैसा व्यवहार कर सकती है, इसका सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

अब दूसरी ओर शान्ति और व्यवस्था की हालत को देखिये । आज के ही नव-जीवन और स्वतंत्र भारत अखबारों में ऊपर के पृष्ठ पर ही यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि बाराबंकी में ७ तारीख को दो व्यक्तियों की जघन्य हत्या कर दी गई है । दूसरी ओर बाराबंकी के दरियागंज सघन विकास खंड के क्वार्टरों में ३ डकैतियां इसी एक ही रात्रि में हुईं । एक ही नगर के आसपास दो कत्ल और ३ डकैतियां हों तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शांति और व्यवस्था की इस प्रदेश में क्या हालत है ।

गत वर्ष १९५७–५८ में जब इस प्रदेश के वित्त मंत्री, आदरणीय मुहम्मद इब्राहीम साहब, ने बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने शिक्षा के संबंध में एक घोषणा की थी और उस घोषणा को सुनकर सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ओर से हर्ष ध्वनि की गयी थी । उनकी घोषणा यह थी कि सरकार इस जुलाई से इस प्रदेश के छठे क्लास तक के सभी विद्यार्थियों के लिये शिक्षा निःशुल्क करने जा रही है । उसी के साथ साथ उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि अगले वर्ष ७ वीं कक्षा के विद्यार्थियों को और उससे अगले वर्ष आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा निःशुल्क कर दी जायगी । इस प्रकार दो वर्ष के भीतर इस प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा मिलने लगेगी । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, छठी कक्षा के विद्यार्थियों की शिक्षा तो निःशुल्क अवश्य हो गयी परन्तु ७ वीं और ८ वीं कक्षा के विद्यार्थियों की शिक्षा निःशुल्क होने के बारे में अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है । फरवरी में जब इस प्रदेश का सन् ५८–५९ का बजट प्रस्तुत किया गया तो इस मद के सम्बन्ध में कोई भी विचार नहीं प्रकट किया गया । जब कोई विचार प्रकट नहीं हुआ तो हमारे कुछ सदस्यों ने इस पर उसकी मांग भी की लेकिन सरकार कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पायी । आज अनुपूरक बजट के अवसर पर हम देखते हैं कि इस बार कोई संकेत हम लोगों को नहीं मिला है कि हमारी यह सरकार प्रदेश के ७ वें तथा

[श्री जगन्नाथ लहरी]

८ वें दर्जे के विद्यार्थियों की शिक्षा अपनी घोषणा के अनुसार निःशुल्क करने जा रही है या नहीं । हां, अनुपूरक बजट को देखने के बाद यह अवश्य पता चला कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से हमारी यह सरकार इस प्रदेश के ३० हायर सेकेंडरी स्कूलों में कृषि शिक्षा का आयोजन करने जा रही है और उसके लिये कुछ अतिरिक्त मांग अवश्य की गयी ह । लेकिन जब गत सप्ताह से समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री तथा हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल ने यह निश्चय किया है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर टेक्निकल शिक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है तो मुझे बड़ी खुशी हुई । टेक्निकल शिक्षा आज इस प्रदेश की बढ़ती हुई मांग है और हमारे राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी समय-समय पर इस सम्बन्ध में कहा है.....

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । वह यह है कि यह केवल अनुपूरक बजट की मांग है, तो क्या जनरल डिस्कशन में समस्त पुराने बजट का जिक्र किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—समस्त बजट का जिक्र नहीं किया जा सकता है लेकिन आप कुछ ऐसी बातों को प्वाइंट आउट तो कीजिये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसे उन्होंने स्कूलों की फीस के बारे में कहा जिसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं है, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कहा, पुलिस के बारे में कहा ।

श्री अध्यक्ष—पुलिस के बारे में तो है इसमें, ट्रांसपोर्ट के बारे में तो वह कह चुके जो कहना था । उसी वक्त आपको प्वाइंट आउट करना चाहिये था । आप कहते हैं कि शिक्षा के बारे में कोई चीज नहीं है । तो माननीय सदस्य कृपा करके जो अनुदान से सम्बन्धित विषय है उसी पर बोलें ।

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, इस सदन में अनुपूरक अनुदान के लिये अनुदान संख्या १८ में ही शिक्षा की मद में ६,००,३०० रुपये की मांग की गयी है और उसमें भी अधिकांश मांग कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में है तो मैं कृषि शिक्षा का ही जिक्र कर रहा हूं ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, यह जो अनुपूरक मांग है वह एक खास विषय कृषि शिक्षा के लिये है । माननीय सदस्य इस सिलसिले में फीस की बात भी कहते हैं, तो क्या इस मौके पर सारा शिक्षा बजट ओपिन हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जिस शिक्षा के सम्बन्ध में अनुदान हो उसी के बारे में कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि वे इसका खयाल रखेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वे पहले ७ वें और ८ वें दर्जे की फीस की बात कहते थे, फिर टेक्निकल एजूकेशन की बात कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—आपको प्वाइंट आउट करना चाहिये था क्योंकि जितने अनुदान हैं उनको पूरा पढ़ कर तो मैं आया नहीं हूं । अगर वे किसी बात का, जो अनुदान से बाहर की है, जिक्र करते हैं तो उसी वक्त आपको टोकना चाहिये जिससे मैं उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर सकूं । माननीय सदस्य अपने को उसी हद तक सीमित रखें ।

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, शिक्षा विभाग की जो मांग है उस पर मैं बोल रहा था तो मेरे कुछ साथियों द्वारा विरोध किया गया है ।

तो मैं यह कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में जब किसी मांग को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, उस पर विचार करेंगे तो उसका रेफरेंस देने के लिए हमें कुछ पीछे भी जाना पड़ेगा। तो मैंने जो कि मैं कृषि की मांग के सम्बन्ध में यहां आपके सामने कह रहा था कुछ पिछला रेफरेंस आपके सम्मुख रखा और मैं समझता हूं कि वह रेफरेंस अनुचित नहीं था। वैसे आपकी जो व्यवस्था हो वह शिरोधार्य होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर आप कोई एकाध उदाहरण देते हैं अपने तर्क को पुष्टि देने के लिए तो वह बाहर का भी उदाहरण जो है वह आप दे सकते हैं अपने तर्क की पुष्टि के लिए; लेकिन उतने तक ही सीमित रहे। यह न करे कि उदाहरण के ऊपर आप टीका करने लगें यानी उसके विषय के ऊपर।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख यह कह रहा था कि हमारे इस बजट में शिक्षा की मद में अधिकांश जो रुपया रखा है वह कुछ दो विश्वविद्यालयों को ग्रान्ट के अतिरिक्त कृषि शिक्षा के लिए है। यानी चालीस-चालीस हजार रुपया एक एक स्कूल को देने के लिए है। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसका स्वागत किया जायगा। लेकिन साथ ही साथ मेरी मांग यह है कि जहां हम एक एक स्कूल को चालीस चालीस हजार रुपये की एकमुश्त रकम कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में दे रहे हैं वहां हम उन स्कूलों से ह भी मांग करे कि सरकारी आज्ञाओं का भी वह पालन करें। अधिकांश में यह देखा जाता है कि स्कूलों के मैनेजर अपने अध्यापकों को वह वेतन नहीं देते जो कि उन्हें देना चाहिए। आज कृषि शिक्षा के लिए जब हम चालीस चालीस हजार रुपया एक-एक स्कूल को देंगे तो आज इस बात की भी आवश्यकता है कि कृषि के एक्सपर्ट्स और दूसरे अध्यापक जो इन स्कूलों में जायं वे अपनी योग्यता के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित पूरा पूरा वेतन पा सकें जैसा कि ग्राम स्कूलों का इसमें उदाहरण दिया गया है। मैं इसी सप्ताह की एक घटना आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। फीरोजाबाद तहसील के कोटला ग्राम में एस० आर० के० इटर कालेज है। वहां का एक प्रोफेसर जिसको १४५ रुपये वेतन मिलता है उसने फीरोजाबाद नगर के एक स्कूल में आर्ट मास्टर की जगह के लिए प्रार्थना-पत्र दिया जहां पर कि कुल वेतन महंगाई मिला के ८० रुपये होगा। काफी सिफारिशें पहुंचायीं। मैं स्वयं प्रिंसिपल के पास मौजूद था। उनसे एक प्रश्न किया गया कि जबकि एक विद्यालय में आपको १४५ रुपया मिल रहा है और वहां पर आप एक प्रोफेसर के स्थान पर हैं—वह अर्थशास्त्र में एम० ए० भी थे—तो फिर क्या कारण है कि आप एक साधारण आर्ट मास्टर की जगह के लिए जहां पर कुल वेतन ८० रुपये है, आना चाहते हैं। इस पर उस अध्यापक ने बड़े दर्द भरे शब्दों में कहा कि यद्यपि मुझे वहां १४५ रु० पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, स्कूल के कागजों में मेरा वेतन १४५ रुपया दिखाया जाता है लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझे उससे आधा भी वेतन नहीं मिलता। ८० रुपया वेतन जो मुझे यहां मिलेगा वह उससे अधिक होगा जो मुझे कोटले में मिल रहा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में बेकारी के जमाने में हमारे इन अध्यापकों के साथ इन स्कूलों के मैनेजर इस तरह का भीषण अत्याचार कर रहे हैं। सरकार द्वारा हजारों लाखों का अनुदान पाने पर भी वह सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं। मेरा यह कहना है कि उनको यह रुपया देने के साथ साथ उनके ऊपर इस बात का भी प्रतिबन्ध लगाया जाय कि यदि किसी मैनेजमेंट के खिलाफ यह शिकायत पहुंचेगी कि उसने अपने अध्यापकों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन नहीं दिया है तो यह सारा अनुदान का रुपया सरकार वसूल करेगी। मेरा ऐसा विचार है कि इस धमकी और चेतावनी के बाद शायद वह अध्यापकों के साथ कुछ न्याय कर सकें।

इसके साथ साथ मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सिंचाई के सिलसिले में हमारे मंत्री महोदय ने कुछ मांगें प्रस्तुत की हैं। इसमें उन्होंने अनुदान नम्बर ९ में १,०६,००० रुपये की और अनुदान नम्बर १० में १,१०,००० रुपये की मांग

[श्री जगन्नाथ लहरी]

की है। दोनों मिलाकर २,१६,००० रुपये की मांग है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अगर अनुदान संख्या ९ में जो कारण लिखे गए हैं उनको पढ़ा जाय तो कुछ और ही साबित होता है:—

"भारत सरकार के सिंचाई एवं विद्युत् मंत्रालय ने द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना काल में उपरोक्त कार्यों के लिये १२,५१,३९६ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अनुसंधान कार्य के संचालक द्वारा तैयार किये गये विस्तृत तखमीनों के अनुसार इन पांच योजनाओं की लागत १२,४७,७९४ रु० आती है। यह सम्पूर्ण धनराशि कार्य की प्रगति के आधार पर भारत सरकार से अनुदान के रूप में किस्तों में प्राप्त होगी। भारत सरकार ने १९५७–५८ के वर्ष में उक्त योजनाओं पर हुये अनावर्तक व्यय के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान के रूप में ५८,८३० रु० तथा इन्हीं योजनाओं पर ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाली प्रथम तिमाही के आवर्तक व्यय के लिये १९,१४२ रु० की धनराशि भी स्वीकृत की है। गत वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया जा सका। चालू वित्तीय वर्ष में सिंचाई विभाग के बजट में भी इन योजनाओं पर व्यय के लिये धनराशि की व्यवस्था नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अनुदान दे करके इस प्रदेश को सिंचाई योजनाओं के लिये १२,५७,३९६ रु० की स्वीकृति प्रदान कर दी और १९५७ के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा लगभग ५८,८३० रु० और १९,१४२ रु० यानी ७०,००० रु० के करीब इस मद में अनुदान के रूप में स्वीकृत हो कर आ चुका लेकिन फिर भी केन्द्रीय सरकार से इतना रुपया प्राप्त करने के बाद सिंचाई विभाग से, जैसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया जा सका, वह रुपया खर्च नहीं किया जा सका, कोई कार्य चालू नहीं किया। १९५८–५९ का बजट जिस समय यहां प्रस्तुत हुआ तो उस समय भी सिंचाई विभाग बिल्कुल सोता रहा और इस वित्तीय वर्ष में भी इस सम्बन्ध में कोई मांग प्रस्तुत नहीं की। आज अनुपूरक मांग के रूप में अब मांग आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हू कि इसमें हमारे अधिकारियों को क्या परेशानी थी। भारत सरकार जब अनुदान के रूप में रुपया दे रही है, उसने अग्रिम रुपया दे दिया, फिर भी विभाग द्वारा इस मद में व्यय क्यों नहीं किया गया? यह लापरवाही का सूचक है, यह दिखाता है कि हमारे अधिकारियों को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं; वे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना चाहते हैं। यही कारण है।

एक उदाहरण मैं और रखना चाहता हूं। अभी योजना आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें लिखा है कि सिंचाई कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा प्रदेश की सरकारों को जो रुपया दिया गया था उसमें करीब ८०,९० करोड़ रुपया प्रदेशीय सरकारों ने पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रयोग ही नहीं किया। तो भारत सरकार प्रदेशों के उत्थान के लिये रुपया देती है लेकिन अधिकारियों को इस बात का भी पता नहीं कि इस रुपये को खर्च करने के लिये हमने कोई योजना भी तैयार की या नहीं या उस रुपये के खर्च करने के लिये हम बजट में भी कोई व्यवस्था कर दें। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज विरोधी पक्ष और शासक पक्ष का कोई सवाल नहीं, आज हम सब मिल कर इस प्रदेश में एक ऐसा वातावरण उपस्थित करें और अपने अधिकारियों को इस बात के लिये बाध्य करे कि बजट में जो कुछ व्यवस्था या जो रीति नीति स्थापित की जाय उसके अनुसार प्रदेश के शासन का कार्य संचालन होता रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या १० में एक और गबन और लापरवाही की सूचना है। उसमें लिखा है कि श्री गोपीचन्द्र गांधी, सिप्री बाजार, झांसी, को डिग्री के सम्बन्ध में

२,८२८ रु० ९७ नये पैसे की धनराशि का भुगतान। न्यायालय में केस चला तो वहां ऐसा लिखा गया :

"अधिशासी अभियन्ता के कथनानुसार फर्म के अभिकर्ता ने जो कि रिक्त बैरलों को लेने आये केवल १७५ रिक्त बैरल ही चुने तथा शेष को अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर फर्म का यह अभियोग है कि जिस समय उसका अभिकर्ता बैरल लेने गया तो उसे स्थल पर केवल १७५ बैरल ही मिले, जिन्हें वह उठा ले गया और शेष के लिये विभाग को स्मरण कराता रहा। परन्तु उसे कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिला। फलस्वरूप फर्म ने इस विषय पर सरकार के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया।

इस वाद में न्यायालय ने फर्म के पक्ष में यह निर्णय दिया कि फर्म को ४४-५५ गैलन की क्षमता के १७५ रिक्त बैरल दिये जांय तथा ४७९ रुपया २ आना वाद व्यय भी दिया जाय, या उसे १७५ रिक्त बैरल का मूल्य (अर्थात् २,४२२ रुपया) तथा वाद व्यय (४७९ रुपया २ आना) दिया जाय।"

कितने ताज्जुब की बात है कि झांसी में सिंचाई विभाग द्वारा ३५० रिक्त बैरल का नीलाम किया गया, लेकिन जब वह खरीदने वाली पार्टी रिक्त बैरल लेने पहुंची तो उसे केवल १७५ बैरल ही मिलते हैं! लेकिन अब जब कि न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है, वहां की प्रोसीडिंग पढ़ ली जाय तो जो हकीकत है उसका पता लग जाता है। सरकार के ऊपर अदालत ने डिग्री कर दी और आदेश दिया कि या तो १७५ रिक्त बैरल दिये जांय या उनका मूल्य २,४२२ रुपया दिया जाय। इससे साफ जाहिर है कि वह एक फर्जी नीलाम था ३५० में से १७५ बैरल गायब थे, पार्टी को बार-बार रिमाइन्डर देने के बाद दावा करना पड़ा। क्या यह अधिकारियों की ईमानदारी का सूचक है? क्या मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि उन्होंने इस केस में जिसमें सरकार को अदालत के जरिये से मुंह की खानी पड़ी, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिनके कारण यह बैरल गायब हुये और सरकार के ऊपर डिग्री हुई? मुझे विश्वास है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री ने कोई कार्यवाही उस इंजीनियर के खिलाफ नहीं की। यह इस बात का सूचक है कि अधिकारी सरकारी सम्पत्ति को गायब करते हैं और कागज में फर्जी लेख दिखाते हैं और वह अदालत में भंडाफोड़ होने के बाद भी अपनी जगह पर निस्संकोच कायम रहते हैं। उनको कोई डर नहीं चाहे गबन करें, चोरी करें या बेईमानी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस सरकार के अधिकारियों की साख इतनी गिर गई हो, अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गये हों उसके लिये क्या कहा जाय, मेरे पास उसके लिये शब्द नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय नवल किशोर जी की मांग है कि मैं समय का भी ध्यान रखूं। मैं समय का ध्यान रखते हुये एक जरा सी बात, खास तौर से माननीय सदस्यों द्वारा जो हथकंडे इस्तेमाल किये जाते हैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं। १२ नम्बर के आइटम में सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १२,००० की मांग विधायक निवास में नये सूट्स(suits) के लिये रखी गई है। मंत्री महोदय ने लिखा है कि "विधान मंडल के सदस्यों के लिये वास-स्थान की कमी होने के कारण पुराने रायल होटल के अहाते में कमरों के ५६ सूटों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से कमरों के १६ सूट निर्मित हो रहे हैं और सम्भवतः वे शीघ्र ही बनकर तैयार हो जायंगे। किन्तु यह सूट संबंधित सदस्यों को तब तक आवंटित न किये जायंगे जब तक उनमें आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था न हो जाय। विधायक निवासों के वर्तमान सूट्स में फर्नीचर और उपस्करणों के सदृश्य ही इन १६ सूट्स में फर्नीचर तथा उपस्करणों की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। अतः यह निश्चय किया गया है कि उन्हें प्रति सूट ७५० रु० की अनुमानित लागत पर सुसज्जित किया जाय। इस सम्बन्ध में कुल १२,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है। मूल बजट तैयार करते समय इस व्यय का आभास न हो सका, क्योंकि यह समझा गया कि कमरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक तैयार हो पायेंगे, किन्तु विधान मंडल के सदस्यों की जोरदार मांग का विचार करके उक्त

[श्री जगन्नाथ लहरी]

कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है। इसलिये १२,००० रुपये की पूरक मांग प्रस्तुत की जाती है।"

अध्यक्ष महोदय, आज विधान मंडल के सदस्यों की अत्यधिक मांग को देख करके यह मांग सदन के सामने १२,००० रुपये की प्रस्तुत की जा रही है। मैं सदन के सभी सदस्यों से एक बार कहना चाहता हूं कि लोग भले ही मुझसे बुरा मान जांय लेकिन मैं सच्चाई क कहने से नहीं चुकूंगा। आज हम "भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार" का नारा लगाते हैं; हम सरकारी अधिकारियों और दूसरे लोगों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन जहां विधान मंडल के लोगों का विधायक निवासों के सम्बन्ध में सवाल है, हम लोगों ने भी सारे नियमों को ताक में रख कर स्वेच्छाचारिता बरतना शुरू कर दिया है।

हमारे इस सदन में ४३१ सदस्य हैं और १०८ सदस्य कौंसिल में हैं। इस प्रकार ५३९ सदस्य हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, विधायक निवास १ में २२ सिंगिल कमरे हैं, १२६ डबिल, इस प्रकार १४८ हुए। विधायक निवास २ में जो ४ कोठियों के सुईट बना दिये गये हैं वे हैं, १२ सिंगिल, ८६ डबिल--यानी १०२। नम्बर ३ में १९ सिंगिल हैं, १६ डबिल, इस प्रकार ३५ हैं। रायल होटल में २४ सिंगिल, ४ डबिल, तो कुल हुए २८, और फैमिली सुइट २० हैं। इस प्रकार विधायक निवासों में रहने वाले लोगों की तादाद देखी जाय और सिंगिल और डबिल में सही प्रकार से रहें तो ५६९ व्यक्तियों के रहने का निवास स्थान मुहय्या किया गया है। इस प्रकार अब किसी भी सूट के बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने ५३९ की संख्या बतलाई, जिसमें लगभग ३९ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और मिनिस्टर और लखनऊ शहर के सदस्य हैं, तो ५०० शेष रह जाते हैं और सिर्फ सरकारी इमारतों में ही ५६९ व्यक्तियों के निवास की व्यवस्था है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस व्यवस्था में आज भी हमारे सैकड़ों भाई यह कहते हैं कि हमारे रहने के लिए कमरे नहीं हैं और सरकार को बर्लिगटन होटल में १० सिंगिल कमरे, ७ डबिल और सेंट्रल होटल में ५ सिंगिल कमरे और १ डबिल कमरा किराये पर लेना पड़ा जिसके लिये सरकार को बर्लिंगटन होटल के सिंगिल कमरे के लिए प्रति कमरा १५० रुपया और डबिल के लिये ३०० रुपया और सेंट्रल होटल में सिंगिल कमरे के लिए १०० रुपया और डबिल के लिये १८० रुपया महीना किराया अदा करना पड़ रहा है। बर्लिंगटन होटल में एक-एक कमरे में एक-एक सदस्य रहते हैं जिसका कि सरकार द्वारा १५० से लेकर ३०० रु० तक अदा किया जाता है। इस प्रकार ५१,३६० रुपया प्रतिवर्ष सिर्फ उन २३ सदस्यों के रहने के लिए सरकार को अदा करना पड़ता है जो कि बर्लिंगटन होटल और सेंट्रल होटल में रहते हैं।

आज हम देश का निर्माण करने जा रहे हैं, देश के विकास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपा-धापी में यह भूल गये कि ५१,३६० रु० प्रति मास सिर्फ हमारे २३ सदस्यों के रहने के लिए यह सरकार इन दो होटलों में अदा करती है। क्या सदस्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रुपये के अदा करने की जिम्मेदारी किस पर है? क्या जनता की कमाई का हम सदुपयोग कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आज सरकार द्वारा चाहे ये ५६ सूट भी बन जायं तो भी हम सब सदस्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर यही व्यवस्था रही तो अभी सैकड़ों कमरे आपको बनाने आवश्यक होंगे। आज जबकि देश का आर्थिक संकट इतना बढ़ रहा है, प्रदेश का आर्थिक ढांचा इतना बढ़ चुका है कि १२,००,००,००० रु० का बजट आज १,१३,००,००,००० का हो गया है, आज जब कि टैक्सेज से जनता की कमर टूट चुकी है, तो क्या हम लोग एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे कि वह खर्च सरकार को न करना पड़े? मुझे आशा है कि यदि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में गौर करेंगे तो सही स्थिति का पता चल जायगा और न हमें बर्लिंगटन होटल में, न सेन्ट्रल होटल में कमरों का किराया देने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी ही स्थिति चलती है तो सरकार को

चाहिये कि दारुलशफा के 'ए' और 'बी' ब्लाक को तथा रायल होटल के कमरों को होटल डिवलेयर कर दे या नैनीताल में जिस प्रकार कमरों का किराया विधायकों से लिया जाता है उसी प्रकार दारुलशफा और रायल होटल में रहने वाले विधायकों से कमरों का किराया वसूल किया जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो फिर इन कमरों को बनाने की आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ेगी बल्कि दारुलशफा और रायल होटल के अनेक कमरे खाली पड़े रहेंगे और सरकार उन कमरों को होटल के रूप में प्रयोग कर सकती है। इसलिये आज सही इस्तेमाल की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने मुझे १० मिनट का समय और दिया था इसलिये मैं आपकी आज्ञा को मानते हुये इस सामान्य विवाद पर अपने भाषण को समाप्त करता हूं और आपके द्वारा सदन के सदस्यों से मांग करता हूं कि जनता के एक-एक पैसे को उचित रूप में हमें खर्च करना चाहिये और जो अधिकारी इसका दुरुपयोग करें उनको उचित सजा मिलनी चाहिये। साथ ही साथ जनता के प्रतिनिधियों को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये जिससे कोई उनकी ओर उंगली न उठा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट के सम्बन्ध में विवाद उपस्थित कर रहा हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे सामने अनुपूरक अनुदान जिनकी धनराशि करीब ४,०९,८६,००० रुपये होती है प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि विधान के अनुसार और यों भी जिस तरह से हमारे इस प्रदेश का आर्थिक ढांचा चल रहा है और जिस तरह से हम नियोजन के कार्यों में लगे हुए हैं ऐसे अवसर पर अनुपूरक अनुदानों का आना स्वाभाविक है। हर प्रजातंत्र में इस तरह के सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आते हैं और वहां के सदन उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन, श्रीमन्, पिछले ६ साल का जो हमारा अनुभव है वह अच्छा नहीं है कि कोई भी अधिकार जो हमारे पास है विधान के अनुसार उनका इस्तेमाल सही होना चाहिये।

मैं यह महसूस करता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स उन्हीं आइटम्स के बारे में आने चाहिये जिनके बारे में पहले से जानकारी हो सकना सम्भव न हो। यह बात सही है कि इसमें बहुतसे अनुदानों में बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनको सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में लाना आवश्यक था, आना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ इनमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं और जो पहले से भी होती चली आयी हों जिनका स्थान मैं समझता हूं या तो जो हमारा बजट पास हो गया उसमें होना चाहिए था या जो अगले साल बजट आवेगा उसमें होना चाहिये था। सप्लीमेंटरी ग्रांट्स की शक्ल में उनका स्थान नहीं था। यह हमारा कटु अनुभव है और मुझे तो हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि हमारे डिपार्टमेंट्स को अपने एस्टीमेट्स के बनाने में जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं देते। वे शायद अभी इसके आदी नहीं हो पाये हैं। जब उनके मन में आता है अपनी मांग पेश कर देते हैं और कोई न कोई तरीका उनको कहीं न कहीं फिट-इन करने का निकाल लेते हैं। मैं उदाहरण के लिए केवल दो ही ग्रान्ट्स को लूंगा।

ग्रान्ट नम्बर ४९ को मंत्री महोदय देखने की कृपा करें। इसमें एक मांग सवा दो लाख रुपये की इसलिये की गयी है कि एल० एस० जी० ई० डी० के चीफ इंजीनियर साहब का आफिस जिस बिल्डिंग में है वह १२ साल से गवर्नमेंट के पास है और ४२८ रुपया महीना किराया सरकार को देना पड़ता है। अब उनको यकायक यह खयाल आया कि इस बिल्डिंग को खरीद लिया जाय ताकि गवर्नमेंट के पास यह एक परमानेन्ट प्रापर्टी हो जाय। मैं यह नहीं समझ पाया कि १२ साल से जब उसके अन्दर दफ्तर था और उसको खरीदने की बात थी तो यह पिछले बजट में क्यों नहीं आयी और यदि नहीं आयी तो ४-५ महीने और इंतजार किया होता और अगले साल के बजट में इसको आना चाहिये था। यद्यपि मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की खरीदारी की नीति जो सरकार ने अपनाई है मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैंने हिसाब लगाया है कि एक बिल्डिंग जिसका किराया हम ४२८ रुपये माहवार देते हैं उसको हम

[श्री नवलकिशोर]

सवा दो लाख रुपये में खरीदना चाहते हैं। अगर हम खाली सूद ही जोड़ें तो वह करीब साढ़े तेरह हजार रुपये साल होता है यानी करीब एक हजार रुपये माहवार से अधिक होगा और सवा दो लाख रुपये का हमारा कैपिटल ब्लाक हो जायगा। इसके अलावा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि भी अलग से पड़ेंगे। इस तरह से करीब १,४०० रुपये माहवार खर्चा पड़ेगा और, श्रीमन्, जो आरगूमेंट्स दिये जाते हैं वे इस तरह के चाइल्डिश होते हैं कि मुझे उनमें कोई तत्व दिखाई नहीं पड़ता है।

श्रीमन, इसका आधार यह बतलाया गया है कि ऐसा करने से ६०,००० रुपया १२ साल में गवर्नमेंट किराये के रूप में दे चुकी है तो सवा दो लाख रुपये में यह बिल्डिग क्यों न खरीद ली जाय। मुझे यह बात मालूम नहीं हो सकी कि १२ साल के फीगर्स क्यों दिखाये गये हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इनका एक फोर्थ डिवीजन है जिसका किराया २५० रुपये माहवार दिया जाता है उसको भी इसमें एकोमोडेट किया जा सकेगा। तो इस तरह से उन्होंने ८,००० रुपये साल की बचत की बात बताई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इसमें जगह थी तो अब तक इसको क्यों एकोमोडेट नहीं किया गया। अगर नई बिल्डिग इसके लिये बनानी पड़ेगी तो उस पर कितना खर्चा होगा, इसको नहीं जोड़ा गया है। इसलिये मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे पहले भी मैंने इस नीति का विरोध किया था।

मुझे याद है कि हमारे एक मंत्री जी जिस कोठी में रहते हैं, वह ३०० रुपये माहवार किराये पर थी। उसको जिस कीमत में खरीदा गया और ऐडीशन किये गये तो उसका खर्चा खाली सूद को जोड़ने से करीब एक हजार रुपये माहवार आता है। मैं समझता हूं कि सरकार को खरीदारी की नीति नहीं अपनानी चाहिये। प्राइवेट ओनर्स के लिये तो आप कहते हैं कि जब एक दफा आदमी मकान में घुस जाय तो वह खाली नहीं हो सकता। जब सरकार के पास किराये की कोठी है तो फिर डिपार्टमेंट को फिक्र क्यों हो जाती है कि अगर वह बिक गई तो दिक्कत हो जायगी? लेकिन यह तो सोचना चाहिये कि जब उस कोठी में सरकारी आफिस है तो बिक कैसे जायगी और फिर आपके पास ला आफ एक्वीजीशन है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति बदले।

ग्रांट नम्बर ४७ के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि माल एवेन्यू में चार बंगले बनेंगे। दलील दी गई है कि २० बंगले बने थे ५० हजार की कीमत पर। यह भी फरमाया कि हैसियत के हिसाब से ६४,००० रुपये का मकान बनना चाहिये था। श्रीमन्, इसके माने हैं कि खाली सूद ३५० रुपये माहवार होता है। इसमें जमीन की कीमत नहीं जोड़ी जिस पर मकान बनेगा। तो यह उसको एलाट हो सकता है जिसको ३,५०० रुपये माहवार तनख्वाह मिलती हो। ४० हजार से ज्यादा की बिल्डिग उन सरकारी कर्मचारियों को मिलने का अधिकार नहीं है जिनको दो हजार तनख्वाह मिलती हो जो कि प्रदेश में सबसे अधिक तनख्वाह है और इसमें सब चीजें आ जाना चाहिये, जमीन की कीमत, बिल्डिग की कीमत, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह। हैसियत की बात मेरे दिमाग में नहीं आती है। मुझे कम्पैरीजन करना अच्छा मालूम नहीं होता है कि मैं अपने नेतागण का मुकाबला करूं सरकारी कर्मचारियों से। मगर मैं यह जानता हूं और अपनी आंखों के सामने देखता हूं कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, उनके जो क्वार्टर्स हैं, या बंगला है या बंगला या कोठी कह लीजिये, उनकी कास्ट सिर्फ २८ हजार रुपये आयी है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह है कि अगर २८ हजार रुपये की कोठी में, बंगले में या क्वार्टर में, जो भी संज्ञा दी जाय, अगर एक डिप्टी मिनिस्टर रह सकता है तब और क्यों नहीं रह सकते। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रदेश का बड़े से बड़ा कर्मचारी उस मकान में रह सकता है और रहना चाहिये।

एक बात, श्रीमन्, और कहना चाहता हूं। जब हमको सेकेंड फाइव ईयर प्लान में एक-एक पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो बुद्धिमानी इस बात में है कि मैक्सिमम इनवेस्टमेंट

प्राडक्टिव योजनाओं पर किया जाय। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि हम नयी बिल्डिंग्ज नहीं बनायेंगे। मैं इस तरह का हार्ड ऐंड फास्ट रूल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं चाहता। इससे कठिनाई हो सकती है, लेकिन जिन बिल्डिंग्स के बगैर काम चल सकता है कोई वजह नहीं है कि उन पर हम इस वक्त पैसा ब्लाक करें। उस पैसे को बचा कर हमें ज्यादा जरूरी चीजों पर इनवेस्ट करना चाहिए। इसके अन्दर यह चीज भी आयी है कि ४० सूट्स हमारे मेम्बर साहबान के लिए बन रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो इसके लिए नियम हैं उसके अनुसार हर मेम्बर को एक कमरा मिलना चाहिये, लेकिन जब सरकार ने यह नियम भी बना दिया है कि जिनको कमरा नहीं मिलेगा उनको शायद सरकार कुछ अलावेंस देने को सोचती है तो जो यह ७५ हजार रुपया ३ लिफ्टस के लिए है, ७५ हजार रुपया ३० किचेन्स के लिए है, ६ लाख ६० हजार रुपया ४० सूट्स के लिए है, इस तरह से यह ८ लाख १० हजार रुपया होता है। इसी तरीके से जो चार मकानात हैं उनका २ लाख ३५ हजार और २ लाख २५ हजार सैलीना हाउस के लिए है। इस तरह से १२ लाख ७० हजार रुपये की रकम ऐसी है जिसको मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, वह आसानी से बचायी जा सकती है और उसको हम किसी और बेहतरीन चीज के अ दर इस्तेमाल कर सकते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय जगन्नाथ लहरी ने कुछ स्टाफ कार्स का जिक्र किया। उन्होंने शायद यह बताया कि १७ लाख रुपया या कितना इस पर खर्च हुआ। जहां तक मेरी मालूमात हैं जो कि सिर्फ एक प्रेस कान्फ्रेन्स जो अभी हाल में हुई थी उसके आधार पर है, कोई गाड़ी सरकारी अफसरों के लिए नहीं खरीदी गयी है, लेकिन चूंकि इस सम्बन्ध में चर्चा हो गयी है मैं आपके द्वारा एक बात कहूंगा कि जिस समय सरकार ने यह जी० ओ० निकाला था कि सरकारी अफसरों से गाड़ियां वापस ली जायं मैं उन व्यक्तियों में से था जिन्होंने सरकार के इस कदम की बड़ी सराहना की थी और सरकार को इस बात की बधाई दी थी कि सरकार ने बहुत सही कदम उठाया और जिसकी मांग इस हाउस के अन्दर बहुत दिनों से थी, लेकिन, श्रीमन्, मुझे इस बात का थोड़ा दुख है, कुछ परेशानी भी है, मैंने अखबारों में पढ़ा, सही स्थिति तो मैं नहीं जानता कि क्या है मगर अखबारों में जरूर पढ़ा मैंने कि कोई कमेटी बैठी है कैबिनेट की इस बात को दोबारा सोचने के लिए कि ये गाड़ियां उनके पास रखी जायं या दोबारा फिर वापस कर दी जायं। मैं इस सम्बन्ध में एक बात सरकार से जरूर कहना चाहता हूं--वैसे जो भी स्टेट गवर्नमेंट का फैसला हो, बहरहाल मेरी एक राय है और वह यह है कि मैंने खूब जोड़ कर के देख लिया है कि किसी मानी में इस स्थिति में सरकारी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी से सस्ती बैठ नहीं सकती, इकनामिकल हो नहीं सकती। मेरा यह निश्चित मत है कि सरकारी अफसरों को सरकार की तरफ से स्टाफ कार नहीं मिलना चाहिए। वैसे भी यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम जिस समय कोई जी० ओ० निकालें, सोचें समझें, डिटेल्स में जायं, एक एक नहीं १० कमेटी बिठाएं, लेकिन जब एक कदम उठा लिया गया उसके बाद फिर एक कमेटी का बैठाना कि वह डिटेल्स में जाय उचित नहीं है। मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि आज इस बात की जरूरत है कि जहां हम चारों तरफ से यह कहते हैं कि हम बचत करना चाहते हैं वहां ऐसे कदम भी उठायें जिससे महसूस हो कि हम अनुशासन में आस्टेरिटी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं।

मैंने अखबारों में पढ़ा कि डी० आई० जी० रेलवे के लिये साढ़े १२ हजार का सैलून खरीदा जायगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि डी० आई० जी० साहब सैलून में चलें या हवाई जहाज में चलें, लेकिन जो जनसाधारण है उसमें इन बातों से एक किस्म की गलतफहमी फैलती है। मुझे याद है कि जिस समय माननीय लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया में उनको सैलून मिलता था, लेकिन वे सैलून में प्रायः चलते नहीं थे।

[श्री नवल किशोर]

मैं, श्रीमन्, यह समझता हूं कि यदि कुछ इस तरह के प्रिविलेजेज पहले से चले भी आते थे कि डी० आई० जी० रेलवे को सैलून मिलता था तब आज भी दिया जाये, मुनासिब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---आप संक्षेप में अपना भाषण दें । और माननीय सदस्यों को भी बोलना है ।

श्री नवल किशोर---दो मिनट में समाप्त करता हूं । मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन्हें सैलून दिया जाता था लिहाजा अब भी दिया जाय यह मुनासिब नहीं है । अगर वह दिया जाता था तो आगे के लिये इस तरह की बातें बन्द होनी चाहियें क्योंकि इससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है । सुविधाओं की कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी सुविधायें देते चले जाइये । मैं समझता हूं कि इन चीजों को खत्म किया जाय ताकि जनसाधारण में जो गलतफहमी पैदा हो जाती है सरकारी कर्मचारियों के बारे में और उनके खर्चे के बारे में वह खत्म हो ।

अन्त में मैं अधिक समय न लेकर केवल एक ही बात फिर कहना चाहता हूं कि जहां तक सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स का ताल्लुक है मैं उनका समर्थन करता हूं । सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आते हैं और आइन्दा भी आयेंगे, लेकिन जिन आइटम्स के बारे में मैंने अभी सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित किया है उनकी इसमें कोई जगह नहीं और वैसे भी उनके मेरिट्स पर देखा जाय तो उनका इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिये था । तो मैं समझता हूं कि सरकार उस ओर ध्यान देगी ।

श्री अध्यक्ष---(श्री परमेश्वर दीन वर्मा से) आप १ बजने में ५ मिनट रह जायं तब तक बोल सकते हैं ।

***श्री परमेश्वर दीन वर्मा** (जिला उन्नाव)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य वाद विवाद के लिये खड़ा हुआ हूं । वास्तव में ५-६ बरस के कार्य को देखने से यह पता चलता है कि सरकार ने कोई ऐसी नीति सी बना ली है कि वह इस प्रकार की अनुपूरक मांगें सदन के सामने लाये ।

वास्तव में इन सब मांगों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनमें कुछ मांगें ऐसी अवश्य हैं जिनका स्वागत किया जा सकता है जैसे बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें तथा दुर्भिक्ष सहायता । अन्य मांगें ऐसी हैं जिनके बारे में पहले ही सरकार को बैलेंस्ड बजट लाना चाहिये था । इन मांगों को देखते हुए आश्चर्य सा होता है और इनमें से हर विभाग में नहीं तो कुछ विभाग में ऐसा अवश्य है जिनमें कि अमूमन कोर्ट द्वारा डिग्री दी गयी है। रकमों की वसूली के बारे में मांग की गयी है । मैं, आपके द्वारा, सरकार का ध्यान कुछ बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं । अनुदान संख्या २ में भी डिग्री के भुगतान के लिये १,००१ रु० ६ आना की सरकार ने मांग की है । इसके अतिरिक्त सिविल जज, रायबरेली, के फैसले के अनुसार जिला सूचना कार्यालय, रायबरेली, के भूतपूर्व लिपिक, श्री रामकृष्ण गुप्त, को डिग्री के भुगतान के संबंध में मांग प्रस्तुत की गयी है । इसमें २,९०० रुपये की धनराशि सम्मिलित की गयी है । इसी प्रकार अन्य मांगों में भी डिग्री का बहुत सा रुपया सम्मिलित है । यह समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की असावधानी से जो जनता का रुपया बर्बाद होता है उसके लिये सरकार क्या योजना बना रही है ।

इन मांगों में ऐसी मांगें भी हैं, जैसे सिंचाई मंत्री की अनुदान संख्या ९, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, लेखा शीर्षक १७, १८ और १९, जिसके अन्तर्गत १ लाख ६ हजार रुपये की मांग की गयी है । इन मांगों के पूर्व इस बात को ध्यान में रखना चाहिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था कि जब शुरू साल में बैलेंस बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उसी समय उनको आना चाहिये था। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छी खासी मांग प्रस्तुत की गयी है, किन्तु इसके साथ ही हमें यह देखना आवश्यक है कि उससे कार्य पूरा होता भी है अथवा नहीं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं लखनऊ के पास के गोसाईगंज केन्द्र की ओर, जहां टेलरिंग स्कूल तथा और कई चीजें खोली गयीं, लेकिन उन पर कुछ रुपया बर्बाद करने के बाद सरकार ने उनको बन्द कर दिया। पता नहीं क्यों बन्द किया। इस प्रकार के कार्यों में जनता का रुपया बर्बाद होता है।

अभी हमारे साथी ने बताया कि रेलवे में एक सैलून गाड़ी की व्यवस्था किये जाने के लिये साढ़े १२ हजार रुपये की मांग की गयी है। कभी-कभी तो रेलवे की मांगों के लिये कह दिया जाता है कि इनका केन्द्र से संबंध है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह खर्च की व्यवस्था यहां प्रान्त से क्यों हो रही है और इसका क्या रूप है। इसके अतिरिक्त इसमें लिखा गया है कि—"उत्तर पूर्वीय रेलवे में होने वाली चोरियों, बिना टिकट की यात्रा तथा खतरे की जंजीर खींचे जाने के विषय में पिछले मई मास में लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर पूर्वीय रेलवे प्रशासन की आपस में बातचीत हुई थी। मीटिंग में रेलवे प्रशासन के जनरल मैनेजर ने राज्य के गवर्नमेंट रेलवे पुलिस अधिकारियों के इस सुझाव को मान लिया कि बिना टिकट की यात्रा के विरुद्ध प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने के लिये इस प्रदेश की उत्तर पूर्वीय रेलवे पर नियुक्त गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की वर्तमान संख्या में इस प्रकार से वृद्धि की जाय कि प्रत्येक मैजिस्ट्रेट के साथ १ सब-इंस्पेक्टर, २ हेड कांस्टेबिल तथा १६ कांस्टेबलों की संख्या हो जाय" इस प्रकार से तमाम नियुक्तियां की गयीं जिनके कारण २२,३०० रुपये की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत कर दी गयी। मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस मई के पूर्व रेलवे का इंतजाम करने के लिये पुलिस नहीं थी या मई में ही कोई ऐसी चीज पैदा हो गई कि जिसके कारण यह अत्यावश्यक हो गया कि इसी वर्ष इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। इसके सिवाय अनुदान संख्या ९ में यह कहा गया है कि आकस्मिक निधि से २,१५,८६८ रुपये की रकम ली गयी है जिसमें १,०५,८६८ रुपये की धनराशि इस अनुदान से संबंधित है। इसमें जो मांग की गयी है अगर उसको शुरू साल के बजट में रखा जाता तो अधिक मुनासिब होता।

इन बातों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन पूर्ण रूप से करने के लिये तैयार नहीं हूं। जहां तक बाढ़-पीड़ितों और समाजकल्याण की मांगों का संबंध है, मैं उनका समर्थन करने के लिये तैयार हूं लेकिन अन्य अनुदानों का विरोध करता हूं।

*न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य के संबंध में आज के वादविवाद में चर्चा आ गयी और मैं समझता हूं कि उसका संक्षेप में उत्तर दे दूं।

माननीय जगन्नाथ जी ने चर्चा की कि इस बार अन्न अधिक दिया जा रहा है और इसलिये उसके ऊपर अधिक व्यय भी होगा; इसलिये यह उचित होगा कि वह व्यय भी इसी समय दिखा दिया जाता अन्यथा बाद में उसको मांगा जायगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि लखनऊ में कुछ नजाकत है। यहां उसके लिये खर्च किया जा रहा है। उसका उन्होंने विरोध किया। जहां तक इस अधिक व्यय का प्रश्न है यह, तो निर्विवाद है कि इस वर्ष अधिक व्यय होगा। लेकिन उसको इस समय लाने में कुछ कठिनाई है और अभी कितना अधिक व्यय होगा, उसको बता सकना बड़ा कठिन होगा। पिछले वर्ष २,२७,२१३ टन खाद्य राजकीय गोदामों को भेजा गया है। इस वर्ष मार्च के बाद २,६०,००० टन भेजा गया है जिसमें से १,७२,८३३ टन खाद्यान्न इश्यू किया गया है। इसमें सबसे बड़ी हमारी कठिनाई यह है कि केन्द्र से जो गल्ला आता है जब उसका डैबिट डिमान्ड आता है, उसके बाद हमें यह खयाल होता है कि कितना रुपया व्यय होगा। अभी तक केन्द्र से कोई डैबिट डिमान्ड नहीं आया है। १,७२,८३३ टन गल्ला इश्यू हुआ है। पिछले वर्ष का भी गल्ला हमारे पास था, उसको कैरी ओवर किया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। इस प्रकार जो भी अधिक व्यय होगा उसकी हम इस समय चर्चा नहीं कर पाये हैं। लेकिन यह सत्य है कि व्यय ज्यादा होगा और उसके लिये यदि आवश्यकता पड़ी तो किसी वक्त सप्लीमेंटरी भी लाना पड़ जाय और यह तभी होगा जब कि केन्द्रीय सरकार से डैबिट डिमान्ड आये।

जहां तक लखनऊ के खर्चे का प्रश्न है, कदाचित् मेरे मित्र को मालूम नहीं है कि लखनऊ रीजन में २० जिले सम्मिलित हैं लेकिन इसमें बहुत कम स्टाफ था। हमारे यहां ४ रीजन्स हैं—मेरठ, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर। मेरठ में फील्ड स्टाफ १२८ है, वाराणसी में २९२, कानपुर में १२१ और लखनऊ में ११५ हैं। क्योंकि इस समय कार्य बहुत बढ़ गया है इसलिये उसी के लिये यह स्टाफ अधिक रखा गया है और इसीलिये अनुदान संख्या ४२ में कुछ अधिक कार्य करने वाले रखे गये हैं।

इसी प्रकार से मेरे मित्र ने एक बात और कही कि खर्चा वाकई ज्यादा होगा लेकिन यहां कम दिखाया गया है, कहीं न कहीं उसको दिखाया जाना चाहिये और इसी समय हमें उसके लिये सदन की स्वीकृति मांगनी चाहिये थी। इसके लिये मैं उनका ध्यान अनुदान संख्या ४२ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अनुदान संख्या ४२ में जो सब से बड़ा खर्च जिसकी हम लोगों ने मांग की है वह परिवार परिचय-पत्र और उनके फार्म्स वगैरा बनाने में होगा। उसकी रकम भी बहुत बड़ी है और वह १,१८,३०० रु० की रकम है और इसकी स्वीकृति हम लोगों ने ली है। तो यह कहना कि इसकी कोई स्वीकृति हम लोगों ने इस अनुपूरक बजट में नहीं मांगी है, यह गलत है। उधर कुछ हानि की आशंका थी तो बम्बे में भी हमको अधिक स्टाफ रखने की आवश्यकता पड़ी.....

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक सूचना चाहता हूं। राज्य सरकार ने व्यापार योजना, ग्रान्ट नं० ४९ में भी अन्न खरीदने के लिये क्या कोई रुपये की मांग की है?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—मैंने आपको अभी उत्तर में बतलाया कि जब तक हमारे पास केन्द्र से कोई डिमांड नहीं आती है तब तक हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उसका कुछ अन्दाजा कर पायें। मेरे कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि कोई और खर्च नहीं दिखाया गया है। मैंने संक्षेप में ही उत्तर दे दिया और यह बतलाया कि जो कुछ करना था हमने किया और उसकी आवश्यकता थी और अगर अधिक खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर इस सदन के सामने आयेंगे और व्यय की मांग करेंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, माननीय लहरी जी ने जो इन अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में आपत्तियां की हैं, उन्होंने शायद आपत्तियां करते समय जो विशेष धनराशि ग्रांट नं० ५२ में है उसके सम्बन्ध में जानने की चेष्टा नहीं की। यदि वह उस ओर देखते तो शायद उनकी आशंका जो आम आंकड़े के सम्बन्ध में थी, वह हट जाती। श्रीमन्, ४,०९,८६,६०० रुपये के बजट में नं० ५२ में ३,४८,९८,२०० रुपये की मांग की गयी है। उसमें से, श्रीमन्, २,३५,००,००० रुपये की धनराशि किसानों को कर्ज देने के लिये रखी गयी है, जो उनको फर्टिलाइजर, कुएं आदि के लिये कर्ज दिया जायगा और बीज के लिये भी दिया जायगा। एक आपत्ति यह की गयी है कि गल्ला खरीदने के हेड में रुपया क्यों नहीं रखा गया है। इसका अन्दाजा पहले से नहीं किया जा सकता था कि इस प्रदेश में खाद्य समस्या को हल करने के सिलसिले में हमको क्या-क्या करना पड़ेगा। जो गल्ला या जो धनराशि हमको केन्द्र से मिलती है उसका अनुमान भी इस वक्त नहीं कर सकते हैं। जब जैसी जरूरत केन्द्र को होगी, जब जैसा मौका होगा, उसी के अनुसार हम काम करते हैं और करेंगे। जहां तक यह शिकायत की गयी कि १९५७-५८ के मुकाबले में १९५८-५९ के बजट में कम रकम रखी गयी है, कम तो अवश्य है लेकिन वह बजट को देखते तो स्पष्ट था कि सप्लाई विभाग के स्टाफ को हमने कम किया है इससे कम रकम रखी गयी

है और हम खाद्य समस्या के सम्बन्ध में काफी सचेत थे। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये और उत्पादन के लिये हमने कितना खर्च किया है, वह तो इस मांग से ही जाहिर हो जाता है जिसमें २ करोड़ से अधिक की धनराशि सिर्फ कर्ज देने के लिये है जिससे हम काश्तकारों को प्रोत्साहित कर सकें कि वे कृषि के कार्य में जुट जायं जिससे वे अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। १,३०,००० रुपये हम कंटिजेंसी फंड से पहले ही १९५७–५८ में खर्च कर चुके हैं लेकिन इस पूरक बजट में यह खर्च कुछ बढ़ गया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी कार्य के सम्बन्ध में पहले से ही अन्दाजा करके उतनी ही धनराशि मांगी जाय। आंकड़े से यह बात ऐसी नहीं है जो गलत और अव्यावहारिक कही जा सके।

श्रीमन्, कुछ जिक्र मोटर कारों का भी किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, जिन-जिन अधिकारियों को मोटर कार वापस करना था उन सभी ने वापस कर दिया है। वे सब वापस हो गईं और जिन अफसरों पर यह हुक्म लागू हुआ था उनके लिए दोबारा मोटर खरीदने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे विभाग थे जिनमें आवश्यक था कि मोटर रखी जाय और मोटर रखी जाती थी। उनके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि यह खर्च हुआ था। इसमें माननीय लहरी जी को कुछ भ्रम है कि वह यह समझते हैं कि उन अधिकारियों ने उस आदेश का पालन नहीं किया, जो आदेश उनसे मोटर वापस लेने को जारी हुआ था।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि स्टाफ कारों के बारे में जो उन्होंने विचार प्रकट किये हैं, उन पर वह पुनर्विचार कर लें। उसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठ सकता है।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, कुछ जिक्र इस वक्त माननीय नवलकिशोर जी ने और लहरी जी ने भी जो कमरे हमारे इस आदरणीय सदन के सदस्यों के लिए बन रहे हैं या अन्य सरकार के मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स के लिए बन रहे हैं, उनकी तरफ किया। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में रोज की यह एक चर्चा है। इस वक्त यह कहा जा सकता है कि ये मकान काफी थे, और बनने की जरूरत नहीं है लेकिन वास्तविक अगर अनुभव इसका जानना हो तो आदरणीय गृह मंत्री से ही पता चल सकता है जिनका रोज का कितना समय इस विषय में ही चला जाता है कि वह कौन सा कमरा किस विधायक को दें और किस सभा सचिव को या किस उपमंत्री को कौन सा हिस्सा दें या कौन सा बंगला दें। मैं समझता हूं कि सम्भव हो सकता है कि हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने इसका जिक्र किया वह स्वयं अपने आवास से असन्तुष्ट हों, लेकिन आम तौर से इस सदन में कई बार यह मांग की गई और हर ओर से की गई चाहे उस पक्ष के बैठने वाले हों, चाहे इधर के बैठने वाले रहे हों, सबकी ओर से यह मांग थी कि यह जो मकान हैं यह हरएक को एक एक कमरा अलग-अलग मिलने चाहिए। सरकार का ऐसा वायदा था कि हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे और सरकार इस प्रयत्न में रही। फिर यह स्वाभाविक था कि खर्चा बढ़ता। लिहाजा जहां तक इसका सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि वह पुनर्विचार करेंगे तो समझ जायेंगे कि यह खर्चा आवश्यक था।

कुछ धनराशि ग्रान्ट नम्बर ३५ में १९,००,००० रुपये की पिछले वर्ष खर्च हुई जब कि यह अन्दाज नहीं किया जा सकता था कि जब सप्लीमेंटरी बजट १९५७–५८ का आया था कि इतना रुपया हमारे पास होगा जिसमें से कि हम इसकी पूर्ति कर सकें और इतना रुपया दे सकें। हमारा पहले ग्रेचुइट रिलीफ और तकावी का जो रुपया था वह १९५७–५८ में १७ लाख के निकट रखा था वह पूरक बजट में ९० लाख और बढ़ाया गया। लेकिन उससे भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि हालत और खराब होती गई। फिर यह आवश्यक हुआ कि उससे भी ज्यादा खर्च किया जाय। तो यह १९ लाख रुपया उसमें भी देना पड़ा।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन और कर दूं कि जो ग्रान्ट नम्बर ५२ में ३,४८,९८,००० रुपये की मांग है, उसमें १,०८,००,००० रुपया तो हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से ही मिला है जो कि विभिन्न

[श्री रामस्वरूप यादव]

शहरों में जहां पर कि हमारे वाटर वर्क्स शुरू हो गए हैं उनको पूरा करने के लिए है। पिछले साल यह हमें नहीं मिला था और हमें यह नहीं मालूम था कि हमारे पास कितना रुपया आ जायगा। जब यह रुपया हमको केन्द्रीय सरकार से मिलता है और उसका विभाजन करना है तो उसके लिए यह नहीं कह सकते कि यह कुछ ऐसा विषय है कि जिसके लिए जब हमने अपना बजट पेश किया था तब हम तैयार नहीं थे या उस वक्त हमसे कोई गलती हुई। उस वक्त हम यह सोच ही नहीं सकते थे कि कितना रुपया हमारे पास आयेगा। जब वह रुपया आया तो उसी के हिसाब से बजट में रख लिया गया।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय लहरी जी अब सन्तुष्ट हो जायेंगे कि जो मांग इस बजट के द्वारा की गई है उसमें कोई विशेष आपत्ति का कारण नहीं है और न उन्हें यह सोचना ही चाहिए कि हर समय हमारी नीयत या नीति ऐसी है जो देश या समाज के लिए हानिकर हो सके।

श्री वजरंग विहारी लाल रावत की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब यह मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि मैंने पहले एक सूचना दी थी---बाराबंकी में श्री भगवती प्रसाद, एम० एल० ए०, श्री जंगबहादुर वर्मा, एम० एल० ए०, नत्था राम रावत, एम० एल० ए०, और वजरंग विहारी जो मैंने कहा था कि बजरंग बिहारी कोई हमारे यहां सदस्य नहीं हैं तो इसमें यह लिखा हुआ है कि वजरंग विहारीलाल रावत एक सदस्य अवश्य हैं, उनकी गिरफ्तारी थी। मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछ कर बताऊंगा कि कौन हैं। तो श्री वजरंग विहारीलाल रावत की गिरफ्तारी उस रोज हुई है। यह सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं।

अनुपूरक अनुदानों पर मतदान का स्थगन

श्री अध्यक्ष---अब अनुदानों पर मतदान होगा। माननीय न्याय मंत्री, आप अपना अनुदान उपस्थित करें।

श्री जगन्नाथ लहरी---अध्यक्ष महोदय, पहले आपने सवा दो बजे से अनुदान उपस्थित करने के लिये व्यवस्था दी थी.....

श्री अध्यक्ष---अब पहले ही आम विवाद खत्म हो गया....

श्री जगन्नाथ लहरी---अगर दो मिनट पहले ही सदन स्थगित कर दिया जाय और सवा दो बजे से ही मतदान लिया जाय तो कोई आपत्ति न होगी।

श्री अध्यक्ष---तो इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

(इस समय १ बज कर १२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५८-५९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०---वन

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---वन---लेखा शीर्षक १०---वन के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में कोई विशेष बात कहना नहीं चाहता। यह सौ-सौ रुपए की ३ मदें हैं जिनकी यह ३०० रुपए की मांग उपस्थित है। इनमें से पहली मांग तो इस विषय की है कि जो श्री गोपीचन्द ठेकेदार का एक मुकदमा था जो उन्होंने रेलवे और वन विभाग पर किया था, उसने कुछ लट्ठे खरीदे थे, वह स्टेशन पर पड़े रहे, रेलवे से कुछ झगड़ा हुआ, उसमें प्रदेशीय सरकार ने अदालत के बाहर ३,००० रुपए में फैसला कर लिया, वह रुपया तो बचत से उपलब्ध होगा लेकिन उसके लिए यह १०० रुपये की प्रतीक मांग रखी गई है।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, इसे बिना विचार के ही स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--वन--लेखा शीर्षक १०--वन के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य तथा अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अनुदान संख्या ९ व १० बहस के लिये एक साथ ले ली जायं।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--अधिष्ठाता जी, मैं गवर्नर साहब की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत १,०६,००० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता जी, मैं गवर्नर साहब की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७,१८, १९ और ६८ के अन्तर्गत १,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

मान्यवर, यों तो बजट के सम्बन्ध में जो साहित्य यहां दिया गया है उसमें इन दोनों ग्रान्ट्स के बारे में जिक्र कर दिया गया है कि इसमें ज्यादातर रुपया अनुसन्धानशाला के सम्बन्ध में मांगा गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कुछ रुपया मंजूर किया था लेकिन उस वक्त तक हमारे यहां कोई ऐसी प्रोजेक्ट नहीं बन पाई थी जिसके मुताबिक यह व्यय हो सकता, इसलिये यह खर्च नहीं हुआ। अब ज्यों-ज्यों जरूरत होती जाती है हम रुपया लेते जाते हैं, इसका जिक्र इस लिटरेचर में कर दिया गया है। लहरी जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया था। एक बात ग्रान्ट नम्बर १० के सम्बन्ध में कुछ खाली पीपों के बारे में कही गई। डीजेल आयल के पीपों के सिलसिले में लहरी जी ने जिक्र किया। यह जरूर है कि कुछ पीपे बेंचे गये थे, लेकिन जितने पीपे नीलाम हुए वह उतने अच्छे नहीं थे, जितना कि ठेकेदार का खयाल हुआ कि पीपे बहुत अच्छी हालत में हैं। पीपे तो थे, लेकिन इतने बढ़िया नहीं थे। पीपे लेने के बाद ठेकेदार को एतराज हुआ, बल्कि बोली बोलने वाले ने एतराज किया कि ये पीपे बिल्कुल खराब हालत में हैं। उसने कहा कि मैं नहीं लूंगा। फिर उसने एक मुकदमा अपना चालू कर दिया। उसके सिलसिले में अदालत ने डिग्री दे दी। उसी के सिलसिले में यह रुपया है जिसका इसमें जिक्र किया गया है। और कोई खास बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इन दोनों अनुदानों को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी---अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री ने अनुदान संख्या ९ तथा अनुदान संख्या १० में जो अनुपूरक मांगें राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से सदन के सम्मुख प्रस्तुत की हैं, मैं उनमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---दोनों में साथ-साथ ?

श्री जगन्नाथ लहरी---जी हां, साथ-साथ। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने सामान्य विवाद के समय भी यह कहा था लेकिन मुझे दुःख है कि मंत्री महोदय के उत्तर से मुझे कोई सन्तोष प्राप्त नहीं हुआ कि जब कि हम कोई योजना बना कर प्रस्तुत करते हैं तभी केन्द्रीय सरकार से हमको अनुदान या धन मिलता है। तो केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई एवं विद्युत संचालन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए १२,५१,३९६ रुपये की स्वीकृति दी और उस योजना की पूर्ति के लिए, कार्य संचालन के लिए १९५७ में ५८,८३० रुपया और १९,१४२ रुपये के धन की स्वीकृति और दे करके धन दिया, लेकिन इसमें जो कारण प्रस्तुत किये गये हैं उनमें लिखा है कि "गत वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया जा सका। चालू वित्तीय वर्ष में सिंचाई विभाग के बजट में भी इन योजनाओं पर व्यय के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं है।" तो मैं तो आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के सामने योजना प्रस्तुत करके साढ़े बारह लाख से अधिक की धनराशि की अनुदान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद और लगभग ७०,००० रुपया सन् १९५७ में ही इस प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय सरकार से इस योजना के संचालन के लिए प्राप्त हो जाने के बाद भी क्या कारण था कि आपके अधिकारियों ने इस योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया और इतनी लापरवाही दिखाई। हो सकता है कि यह कहा जाय कि वित्तीय वर्ष में देर में स्वीकृति मिली हो लेकिन इस चालू वर्ष में जबकि हमारे प्रदेश का बजट पेश हुआ तब भी कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गयी, जो यह निर्देश करता है कि हमारे अधिकारियों को इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनकी लापरवाही से अगर यह ग्रान्ट जो साढ़े बारह लाख रुपये की मिल रही है, यह लैप्स होती है, या केन्द्रीय सरकार समझ लेती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो प्रदेश को कितनी हानि होगी ? क्या माननीय मंत्री महोदय ने कभी यह भी सोचा है ? इस दृष्टि से मैं यह कटौती अनुदान संख्या ९ में प्रस्तुत कर रहा हूं कि अधिकारियों को इस बात के लिए सचेत किया जाय कि योजना बना कर के जब हम केन्द्रीय सरकार से या दूसरी सरकार से कोई धन अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं तो उस पर हमें कार्य शीघ्रता से प्रारम्भ कर देना चाहिए जिससे कि धनदाता को विश्वास हो जाय कि सचमुच हम उस ओर प्रयत्नशील हैं। लेकिन जब हम लापरवाही बरतेंगे तो धनदाता को अवश्य ही यह खयाल होगा कि हमें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने अधिकारियों से पूछ-ताछ करें और जवाब तलब करें कि इस वित्तीय वर्ष में यह अनुदान प्राप्त हो जाने के बाद भी कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज---जैसा कि अनुदान संख्या १० के सम्बन्ध में मैंने पहले कहा था कि यह एक बिल्कुल गबन का मामला है। ३५० पीपे, ४,३२५ रुपये में नीलाम किये गये। जब खरीदने वाला आया तो केवल १७५ पीपे ही उसे मिले। मंत्री महोदय ने कहा कि टूटे-फूटे पीपे होने की वजह से उसने लिये नहीं लेकिन उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब खरीदने वाला बैरल लेने गया तो उसे स्थल पर केवल १७५ बैरल ही मिले जिन्हें वह उठा ले गया और शेष के लिये विभाग को स्मरण कराता रहा परन्तु उसे कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। फलस्वरूप फर्म ने इस विषय पर गवर्नमेंट के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया। इस वाद में न्यायालय ने फर्म के पक्ष में यह निर्णय दिया कि फर्म को ४४-५५ गैलन की क्षमता के १७५ रिक्त बैरल दिये जायं तथा ४७९ रु० २ आ० वाद व्यय भी दिया जाय, या उसे १७५ रिक्त बैरल का मूल्य (अर्थात् २,४२२ रु०) तथा वाद व्यय (४७९ रु० २ आ०) दिया जाय। मैं यह माने लेता हूं कि टूटे फूटे बैरल उसको दिये गये थे लेकिन इसमें साफ लिखा है कि जब वह गया तो केवल १७५ बैरल ही मिले और बार-बार रिमाइन्ड कराने पर भी बाकी बैरल उसे नहीं दिये गये।

इसी कारण अदालत ने उसके पक्ष में निर्णय दिया और आज भी उस फैसले के बाद विभाग १७५ बैरल उसको देने के लिये तैयार नहीं है। अब अदालत के फैसले के अनुसार सरकार उन १७५ बैरलों का मूल्य जो कि २,४२२ रुपया होता है अनुदान के रूप में मांग रही है। इसका मतलब यह है कि आपके विभाग के पास वे खाली बैरल नहीं हैं। न्यायालय ने सही निर्णय दिया। अधिकारियों ने बैरल गायब किये लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की तो आप कृपा कर नहीं रहे हैं बल्कि उल्टे उनके गबन को छिपाने के लिये सदन से रुपया मांग रहे हैं। यह कहां तक उचित है ?

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और मांग करता हूं कि सिंचाई मंत्री इसकी खुली जांच करें और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के सामने मंत्री महोदय द्वारा सिंचाई के लिये जो अनुदान पेश किय गय हैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कई बार इस सदन में बोलत समय कितने ही माननीय सदस्यों ने खाद्य समस्या को सामन रखन की कोशिश की और आज भी लहरी जी ने कई बार खाद्य समस्या पर प्रकाश डाला । मैं तो मंत्री महोदय से कहूंगा कि सिंचाई के लिये उन्हें अनुपूरक मांग में अधिक धन मांगना चाहिये था क्योंकि खाद्य की समस्या इस प्रदेश में जब तक सिंचाई की व्यवस्था हम ठीक ढंग से नहीं कर लेते तब तक, किसी प्रकार, न तो आन्दोलन करने से न गलत प्रचार ही करने से हल हो सकती है ।

मैंने पिछले वर्षों में देखा कि पूर्वी अंचल में जहां खाद्य की समस्या कठिन थी और आज भी है और हो सकता है कि अभी दो-चार वर्ष और हम उसे ठीक ढंग पर न ला सकें । लेकिन समस्या यह है कि जब तक सिंचाई को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक परिस्थिति ठीक नहीं कर सकते हैं । मैंने अपने जिले और क्षेत्र में देखा है, बनारस के भदोही क्षेत्र में दखा है कि जहां पानी ट्यूबवेल से मिलता था वहां किसानों ने मई, जून के महीने में कुछ गल्ला मक्का वगैरा पैदा कर लिया । मैं अपने जिले के लिये मंत्री महोदय को सुझाव दता हूं । मैंने सोचा था कि मंत्री महोदय, उस क्षेत्र के लिये जहां ट्यूबवेल्स और नहर के लिये उन्होंने अपनी स्कीम बनाई थी, उसके लिये अधिक रुपया मांगेंगे और इस परिस्थिति को संभालेंगे । लेकिन मुझे तकलीफ है और जनता को दुख है कि अनुपूरक मांग में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने तो यहां तक सुना है कि अब यह कहा जा रहा है कि ट्यूबवेल्स न बढ़ायें जायें और कच्चे तथा पक्के कुयें बनायें जांय । मैं जानता हूं कि जौनपुर और बनारस में कच्चे और पक्के कुयें मौजूद हैं, लेकिन कोई उनसे जेठ के महीने में पानी दे कर गल्ला पैदा नहीं कर सकता है । यह नामुमकिन चीज है । न ऐसा हुआ है और न होगा । किसान पानी देते-देते परेशान हो जाते हैं । अगर कुयें बनाये गये तो हम कहेंगे कि इससे किसानों का कोई लाभ होने वाला नहीं है । मंत्री जी चाहे इस बजट से या दूसरे बजट से हमारे जिले , बनारस और गोरखपुर डिवीजन में जो नहर तथा ट्यूबवेल्स की स्कीम है, उसे दें । जहां ऊंची जगह हो वहां कुआं बनवा दें । लेकिन जो स्कीम चल रही है उसको चालू रखा जाय । जो लोग सुझाव दे रहे हैं कि यह गलत साबित हुई है, यह बिलकुल गलत साबित नहीं हुई है, वह आगे चलेगी । सिर्फ गलती यह है कि गूलें वगैरा ठीक नहीं हुई थीं, नालियां ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन अब हो रही ह । ट्यूबवेल्स में कमी यह है कि सरकार की तरफ से जिलाधीशों के पास और नहर के अधिकारियों के पास ऐसे आदेश पहुंच गये हैं कि जब तक जमीन के मुआवजे का सवाल हल न हो जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

और काम आगे न बढ़ाया जाय । मैं प्रत्येक विभाग के मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से सिंचाई योजना चलनी चाहिये यदि खाद्य समस्या को सफल करना है । पूर्वी जिलों में जितने ट्यूबवेल्स वगैरह बना सकें उतने बनायें । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और सदन से अपील करता हूं कि वह इस अनुदान को पास करे ।

*श्री परमेश्वर दीन वर्मा--माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या ९ और १० पर मैं कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव लाया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक मैंने देखा है कि इसमें कुछ बातें जो दिखाई गई हैं वह ठीक प्रतीत होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खटकने वाली हैं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भाई लहरी जी ने बताया कि पीपों की जो बिक्री हुई है उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसका रुपया सरकारी फंड से दिया जा रहा है, दिया जाना चाहिये, लेकिन इसके साथ ही साथ उन अधिकारियों को जिनकी गलती से ऐसा हुआ है, क्या दंड मिला है ? इसका कुछ पता नहीं चलता है । इसके संबंध में मंत्री महोदय को ध्यान रखना चाहिये क्योंकि अगर ऐसी अवस्था रही तो भविष्य में ऐसी गलती बराबर होती रहेगी ।

इसके अलावा जो खोजपूर्ण समस्या के लिये मांग की गई है, वह ठीक प्रतीत होती है और इस प्रकार की स्कीम से कार्य आगे बढ़ सकता है । अभी हमारे पूर्व वक्ता शर्मा जी ने कहा कि सिंचाई के लिये अधिक रुपये की मांग होनी चाहिये थी । लेकिन अधिक रुपये की मांग करने से कार्य सफल नहीं हुआ करता है बल्कि जब तक रुपये को ठीक तरीके से उपयोग में नहीं लाया जायगा कार्य नहीं चल सकता है । मैं अधिक दूर की बात नहीं कहता हूं । उन्नाव की बात कहता हूं कि जहां नहरों के लिए हजारों रुपये ठेकेदार को दिये गये, लेकिन तमाम रुपया बरबाद हुआ । ६, ७ साल हो गये उनको खोदे हुये लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा । यह कैसी व्यवस्था है ? मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि कुछ जगहों और नहरों के कट जाने के बारे में तार भेजे गये हैं परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । इन चीजों की जब तक रोकथाम नहीं होती तब तक अधिक रुपया स्वीकृत करा लेने से और रुपये का अपव्यय करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है । इसलिये मैं अधिक न कहकर इन बातों की ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की अगर गड़बड़ी होती रहेगी तो जनता के रुपये का जिससे जनता को ठीक लाभ पहुंचना चाहिये, अपव्यय होगा और जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकेगा ।

श्री राममूर्ति--अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और इसमें अभी आबपाशी के साधनों को बढ़ाने की बहुत गुंजायश है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते यदि हमारे सब काम ठीक तरीके से पूरे हो गये तो करीब ३० फीसदी आबपाशी इस प्रदेश की जमीन के लिये हो पायेगी । इसके माने यह हैं कि अभी बहुत गुंजायश है और बहुत बड़े धन की भी आवश्यकता है जिससे हमारा काम पूरा हो । सरकार की हमेशा यह कोशिश है और केन्द्रीय सरकार से भी हर वक्त हम यह कोशिश करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन मिल सके जिससे हम आबपाशी के कामों को और आबपाशी के साधनों को और ज्यादा बढ़ा लें । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है जो प्लान में रुपये रखे गये हैं उनसे ज्यादा रकम मिलने की सम्भावना नहीं है बल्कि उनमें भी कुछ थोड़ी बहुत कटौती की जा रही है, प्लान में रुपये की कमी की वजह से । ऐसी हालत में ज्यादा रुपया मिलने की कोई आशा दिखाई नहीं देती ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि हमने इस बात का ध्यान देते हुये कि ट्यूबवेल और नहरों की आबपाशी के साथ-साथ लोगों की इस मांग को भी देखें कि पक्के कुयें बनाकर लोगों को दिये जायें या उसके लिये तकावी दी जाय । अखबारों में खबर भी छापी गई कि करीब ९० लाख रुपया सरकार ने इस काम के लिये अलग निकाला है और उन जिलों में जहां पर पानी का स्तर ऊंचा है, आसानी से कुयें बन सकते हैं और रहट से पानी निकाला जा सकता है और उन जिलों में जहां पर किन्हीं तहसीलों में चकबन्दी का काम हो गया है वहां पर जिला मैजिस्ट्रेटों के पास काफी रुपया रखा है । जिला मैजिस्ट्रेट लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग इस किस्म की तकावी लें और अपने खेतों के अन्दर कुयें बनावें और उनके जरिये से अपने खेतों को पानी दें ।

लहरी जी ने जो पीपों की बिक्री के बारे में जिक्र किया है मैं और ज्यादा मालूमात करने की कोशिश करूंगा और अफसरों ने अगर कुछ गलती की है तो उसकी जांच की जायगी और जांच के बाद अगर खता पायी गई तो उनको दंड भी दिया जायगा ।

मैं समझता हूं कि बाकी जो मांगे रखी गई हैं उनमें हर चीज विदित कर दी गई हैं और कुछ ज्यादा कहने की गुंजायश नहीं है । मैं अपने सभी साथियों से पुनः दरख्वास्त करूंगा कि इस मांग को वे स्वीकार करें और लहरी जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, मंत्री महोदय ने जब जांच का आश्वासन सदन के सामने दे दिया है तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई क निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत १,०६,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत १,१०,००० रुपये की अनुपूरक, मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ७५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, जिन चीजों पर यह व्यय होगा, उसके सम्बन्ध में इस पुस्तिका में विस्तृत तौर पर विवरण दिया हुआ है और मैं अधिक समय सदन का इस पर लेना उचित नहीं समझता । इसमें मुख्य चीजें--एक तो स्वयं इस सदन के माननीय अध्यक्ष तथा कौंसिल के चेयरमैन साहब के वैयक्तिक सहायकों की तनख्वाहों के बारे में है, दूसरे सिविल सेक्रेटेरियट में आडिट के सिलसिले में टेक्निकल आडिट का जो स्टाफ रखा जा रहा है उसके बारे में है और कुछ अनुदान वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिये है । इस तरह से लगभग सबका ब्योरा इसमें दिया हुआ है और मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता । मुझे आशा है कि सब सदन इस मांग को स्वीकार करेगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय-लेखा शीर्षक २५—के अन्तर्गत ७५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकृति के लिये जो प्रस्तुत की गयी है उसमें १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने सामान्य विवाद के अवसर पर कहा था आज इस अनुदान में १२ हजार रुपये की मांग वह भी है जो विधायक निवास के कमरों की साज सज्जा के लिये आवश्यक समझी जा रही है । मैं एक बार पुनः सदन के सामने अपनी वही मांग दुहराना चाहता हूं कि जब विधायक निवास में सरकार ने रहने की जो व्यवस्था की है उसमें ५६९ सदस्यों के रहने की व्यवस्था है, फिर ऐसा क्या कारण आ पड़ा है कि जिसके कारण सरकार को बलिंगटन होटल तथा सेंन्ट्रल होटल में किराये पर कमरे लेने पड़े । बलिंगटन होटल में १० कमरे सिंगिल सूटेड हैं कि जिनका किराया डेढ़ वर्ष से सरकार को १५० रुपया मासिक और ७ कमरे डबल सूटेड हैं जिनका किराया ३०० रुपये मासिक देना पड़ता है और उन में एक एक सदस्य रहता है । सेंट्रल होटल में ५ सिंगिल कमरे हैं १०० रुपये मासिक के और डबल सूट का एक कमरा है जिसका किराया १८० रुपया मासिक है । कुल २३ सदस्य उन कमरों में रहते हैं जिन पर सरकार को ५१,३६० रुपया वार्षिक किराया अदा करना पड़ रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ३००-३०० रुपया माहवार एक-एक सदस्य के रहने पर खर्च किया जा रहा है ? यह कहां का न्याय है ? क्या सदस्यगण गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करेंगे ? यदि हम लोगों ने कमरों पर कब्जा करने में आपाधापी न की होती तो शायद यह ५१,३६० रुपया वार्षिक बच सकता था और सरकार को भी अन्य कमरे बनाने की आवश्यकता न होती । सामान्य विवाद के अवसर पर मेरी बात का उत्तर देते हुये आदरणीय रामस्वरूप यादव जी ने एक बात कही थी कि हो सकता है कि माननीय सदस्य को स्वयं कमरा न मिला हो इसलिये उनको यह नाराजगी हो. . . . . .

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने यह नहीं कहा ।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं अपनी बात वापस लेता हूं । लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं । मैंने सरकारी नियमों के अनुसार स्टेट आफिसर को यह लिखकर दिया कि मैं सवा रुपया प्रतिदिन, जैसा कि सरकारी विधान है, किराया देने के लिये तैयार हूं । मुझे सिंगिल सूटेड रूम दे दिया जाय । लेकिन बावजूद इसके मुझे कमरा नहीं मिला । मैंने कोई अप्रोच नहीं किया । जब मैं रिमाइन्डर भेजता हूं तो यही कि मैं किराया अदा करने के लिये तैयार हूं । जो सदस्य किराया अदा करने के लिये तैयार है उसको कमरा नहीं मिलेगा, लेकिन जो सदस्य कमरों में आलरेडी रह रहे हैं, उनको कमरे एलाट किये जायेंगे, उनको कोठियां एलाट की जायेंगी । तो अगर आज हमने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो यह ५६ सूट बन जाने पर भी कमी रहेगी, क्योंकि यह सूट बन जाने के बाद स्टेट मिनिस्टर केवल साढ़े चार सौ सदस्यों को सुविधा दे सकेंगे, जब कि मिनिस्टरों तथा लखनऊ के सदस्यों को निकाल देने के बाद कुल सदस्यों की संख्या करीब ५०० रहेगी । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम सचमुच जनता के रुपये का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमको इन होटलों के कमरों को छोड़ देना चाहिये जिससे इन ५१ हजार रुपयों की वार्षिक बचत हो सके और यदि इन सदस्यों को सरकार कोई सुविधा न दे सके तो ७५ रुपया मासिक किराया दे दे । नैनीताल में जिस प्रकार गवर्नमेंट प्रापर्टी है और उसके लिये गर्मियों में जब हम जाते हैं तो रिजर्वेशन कराना पड़ता है और उसके लिये पहले से हम लोगों के पास नोटिस आ जाता है कि आप किस प्रकार के सूट को लेना चाहते हैं, तो उसी प्रकार मेरा सुझाव है कि लखनऊ में भी रहने के लिये हम इसका इंतजाम करने के लिये इस प्रकार का विधान करें कि सदस्यों के लिये इन दारुलशफा के कमरों का किराया निश्चित कर दें । और सदस्यों से पूछें कि कौन सदस्य कमरे में रहना चाहता है और उसके मुताबिक जो माहवारी किराया देने के लिये तैयार हो वह उसके वेतन से काट लिया जाय । अगर सरकार इस प्रकार से किराया वसूल करे तो विधायक निवास में स्थान की कमी नहीं रहेगी वरन् कुछ कमरे खाली भी पड़े रहेंगे ।

जैसे नैनीताल के सूट सरकारी अधिकारियों को भी दिये जाते हैं यहां भी ऐसा हो सकता है और हमारे अधिकारियों के निवास की समस्या भी कुछ अंश में हल हो सकती है । वरना यह समस्या साढ़े पांच वर्षों में भी हल नहीं हो सकेगी और लाखों रुपया मकान बनाने पर खर्च करना होगा । अभी तो दारुलशफा के लिये लोग भागते हैं परन्तु अब जब सरकारी कोठियां एलाट होने लगी हैं तो उनके लिये भी दारुलशफा छोड़ छोड़ कर भागने लगे हैं । इस सम्बन्ध में एक निश्चित योजना और विधान होना चाहिये । इसलिये इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, लहरी जी ने जो प्रश्न दारुलशफा और सदस्यों के निवास स्थान का उठाया उसके विषय में यह कहना है कि उनका यह एक नया सुझाव है कि सारा विधायक निवास होटल घोषित कर दिया जाय और जो उसका किराया दें वे वहां रहने पावें। बहुत दिनों से दारुलशफा में विधायक निवास है और कदाचित् लहरी जी को यह पता नहीं है कि सदस्यों की ही एक समिति है जिसकी सिफारिश पर दारुलशफा सम्बन्धी विधायक निवास के नियम बनाये जाते हैं । उस समिति के अध्यक्ष हमारे राज्य मंत्री श्री मंगला प्रसाद हैं और उसमें सभी दलों के सदस्य हैं। दारुलशफा में पहले यह नियम था कि जो लोग रहें उनसे किराया लिया जाय । बाद में उन नियमों में संशोधन किया गया । यह भी नियम था कि बिजली और पानी का भी किराया वसूल किया जाय और छोटे कमरों में एक रहें और बड़े कमरों में दो रहें। इन नियमों में भी परिवर्त्तन किये गये । यदि सरकार को और कमरे या मकान बनवाने पड़ें तो सम्प्रति जो आर्थिक स्थिति है उसमें उसे कुछ सहूलियत होगी, लेकिन बात यह है कि हमारे विधान मंडल में ५०० से ऊपर सदस्य हैं । कुछ तो मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री और सभा सचिव हो जाते हैं । जैसा लहरी जी ने स्वयं ही कहा, ये ३५, ३६ या ३० आदमी हो जाते हैं । बाकी ५०० से ऊपर सदस्य हैं । ऐसा समझा जाता है जरूर, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसे स्वीकार करता हूं, कि जैसा हमारा विधान मंडल है उसमें प्रत्येक सदस्य को एक कमरा ऐसा होना चाहिये जिसमें वह अकेले रह सकें, अपना कुछ अध्ययन भी कर सकें, विधान मंडल के कार्य के प्रति भी जितना सजग और सतर्क रहना चाहिये उतना रह सकें। ऐसा सम्भव नहीं है यदि कई-कई सदस्य एक कमरे में रहें । ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों को भी एक कमरे में कई-कई होने से दिक्कत होती हैं । तो इन सब बातों को देखते हुये ऐसा लगा कि सदस्यों की शिकायत में कुछ तथ्य ह ।

फिर, यह भी है कि कभी-कभी विधान सभा या विधान मंडल की बैठकें लम्बी चलती हैं, कभी-कभी किन्हीं के परिवार भी आ जाते हैं । एक ही कमरे में २, ३ परिवारों के लोग रहें, इसमें दिक्कत होती थी । और, मान्यवर, सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि सदस्यों के क्षेत्रों के लोग भी आकर टिक जाते हैं । यह ठीक भी है और सभी को इसका अनुभव होगा । इस प्रकार एक कमरे में कई सदस्य होने से सभी दिक्कत होती है । इन सब बातों को देखते हुये और यह देखते हुये कि विधायक सतर्क रहें और लहरी जी तो रहते ही हैं जिसका प्रमाण वह उपस्थित कर रहे हैं, जिस प्रकार अभिमन्यु लड़ रहा था वैसे ही वह अकेले झंडा ऊंचा किये हुये हैं, यह सोचा गया कि एक, एक कमरे की व्यवस्था की जाय । यकायक सारे सदस्यों के लिये कमरे बन नहीं सकते, इसलिये कुछ कमरे होटलों में लिये गये । यह हो सकता है कि उनका किराया अधिक हो । गवर्नमेंट को अधिक किराया देने का शौक नहीं हो सकता । सदस्यगण विधान भवन के नजदीक रहना चाहते हैं, बहुत दूर जाकर रहने में उन्हें कठिनाई पड़ती है । न उनके ऊपर केवल आने जाने का खर्चा ही पड़ता है प्रत्युत जो सदस्यों में परस्पर चर्चा चलती रहती हैं उसमें भी दिक्कत होती है । सभी चाहते हैं कि जहां तक हो सके नजदीक और एक साथ रहें । सभी दारुलशफा में रहना चाहते हैं और अगर कहीं दूर दूर प्रबन्ध कर दिया गया तो कोई जायगा ही नहीं । बर्लिंगटन होटल या कोई आसपास हो तो जगह दी जाती ह । उसमें खर्चा पड़ रहा है । यह भी आवश्यक समझा गया कि कुछ सूट्स बनवा लिये जावें । भगवान करे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा, विधान परिषद् और हमारा लोकतंत्र चिरायु हो, ये ५०० सदस्य सदा रहेंगे और यह काम होता रहेगा तो सदस्यों

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

के रहने का प्रबन्ध भी धीरे-धीरे अपनी आवश्यकता के अनुसार कर देना कोई अनुचित बात भी नहीं होगी । वह तो एक स्थायी प्रबन्ध होगा और वह कर लेना चाहिये । इसी विचार से कमरे भी बनवाये जा रहे हैं और इस बात की चेष्टा हम अवश्य करेंगे कि किसी होटल का कमरा जिस पर खर्च पड़ रहा है उसे जल्द से जल्द मुक्त किया जाय ।

मान्यवर, आपको भी विदित है कि इतना प्रबन्ध करने के बाद भी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को रहने का स्थान नहीं है । अभी लहरी जी ने किराया देने की बात कही और वह लखनऊ में बहुत सी जगह ले सकते हैं । अभी हमने कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया है कि विधायक निवास के रूप में किराये पर प्रबन्ध करे । हां, अभी हाल में २, ३ दिन ही हुये हैं, उन्होंने मुझसे ही कहा कि भाई, हमको भी कमरा दोगे या नहीं । तो इन, प्रश्नों को देखकर ही यह व्यवस्था की गई है । एस्टेट विभाग की ओर से कोशिश हो रही है कि यथासम्भव एक एक सदस्य को एक, एक कमरा मिल जाय । और शीघ्रातिशीघ्र इसकी व्यवस्था की जाय । अगर एक बार इस समस्या का हल करने में कुछ खर्च भी करना पड़े तो वह किया जाय, जिससे कोई उसका स्थायी हल हो जाय । हमारे विधान मंडल के सदस्यों की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, यदि उनको सहूलियत न दी जाय, यदि उनको सुविधानुसार काम करने का अवसर न हो तो इस विधान मंडल से जिस प्रकार का हित साधन करने की हम आशा करते हैं, वह नहीं हो सकता । इस विचार से ही यह रखा गया है । मैं आपके द्वारा माननीय लहरी जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस विषय में देख रहा हूं कि जो किराया हम खर्च कर रहे हैं वह जल्दी से जल्दी खत्म हो ।

एक अलाउन्स की व्यवस्था किये जाने के बाद भी गवर्नमेंट के विचाराधीन है कि जिन सदस्यों के पास कोई स्थान नहीं है उनके लिये रहने के अलाउन्स की व्यवस्था की जाय । सारी बात इसी दृष्टि से देखी जा रही है कि खर्चा कम हो । इसी दष्टि से यह अनुदान भी इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है ।

मैं समझता हूं कि लहरी जी को इससे संतोष हो गया होगा और मेरी इस बात की वे पुष्टि करेंगे कि हम इस बात की चेष्टा में हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो सके ।

श्री जगन्नाथ लहरी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी विधायकों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिये कटिबद्ध हैं । मैंने कभी यह मांग नहीं की कि विधायकों को सुविधा न दी जाय, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री महोदय को एक बात और बता देना चाहता हूं कि दारुलशफा केवल विधायकों के रहने के लिये ही नहीं है । वहां पर एक कमरा ऐसे एक साहब के पास है जो कि एम० पी० हो गये हैं और उस कमरे में उनके दामाद रहते हैं जो कि टैलीग्राफ के दफ्तर में नौकर हैं और अभी तक वह कमरा खाली कराके किसी सदस्य को नहीं दिया गया है । मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बी० ब्लाक में एक कमरे में कुछ दिनों पहले पोस्ट आफिस की वर्दी बनाने का कारखाना खोला गया और वह किसी विधायक के पास नहीं था । तो हमारे दारुलशफा में कारखाने भी खोले जाते हैं और ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को भी कमरे मिले हुए हैं जो यहां के विधान मंडल के सदस्य नहीं हैं । इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी भी उसमें रह रहे हैं और सरकार उनसे खाली नहीं करा पायी है । इसी दृष्टि से हमने यह प्रस्ताव आपके सामने रखा था । दारुलशफा आज स्कूल का हास्टल बना हुआ है । आप देख लीजिये । २५ तारीख के बाद विधायक तो बहुत थोड़े से ही रह जायेंगे, मुश्किल से १०, २० रह जायेंगे लेकिन वह हास्टल खुला रहेगा । दारुलशफा के अधिकांश कमरों में आपको बिजली प्रज्वलित मिलेगी । इस तरह से वहां के कमरों का दुरुपयोग हो रहा है ।

जहां तक डिप्टी मिनिस्टरों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का संबंध है मैंने पता लगाया है वहां केवल ५ डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रहते हैं । इससे मालूम होता है कि बाकी सदस्यों को रहने के लिये स्थान मिल चुके हैं । इस प्रकार से यह जो एम० पी० के दामाद

को कमरा दिये हुये हैं, और जो कारखाने चलाये जाते हैं, यह दारुलशफा का दुरुपयोग होता है। इसका प्रबन्ध ठीक से होना चाहिये । फिर भी विधायकों को सुविधा देने के लिये जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है उसको मानते हुये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ७५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैं गवर्नर महोदय, की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, यह एक बहुत छोटी सी मांग है और टेहरी में एक जगह है, जहां सब-ट्रेजरी के लिये यह रकम रखी गयी है ।

श्री जगन्नाथ लहरी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अनुदान को बिना विवाद के स्वीकृत कर लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय--लेखा शीर्षक २५ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब कई आदमियों के नाम कटौती के प्रस्ताव हों तो क्या एक ही आदमी के वापस लेने से उसे वापस लेना समझ लिया जाता है और दूसरों को उस पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है ?

श्री अधिष्ठाता--मैं ने तो इस हाउस की राय ली । इस पर और किसी का तो कटौती का प्रस्ताव है नहीं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--दूसरे सदस्यों का है जिन्होंने वापस नहीं लिया है । मेरा भी १२ नं० पर है ।

श्री अधिष्ठाता--१२ नं० पर एक ही कटौती का प्रस्ताव था । अब तो नं० १३ चल रहा है । १२ नं० तो स्वीकृत हो चुका है, सब कुछ हो चुका । अगर आपको बोलना था तो आपको चाहिये था कि उस वक्त खड़े होते ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मैं खड़ा हुआ था ।

श्री अधिष्ठाता--लेकिन मैंने देखा नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि माननीय सदस्य खड़े होते हैं लेकिन वे दिखलायी नहीं पड़ते ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, मैं क्षमा चाहता हूं ।

अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दा बस्तियां

सामाजिक सुरक्षा मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)--अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६--जेल--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, यह एक छोटी सी मांग है । इसकी तफसील जो साहित्य यहां पेश हुआ उसके अन्दर मौजूद है और यह एक ऐसा खर्च है कि जिस वक्त बजट पेश हुआ था उस समय यह सामने मौजूद नहीं था । यहां एक आल इंडिया कमेटी जो आई० जी० की कमेटी थी, कई सूबे की थी यहां मीटिंग हुई जैसा कि और सूबों में उसकी मीटिंग हो चुकी थी, उस पर जो खर्चा हुआ, वह हम उम्मीद करते हैं कि अपने बजट से पूरा कर लेंगे उसी के लिये यह अलामती प्रस्ताव पेश किया गया है । मैं समझता हूं कि हाउस इसको मंजूर करेगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, समाज सुरक्षा मंत्री महोदय ने अनुदान संख्या १६ की जो मांग प्रस्तुत की है, मैं उसमें एक रुपया कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मांग बहुत छोटी है, मैं भी इसको मानता हूं । लेकिन मैं समाज सुरक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आज के "नवजीवन" की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है "जेल में कैदियों की बढ़ती हुई संख्या से गम्भीर समस्या" ।

श्री अधिष्ठाता--लहरी जी, अखबारों में कभी-कभी सही खबर नहीं रहती है ।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैंने तो केवल हेंडिंग की बात बतलायी है । तो मैंने उस समय भी जब कि सामान्य विवाद के अवसर पर बहस हो रही थी तो मैंने यह कहा था कि समाचार पत्रों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि जेल के अधिकारियों ने सरकार के सम्मुख खाद्यान्न आन्दोलन के कारण जेलों में बढ़ते हुए कैदियों की संख्या को एक गंभीर समस्या समझते हुए सरकार के सामने कुछ सुझाव रखे हैं जिसमें शान्ति व्यवस्था के लिए अधिक कर्मचारी, जेलों में स्थान न होने के कारण कैम्प जेलों की स्थापना आदि की मांग की गई है और जब कि समाचार-पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है तो समाचारपत्रों की, हो सकता है, बातें कुछ सही हों, कुछ गलत हों क्योंकि उन पर हम विधायक यहां पर बल देकर के उसे प्रमाण-स्वरूप पेश नहीं कर सकते, लेकिन यह बात निश्चित है कि खाद्यान्न आन्दोलन अभी तो प्रारंभ ही हुआ है । सत्याग्रही कैदियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है और ४,००० के लगभग खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में जहां तक मुझे पता चला है गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं । तो ऐसी स्थिति में जबकि अनुपूरक बजट आ रहा है क्या कारण है कि समाज सुरक्षा मन्त्री हमारे सामने कोई भी मांग उसके लिए प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ?

दूसरी बात खाद्य समस्या के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने यह बतलाया कि जेलों के लिए अन्न खरीदने के कारण ही व्यापारियों में एक हुड़दंग मचा कि जबकि इतने तेज भाव पर सरकार जेलों के लिए अन्न खरीद रही है तो एक भीषण समस्या व्यापार और बाजार में आ गई । लेकिन आज भी कोई खाद्य समस्या हल तो हो नहीं गई । तो क्या जेलों के लिए इस बढ़ते हुए भाव को देखते हुए, बढ़ते हुए कैदियों को देखते हुए क्या अतिरिक्त अन्न की आवश्यकता नहीं थी ? लेकिन समाज सुरक्षा मन्त्री ने किसी प्रकार की मांग प्रस्तुत नहीं की । समय निकल जाने के बाद फिर वही चार पांच साल बाद यह मांग आयेगी और कहा जायगा कि अनुपूरक बजट तब तक पास हो चुका था, समय नहीं मिला और अतिरिक्त मांगों में पांच वर्ष बाद हम लोग स्वीकृति देंगे । तो मैं माननीय समाज सुरक्षा मन्त्री से

सिर्फ यह पूंछना चाहता हूं कि क्या जेलों में बढ़े हुए कैदियों के कारण उन्हें अब इस वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की अधिक मांग की आवश्यकता नहीं है ? अगर न हो तो हमें बड़ी खुशी है । अगर है तो इस अनुपूरक बजट के अवसर पर वह वह मांग क्यों प्रस्तुत नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस अखबार के हवाले से जो बात कही गई है वैसी कोई इत्तिला मेरे पास तो नहीं है । मैं समझता हूं कि हमारे पास काफी इन्तजाम है और कोई जरूरत इसकी नहीं पैदा होगी कि कोई अलग कैम्प जेल खोला जाय । इस सिलसिले में कि वहां की जेलों के लिए खरीदारी की वजह से अन्न समस्या कुछ जटिल हो गई, यह बात कही गई है, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जेल में हमेशा ही इतनी तादाद में कैदी रहते आये हैं और उनके लिए बाजार से अन्न खरीदा गया है । यह कोई इस साल नया सवाल पैदा नहीं हुआ है । वह तो इसी सूबे के लोग हैं जो जेल में हैं । अगर जेल में रहते हैं तो उनका इन्तजाम जेल की तरफ से होता है, बाहर रहते हैं तो उनको खुद इन्तजाम करना पड़ता है । यह कोई ऐसी तादाद नहीं है जो किसी बाहर के सूबे से आ गई हो कि उनके लिए अतिरिक्त अन्न की जरूरत पैदा हुई हो । इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस मांग को ..... (व्यवधान) बाहर भी सरकार ही इन्तजाम करती है लेकिन यहां खास तौर से करती है, तो इसलिए मैं यह समझता हूं कि जो मांग मैंने पेश की है उसको यह सदन खुशी से मंजूर करेगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी--माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाज सुरक्षा मन्त्री जब इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनके पास पूरा प्रबन्ध है और उनको किसी अतिरिक्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हमें यही एतराज है कि हमको कहीं दोबारा और स्वीकृति न देनी पड़े । तो मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६--जेल--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८--५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २९--पुलिस

श्री कमलापति त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, मैं (राज्यपाल) गवर्नर महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७-पुलिस--लेखा शीर्षक २९-पुलिस के अन्तर्गत ३,३४,६०० रुपया की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

माननीय मैं इसमें अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसके विषय में जो साहित्य वितरित किया गया है उसमें स्पष्टीकरण कर दिया गया है और यह आइटम्स ऐसे हैं कि जिनकी मांग आरम्भ में नहीं की जा सकती थी जब चालू वर्ष का बजट पेश किया गया था। बाद में ही इनकी आवश्यकता पड़ी है । जैसा कि साहित्य से स्पष्ट होगा २,४३,२१० रुपये प्रदेश की आर्म्डकान्सटेबुलरी बटैलियन जिन्हें समय समय पर बाहर भेजने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों में भेजना है जहां की जलवायु और वहां की परिस्थिति अधिक वस्त्र इत्यादि की मांग करती हो यह रकम रखी गई है । एक स्थान पर उन्हें भेजना पड़ा और वह आवश्यक व्यय था जो किया गया जिसकी आरंभ में कोई कल्पना नहीं थी । तो यह कंटिंजेन्सी फंड से रुपया ले करके उस काम को पूरा किया गया और जब आदरणीय

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सदन यह अनुदान स्वीकार कर लेगा तो आकस्मिक निधि से जो धन लिया गया है उसकी पूर्ति कर दी जायगी। तो सबसे बड़ी रकम २,४३,२०० रुपये की है।

दूसरे रेलवे पुलिस के प्रबन्ध के सिलसिले में है। एन० ई० रेलवे पर बिना टिकट की यात्रा रोकने के लिये है। इस रेलवे के ऐडमिनिस्ट्रेशन ने मई में इस बात की मांग की कि उनके यहां बिना टिकट यात्रा का मर्ज बढ़ता जा रहा है। यहां मई में उसका सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने जी० आर० पी० के लिये अतिरिक्त स्टाफ की मांग की कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके साथ इतनी पुलिस और लगा दी जाय। एक सब-इंस्पेक्टर, २ हेड कांस्टेबिल और १२ कांस्टेबिल रहेंगे उनके साथ। ६ उनके रोजन हैं। इस तरह की उन्होंने मांग की और उनके बहस मुवाहिसे के बाद यह मालूम हुआ कि इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की जाय। इस विचार से २२,३०० रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।

तीसरी एक मांग सैलून की है जिसका जिक्र अभी माननीय लहरी जी ने किया था। जो ए० आई० जी० रेलवेज़ होते हैं उन्हें सारे प्रदेश में जी० आर० पी० पुलिस का प्रबन्ध देखना पड़ता है, पूरा प्रदेश का क्षेत्र उनका होता है और करीब करीब महीने में तीन सप्ताह उन्हें रेल में ही बिताने पड़ते हैं, जी० आर० पी० का प्रबन्ध देखते रहते हैं। तो उनके पास सैलून १९०८ से है। जो सैलून उनके पास था वह १८८३ का बना हुआ था और वह चलते-चलते घिस घिसा गया था और स्वयं रेलवे विभाग ने यह कहा कि इसमें यात्रा करना ए० आई० जी० के लिये खतरनाक है। उनको सैलून चाहिये क्योंकि काफी यात्रा करनी पड़ती है। तो कदाचित् अगर यह सैलून बनवाना पड़ता तो ७०, ८० हजार रु० खर्च होता। तो ग्वालियर नरेश का एक सैलून था जिसे रेलवे विभाग खरीद रहा था और यह देख करके कि हमको जरूरत है साढ़े १२ हजार में ले लिया गया। ३, ४ हजार उसकी मरम्मत में भी लगेंगे। लेकिन फिर भी १६, १७ हजार में सैलन तैयार हो जायगा। इसे हम यदि बनवाते तो ७०-८० हजार रुपया खर्च होता। उस के लिये यह १४,५०० रुपए की रकम रखी गई है।

एक और छोटा सा आइटम है ५४,००० रुपए का। लड़ाई के जमाने में जो बैरेक्स बनी थीं उनमें हमारी पी० ए० सी० की बटैलियनें रहती हैं, वह इमारतें पुरानी हो गई हैं और काफी मरम्मत उनमें रहती है क्योंकि वह टेम्पोरेरी ही बनाई गई थीं। इस साल उनमें मरम्मत का काम कुछ अधिक हो गया है। वहां आर्म्स एन्ड अम्युनिशन भी रहता है जिस को सुरक्षित रखना पड़ता है। इसलिये भी उसे ठीक रखना आवश्यक है। अगर नई इमारत उसके लिये बनवाते हैं तो लाखों रुपए का खर्च होता है। इसलिए सोचा गया है कि उसी इमारत की ठीक से मरम्मत कर दी जाय ताकि वह काम दे सके और जो क्षति उसमें हो गई है वह दुरुस्त कर दी जाय। इसके लिये यह ५४,००० की मांग है। यह आइटम ऐसा है जो आकस्मिक व्यय का है, पहले से इस का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता था। इसी तरह के और आइटम्स हैं, आप की आज्ञा से मैं इसे हाउस की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या १७--पुलिस--लेखा शीर्षक २९--पुलिस के अन्तर्गत ३,३४,६००, रुपया की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकृति के वास्ते जो पेश की गई है उस में १ रुपए की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, बड़े मजे की बात है कि हमारे मंत्री जी तो यह कहते हैं कि सैलून बहुत कम कीमत में मिल रहा है इसलिये खरीदा गया है लेकिन जो बजट साहित्य हमें मिला है उसमें लिखा है कि सैलून बिकाऊ है, मैं इसकी भाषा पढ़े देता हूं, इस में लिखा है कि "इस समय ग्वालियर के महाराजा का एक आठ पहियों वाला सैलून १२,५०० पए की बहुत ही

कम कीमत पर बिकाऊ है। इसके अतिरिक्त इसके जीर्णोद्धार के लिये अनुमानतः ४,००० रुपए की आवश्यकता है जिस में से आधा चालू वित्तीय वर्ष में तथा शेष आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जायगा। उक्त सैलून को तुरन्त खरीद लेने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि वह दूसरों के हाथ न बिक जाय।"

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं जरा सा स्पष्टीकरण कर दूं। यदि मैंने यह कहा है कि यह खरीदा गया है, तो बात यह है कि वह अभी खरीदा नहीं गया है, अभी बिकाऊ है। खरीदने का प्रस्ताव है जिस के लिये रुपया रखा गया है।

श्री जगन्नाथ लहरी---जो मैं कह रहा था वह बात सही हो गई कि वह अभी बिकाऊ है खरीदा नहीं गया है। कहा गया कि वह कम कीमत में मिल रहा है और अगर जल्द ही न खरीदा गया तो उसे दूसरे लोग खरीद लेंगे। जो सैलून रखते थे वह खुद ८० हजार के सैलून को १२,००० में बेचने को तैयार हो गये तो पता नहीं अब जब कि राजा-महाराजा खत्म हो गये तो फिर भारत में और कौन खरीदार पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा कहा गया कि सैलून की मरम्मत के लिये भी ४,००० रुपये की रकम रखी जा रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह अच्छी हालत में है? मेरी राय में अच्छा हो कि मंत्री महोदय स्वयं जाकर उसका एक बार निरीक्षण कर लें, थोड़ा पैसा तो अवश्य खर्च होगा। वह देख लें कि क्या सचमुच ४,००० रुपया मरम्मत में लगाकर वह अच्छी हालत में हो जायगा। सवाल यह भी है कि ग्वालियर महाराज के पास राज्य समाप्त होने के बाद भी करोड़ों की सम्पत्ति है कि उन को यह सैलून १२,००० में बेचने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? वह कोई आर्थिक संकट में तो हैं नहीं।

श्री अधिष्ठाता---उसके इस्तेमाल में तो बहुत खर्चा होता है।

श्री जगन्नाथ लहरी---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा था कि सामान्य वादविवाद के अवसर पर माननीय नवल किशोर जी ने भी सदन में कहा था कि अंग्रेजों के जमाने में खास-खास अधिकारियों को सैलून देने की प्रथा थी, लेकिन अब जब कि हमारे उपमंत्री और दूसरे लोगों को सैलून नहीं मिलता तो डी० आई० जी० के वास्ते सैलून का प्रबन्ध क्यों किया जाय। खैर इस पर सदन गम्भीरतापूर्वक विचार करे। अब, बे-टिकट चलने की बीमारी इस देश में बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय सम्पत्ति की इस तरह से सरे आम लूट होती है। मैं मानता हूं कि यदि बे-टिकट लोग सफर न करते, उन्होंने टिकट लिया होता तो करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष की अधिक आमदनी होती, लेकिन हमारे इस प्रदेश में उत्तर-पूर्वी रेलवे भी है, उत्तर रेलवे भी है, सेंट्रल रेलवे भी है, वेस्टर्न रेलवे भी है, लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ उत्तर-पूर्वीय रेलवे के ही बे-टिकट सफर करने वालों के लिए सरकार व्यवस्था करने जा रही है। अगर वास्तव में इस प्रदेश की सरकार को बे-टिकट यात्रियों के पकड़ने की व्यवस्था करनी है तो उन सभी रेलवे के यात्रियों को जो बे-टिकट सफर करते हैं पकड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय आमदनी का जो ह्रास हो रहा है उसे बचाया जा सके। अकेले उत्तर-पूर्व रेलव में ही वह व्यवस्था क्यों की जा रही है?

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में मंत्री जी ने बतलाया था कि पुलिस पर जो बजट कम हो गया उसका कारण यह था कि हमारी पुलिस रेलवे स्टेशनों पर प्रबन्ध करने जाती थी, लेकिन इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर० पी० एफ० बना ली है, रेलवे में बिना टिकट चलने वालों को पकड़ने के लिए और रेलों की सुरक्षा के लिए। रेल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में है। अब रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में है, लेकिन पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं, पुलिस राज्य सरकार के अधिकार में आती है। संविधान के मुताबिक पुलिस राज्यों का एक अंग है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब बे-टिकट यात्रियों को पकड़ने क लिय खर्चा यू० पी० गवर्नमेंट करेगी

[श्री जगन्नाथ लहरी]

और आमदनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जायगी उसमें से क्या प्रदेश को भी कुछ भाग मिलेगा ? हम अपने बजट में से खर्चा करें, इंसपेक्टर बढ़ायें, सिपाही बढ़ायें और सारा इन्तजाम करें, लेकिन सारी की सारी आमदनी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में चली जायगी । तो एक दूसरी सरकार के विभाग के लिए यू० पी० सरकार के अनुपूरक बजट में खर्च क्यों मंजूर किया जाय, मैं तो इसे उचित नहीं समझता ।

साथ ही साथ, जैसा कि मैंने सामान्य वाद-विवाद के अवसर पर कहा, आज गृहमंत्री ने हमारी पुलिस को जो अपरिमित अधिकार दे दिये हैं उससे पुलिस उनका प्रहार हम सदस्यों पर भी करने लगी है । मार-पीट तो साधारण चीज थी, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान नवजीवन के पांचवें पृष्ठ पर दिलाना चाहता हूं कि उसको पढ़ने की कृपा करें जिसमें लिखा हुआ है कि किसी विरोधी पार्टी के नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के श्री गंगा प्रसाद जो एम० एल० ए० हैं, जो आज से नहीं, कई वर्ष से इस सदन के एम० एल० ए० हैं, जिन्हें हर एक जानता है, उनके साथ आज से दो दिन पूर्व कानपुर में क्या घटना घटी ? आज इसको देखने से मालूम होता है कि कोई व्यक्ति रिक्शे में बैठकर पुलिस क्लब के सामने नहीं जा सकता है । आपने अधिकार दे दिया है कि रिक्शे में बैठ कर पुलिस क्लब के सामने होकर विधायक नहीं जा सकता है । दूसरे रिक्शे जा सकते हैं, सवारियां जा सकती हैं, विधायक नहीं जा सकता है । अगर विधायक कहते हैं कि और सवारियां जा रही हैं, हमको भी जाने दो तो उनको पकड़ कर के कोतवाली ले जाया जाता है । दो घंटे तक खड़ा रखा जाता है, तरह-तरह के अपशब्द कहे जाते हैं । जब कोतवाल महोदय का ध्यान दिलाया गया कि यह सज्जन बहुत देर से खड़े हैं तो कहते हैं "खड़ा रहने दो साले को" । आप गंगा प्रसाद जी से पूछ लीजिये । दो घंटे के बाद कोतवाल साहब के सामने प्रस्तुत किये गये । उनके साथ एक वैद्य जी थे, उन्होंने कहा कि अभी अपना नाम आउट मत करना, देखो क्या मजा आता है । गंगा प्रसाद बेचारे पेश किये गये, उनको गालियां दी गयीं और वह सिपाही जो पकड़ कर ले गया था उसने उनसे कहा---आप उनसे जानकारी कर सकते हैं, कांग्रेसी विधायक हैं---४-६ रुपया देकर छुट्टी कीजिये वरना चरस रख कर आपको गिरफ्तार कर लिया जायगा । आपके पास हथियार रख दिया जायगा, आपको चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया जायगा, आपको जेब काटने के जुर्म में पकड़ लिया जायगा, तरह-तरह से उनको डराया ताकि वे कुछ रुपया दे दें । बदकिस्मती से जब मुकदमा कायम हो रहा था एक पत्रकार कोतवाली में पहुंच गया । चूंकि वह गंगा प्रसाद जी को जानता था, असेम्बली में बोलते हुये सुनता था, उसने उनको सलाम झुका दिया । उन्होंने पूछा कि यहां आप कैसे ? गंगा प्रसाद जी ने सारा किस्सा बताया । यह जानने पर कि गंगा प्रसाद जी कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं फौरन ही आपकी पुलिस के तेवर खत्म हो गये, कुर्सी मंगायी गयी, गंगा प्रसाद जी का सम्मान किया गया और सिपाही को डांट बतलायी गयी । तो जब आपकी पुलिस का यह हाल हो, जहां सारा मंत्रिमंडल रहता है, आई० जी०, डी० आई० जी० रहते हैं कि एक एम० एल० ए० को इस प्रकार चरस रखकर, हथियार रख कर पकड़ने की बात कही जाय तो साधारण व्यक्तियों के साथ क्या बीतता होगा यह गृह मंत्री स्वयं सोचने की कृपा करें । मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता, यदि किसी सदस्य को मेरी बात में संदेह हो तो गंगा प्रसादजी से पूछने की कृपा करें कि मैंने इसमें कितने शब्द झूठ कहे हैं ।

एक सदस्य---वह लखनऊ की नहीं कानपुर की खबर है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---('नवजीवन' पत्र देखने के बाद) जी हां, मैं संशोधन किये लेता हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, हमारे लहरी जी ने जो आइटम्स हैं उनके विषय में तो कुछ कहा नहीं है और एक साधारण बहस छेड़ दी । यह सही है कि इस प्रदेश में कई रेलवे हैं लेकिन जिस रेलवे में यह रोग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उस रेलवे के ऐडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रश्न को उठाया इसलिये हमें उस इलाके में रोग को खत्म करने के लिये प्रबन्ध करना पड़ा। हमारी जी० आर० पी० का जो खर्च होता है उसका कुछ हिस्सा भारत सरकार भी वहन करती है।

उन्होंने जो हमारी आर० पी० पी० रही है उसके सम्बन्ध में बातें कहीं। वे सब बातें पुराने बजट के सम्बन्ध में कही जा चुकी हैं। उनको पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आर० पी० पी० सन् ४७–४८ में बनी थी जब दंगे हो रहे थे और एक दृष्टिकोण को लेकर बनी थी। वह खत्म हुई। जी० आर० पी० बहुत पुरानी है। उत्तरी-पूर्वी रेलवे ने हमसे सहायता मांगी। उनको सहायता हम दे रहे हैं। उसमें कुछ खर्चा बढ़ा है। उसके लिये मांग की गयी है।

बाकी जो बात अभी लहरी जी ने कही, उनको कदाचित् यह पता नहीं है कि यह किस्सा कानपुर का है।

श्री जगन्नाथ लहरी–मने संशोधन कर लिया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अच्छा तो हो कि विधान सभा में बोलने के पूर्व सारी बातों की जानकारी कर ली जाय। इसीलिये मैं इस चेष्टा में रहता हूं कि एक-एक कमरा दे दिया जाय ताकि जरा सतर्कतापूर्वक बोल सकें। तो इसकी सूचना मुझे आज मिली है। जिन सदस्य का नाम लिया गया उनसे अभी मुझसे तफसील से बात नहीं हुई है, हां, सूचना मुझे उसकी आज मिली है। उनसे बात करने के बाद अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो उसमें फिर कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं है, उसकी इन्क्वायरी की जायगी, जोरदार उसकी जांच होगी और जो लोग उसके लिये अपराधी पाय जायंगे उनको दंड दिया जायगा। इसमें कोई विशेष सोचने-विचारने की बात नहीं है। सम्भव है ऐसी घटनायें कहीं होती हों। मैं नहीं कह सकता कहां तक उसमें सच्चाई है। अभी सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनसे भी बात करनी है। जांच-पड़ताल के बाद जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी लेकिन इससे अनुपूरक मांग से कोई विशेष संबंध मुझे दिखाई नहीं देता है। पुलिस का इतना बड़ा विभाग है। कुछ जगह खराबियां होती होंगी, अच्छा काम भी पुलिस करती होगी। जहां अच्छा काम करें वहां उसकी तारीफ होनी चाहिये और गलत काम करती है तो उसकी जांच-पड़ताल होकर उसको दंड देना चाहिये। यह मानी हुई बात है। कोई विशेष उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे। पुलिस के ऊपर हमें ज्यादा खर्चा करना है क्योंकि आपने भी कहा था कि खास तौर से आगरे की स्थिति खराब रहती है इसलिये वहां एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट कर दिया जाय तो वह हो गया है और उसमें खर्चा बढ़ गया है। थोड़ी-सी रकम मांगी है। यदि इसमें एक रुपये की कटौती रहेगी तो दिक्कत होगी। इसलिये माननीय सदस्य इसको वापस लेने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, जब गृह मंत्री जी इस घटना की जांच कराने का आश्वासन दे रहे हैं तो मैं उचित समझता हूं कि इसको वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत ३,३४,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ६,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

मान्यवर, मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। बजट के साहित्य में यह स्पष्ट है और यह आइटम ऐसे हैं जो आकस्मिक हैं और सप्लीमेंटरी में आ सकते हैं। इसमें कुछ टोकेन मांग हैं। आइटम १ में यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ७० वीं जयन्ती मनाई जा रही है। यह विद्यालय इस प्रदेश का एक उच्च विद्यालय है तथा इसने उच्चतर शिक्षा की बड़ी सेवा की है। सरकार ने एक लाख रुपये का अनुदान देने का निश्चय किया है जो बालिकाओं के होस्टल के बनाने में खर्च होगा। इसको हम बजट से मीट कर देंगे, लेकिन विधान सभा की स्वीकृति की आवश्यकता है।

ऐसे ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। जब इसका विधेयक सदन में मौजूद था तो उस समय कहा गया था कि इसमें कृषि और टैक्नोलोजी की शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। उस समय मैंने यह कहा था कि सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि इसकी व्यवस्था करे। १६४ करोड़ भूमि कुसमी हवाई अड्डे की भारत सरकार से कृषि शिक्षा के लिये ली जायगी। भारत सरकार का सेना विभाग इसके लिये तैयार हो गया है। उसकी कीमत देना ह जो १,६५,००० रुपये है। इसकी स्वीकृति विधान मंडल से लेना आवश्यक है इसलिये १०० रुपये की टोकन मांग है।

ऐसे ही गोरखपुर में एन० सी० सी० की स्थापना के लिये मांग है। इसका नाम कम्पनी बटैलियन में बदल गया। इसके लिये खर्चा बढ़ गया है। वह हम बजट से मीट कर लेंगे लेकिन स्वीकृति लेना आवश्यक है इस लिये १०० रुपये की टोकेन मांग है।

श्रीमन्, एक रकम ६ लाख रुपये की है। जैसा कि वाद-विवाद के समय लहरी जी कह रहे थे कि भारत सरकार की योजना है कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कृषि की शिक्षा के लिये वह अनुदान देना चाहती है। उसका नियम यह है कि ५० फीसदी भारत सरकार देगी और ५० फीसदी प्रदेश की सरकार देगी या संस्थायें इसका भार उठायेंगी। ३० संस्थाओं ने जिनको यह अनुदान दिया गया है ५० फीसदी भार उठाना स्वीकार कर लिया है। जब हमने स्वीकार किया तो भारत सरकार से ३ लाख रुपया हमें मार्च में मिला जो स्टेट के रेवेन्यू एकाउन्ट में क्रेडिट हो गया। अब जो खर्चा था उसको कंटिन्जेन्सी फंड से दिया। अब फिर ३ लाख रुपया मिल गया ह, इस तरह से ६ लाख रुपया हो गया है। तो यह ६ लाख रुपया कंटिजेंसी फंड से लेकर दिया जायगा। ३ लाख लिया जा चुका है और ३ लाख देने के लिए है। इस की स्वीकृति चाहते हैं। इसलिए ६ लाख रुपये की मांग रखी गयी है। मैं समझता हूं कि सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनमें अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। आपकी आज्ञा से, और राज्यपाल महोदय की सिपारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह ६ लाख ३ सौ रुपये की पूरक मांग स्वीकार की जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिना विवाद के इस अनुदान को स्वीकृत कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ६,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिपारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९---चिकित्सा---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

इसमें ९ आइटम्स हैं जो कि साहित्य में साफ तौर से बता दिये गये हैं और ये आइटम्स ऐसे हैं जो जनहित के लिए हैं । मैं समझता हूं कि इसमें किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होगी और खास कर लहरी जी को भी आपत्ति हो नहीं सकती । मुझे आशा है कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा ।

(श्री जगन्नाथ लहरी कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये खड़े हुए ।)

श्री अधिष्ठाता---माननीय जगन्नाथ लहरी, ९०० रुपये की तो मांग है इसमें भी कम करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जायगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी---९०० रुपये तो प्रतीक हैं । यह लाखों की है, साहब । एक रुपया एक लाख के बराबर है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने जो अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा के लिए मांग की है उसमें १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं । इसके अन्तर्गत ९०० रुपये की मांग पेश की है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं । मांग अर्थ शास्त्र के उस नियम के अनुसार की गयी है कि अगर अन्दर का साहित्य न पढ़ा जाय तो हर व्यक्ति धोखे में आ सकता है । ९ मदों की मांग की गयी है और विधेयक के द्वारा जितने लाख रुपये की मांग है उसकी १०० फीसदी मांग स्वीकृत करके उसकी ९ मदें १००---१०० फीसदी से ९०० परसेंट हो जाती है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कै लाख की मांग है, जरा बतलाइये ?

श्री जगन्नाथ लहरी---ज्यादा दूर न जाइये, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये १,४२,००० रुपये की मांग है ।

श्री हुकुम सिंहविसेन---अनुचित है ?

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं कब कह रहा हूं कि अनुचित है । मैं तो कह रहा हूं कि ९०० रुपये की मांग कहां है ? मैं यह मानता हूं कि इस देश में चिकित्सा के साधन बहुत कम हैं । इस देश में जैसे-जैसे हम स्वतंत्रता के युग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका योग्यतम डाक्टरों व चिकित्सकों द्वारा इलाज हो । आज सरकारी अस्पतालों में जहां पर दाखिले के लिये चारपाइयां सुरक्षित हैं मुझे पता है कि सैकड़ों व्यक्ति वहां पर आवेदन-पत्र ले कर आते हैं और मांग करते हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अधिष्ठाता महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । ९ मदें इसमें दी हुई हैं । आया हमारे दोस्त उन ९ मदों पर ही बहस कर सकते हैं या जनरल बहस कर सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--जनरल बहस नहीं कर सकते । ९ मदों पर ही कर सकते हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय सदस्य बतलायें कि उन ९ मदों में क्या डिफेक्ट है ?

श्री जगन्नाथ लहरी---अगर स्वास्थ्य मंत्री कुछ देर धैर्य धारण कर लेते तो शायद उन्हें व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की आवश्यकता ही न पड़ती ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—शुरुआत तो आपने ही की थी।

श्री जगन्नाथ लहरी—हर कार्य के लिये एक भूमिका की आवश्यकता होती है। मैं तो स्वयं स्वास्थ्य व चिकित्सा के ऊपर जनता की जो मांग है वह एक भूमिका के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। मैंने यह कटौती इसलिये प्रस्तुत की है कि जो मांग प्रस्तुत है उसका एक मात्र कारण यह है कि जिस राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में चिकित्सा तथा पढ़ाई के लिये आज अनुपूरक बजट में जो मांग प्रस्तुत की है, अगर वह मांग जब सदन में इस संबंध में बजट पेश किया गया था उस समय प्रस्तुत कर देते तो बहुत संभव था कि लखनऊ के अन्दर विद्यार्थियों का यह आन्दोलन ही न होता और इसके कारण एक निरीह रिक्शे वाले मजदूर की जो जान चली गई, जो अपने पीछे स्त्री व बच्चों के परिवार को निःसहाय छोड़ गया, वह कुछ वर्षों तक और जीवित रह सकता था। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने अपने इस अनुपूरक बजट द्वारा एक लम्बे संघर्ष के बाद सदन के सामने आर्थिक सहायता की जो मांग की है उसका तो स्वागत किया ही जायगा, लेकिन मैं आपसे विनम्र शब्दों में पुनः यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजकीय आयुर्वेदिक कालेज की चिकित्सा के लिये १,४२,५०० रुपये की स्वीकृति आपने की है बहुत संभव है उसके द्वारा विद्यार्थियों की मांग की पूर्ति न हो। विद्यार्थियों की मांगों के साथ-साथ आपने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि आप उनके लिये एक अपटुडेट लेबोरेटरी भी खोलेंगे। मैंने इसे पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं भी वह रकम दिखाई नहीं दी जिससे मैं यह समझ पाता कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के जिस अनुसंधान कार्य के लिये एक वेल अपटुडेट लेबोरेटरी के संबंध में हमारे स्वास्थ्य मंत्री बारबार विश्वास दिला रहे थे उसके लिये भी वे मांग कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ १ रुपय की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति में एक क्रान्ति करने की कोशिश की है। मैं यह माने लेता हूं कि जो आयुर्वेदिक शिक्षा के उन्होंने सिद्धान्त स्थिर किये हैं उनको अगर मैं सही मानूं तो भी उन सिद्धान्तों के अनुसार जो कमेटी की रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश हुई है उसका क्या परिणाम आयुर्वेद की शिक्षा पर पड़ता है, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इसमें सब से बड़ी बात उसका पाठ्यक्रम है जिसको आपने निश्चित किया है और उसके बाद पास करने पर विद्यार्थियों को आयुर्वेदाचार्य की उपाधि दी जायगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी कई प्रकार के स्कूल चल रहे हैं। अब आपके कालेज में जो एक व्यक्ति पढ़ेगा, पांच साल तक फीस देगा और अपना समय लगायेगा उसको भी आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त होगी और दूसरा आदमी कहीं न पढ़ते हुए, यदि वह सरकारी नौकरी करता है तो उसके होते हुए भी परीक्षा देकर आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त कर सकता है। उसमें उसको केवल १५, २० रुपया फीस देनी पड़ेगी और उसको सरकार रिकग्नाइज करती है। यह एक बड़ी दिक्कत है कि उनकी बराबर मान्यता हो। इंडियन मेडिसिन ऐक्ट के शेड्यूल ३ के मुताबिक यह है। यह एक विषम स्थिति है कि एक व्यक्ति जो इतना समय और पैसा बरबाद करे उसको वही मान्यता हो जो उस व्यक्ति को हो जिसने केवल एक परीक्षा पास कर ली है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक परीक्षा संस्था है और उससे निकले हुए विद्यार्थियों को उपाधियां मिलती हैं। उसी प्रकार आयुर्वेद विद्यापीठ भी एक संस्था है। उसमें परीक्षा प्रवेश के लिये किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। चहर्रुम पास हों अथवा एम० ए०, आप परीक्षा दें और सर्टिफिकेट लें। मेरा कहना यह है कि उसकी मान्यता को रद्द करना चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर शीघ्र ही विचार करना चाहिये।

दूसरे आपने यह निश्चय किया है कि जितनी आयुर्वेद की संस्थायें चलेंगी उनका पाठ्यक्रम यह होगा और यही उपाधि सब को दी जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में नाना प्रकार की संस्थायें चल रही हैं और उनके विभिन्न साधन हैं। कोई

१० हजार सालाना के वार्षिक खर्च से चलती है, कोई २०,००० और कोई ५०,००० । तो उनके साधन भी भिन्न हैं और उपकरण भी । उसी प्रकार विद्यार्थी भी अलग-अलग हैं । तो इन सब में समानता न होने के कारण एक ही पाठ्यक्रम सब में कैसे चल सकेगा । यह एक हास्यास्पद बात होगी क्योंकि सब के साधन बराबर नहीं हैं । तो सब को समान मान्यता कैसे मिल सकती है ? इसका परिणाम यह होगा कि जिन संस्थाओं के पास साधन कम हैं उनको तोड़ देना होगा, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले १० सालों में न मालूम कितनी संस्थाओं को नोटिस देने के बाद भी वह तोड़ी नहीं गयीं और वह आज भी चल रही हैं कि जिनके साधन और उपकरण कम हैं । जिनके साधन कम हैं, उपकरण कम हैं, उनको बराबर मान्यता दी जाती है, इससे एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है । यह भी सुनने में आया है कि अब सरकार कुछ मजबूत कदम उठायेगी और ऐसी संस्थाओं को तोड़ देगी । तो उनको मालूम होना चाहिये कि कौन-कौन संस्थायें तोड़ी जायंगी ताकि वे विद्यार्थियों को भरती न करें और अपने यहां और रुपया इन्वेस्ट न करें । सरकार ने यह भी नहीं बताया कि किस स्टैंडर्ड के कालेज चलाये जायेंगे । कोई स्टैन्डर्ड सरकार ने अभी तक नहीं बताया है कि मिनिमम स्टैन्डर्ड क्या होगा । इसकी आवश्यकता है कि यह बताया जाय और बताया जाय कि कौन संस्थायें चलेंगी और कौन तोड़ दी जायंगी । अगर कोई स्टैन्डड सरकार ने तय नहीं किया है तो बड़ा अन्याय होने वाला है । उससे जो जोर दबाव वाली संस्थाय होंगी वह तो चलती रहेंगी और बाकी नहीं चल पायेंगी । जो संस्थायें साधन सम्पन्न हैं और जो साधन हीन हैं , दोनों प्रकार की संस्थाओं को मान्यता देना एक अन्याय की बात है । इसलिये जिस उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि यहां बहुत ही साधन वाली और बिना साधन वाली संस्थायें हैं, कम से कम उनके दो स्तर तो अवश्य ही रख दिये जाने चाहिये । हमारा अनुभव यह बताता है कि सरकार लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज पर भी पूरा खर्चा नहीं कर पा रही है । वहां के लिये उसको योग्य अध्यापक और प्रिन्सिपल नहीं मिल पा रहे हैं । तो फिर सभी संस्थाओं का सरकार खर्चा किस प्रकार बरदाश्त करेगी ? इसलिये सरकार को चाहिये कि जो संस्थायें साधन सम्पन्न नहीं हैं उनको सरकार को नोटिस दे देना चाहिये ताकि वे आगे के लिये विद्यार्थियों को भर्ती न करें, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है इसलिये विद्यार्थी और अध्यापक दोनों असमंजस में पड़े हुए हैं । अपने लिये कोई बात भी तय नहीं कर पा रहे हैं ।

परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को मान्यता देने का परिणाम यह हो रहा है कि उनकी उपाधियां दिनों दिनों अधिक बंट रही हैं और तेजी से वे तरक्की करती जा रही हैं । सरकार अब भी उनकी मान्यता को बराबर जारी रखे हुए है । उनको साधन सम्पन्न संस्थाओं की जो बराबरी दे दी गयी है यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है । सरकार को यह चीज तुरन्त समाप्त कर देनी चाहिये ।

सरकार ने एक चीज बहुत अच्छी की है, उसके लिये वह बधाई की पात्र है और वह यह कि ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों को वही वेतन दिया जायगा जो मेडिकल कालेज के अध्यापकों का है । इन सब बातों को करने के लिये सरकार को शीघ्रता करनी चाहिये और शिक्षा का मिनिमम स्टैन्डर्ड अवश्य ही तय कर दिया जाना चाहिये । केवल स्टैन्डर्ड कालेजेज को रखा जाय बाकी सब को तोड़ दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य उन्हीं बातों को बार-बार रिपीट कर रहे हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खुशी है कि लहरी जी को नौ मदों में से सिर्फ एक मद में ही कुछ नुक्स दिखायी पड़ा और आठ मदों के बारे में उन्होंने कुछ भी कहने का प्रयास नहीं किया । जहां तक आयुर्वेद कालेज का संबंध है लहरी जी ने उससे संबंधित साहित्य को कदाचित् गौर से नहीं पढ़ा, नहीं तो उनको मालूम होता कि कूजे

[श्री हुकुमसिंह बिसेन]

में समुद्र भरा पड़ा है । इक्विपमेंट ही में लेबोरेटरी का सामान भी आ जाता है । हो सकता है सकता है उनको इसके पढ़ने के लिये समय भी न मिला हो क्योंकि उनको आज बहुत बड़ा काम करना पड़ा । उनको सारा बजट ही पढ़ना पड़ा होगा । फिर रहने के स्थान में बहुत शांति न होने की वजह से भी वे अच्छी तरह से न पढ़ सके होंगे । यही वजह थी कि उन्होंने कौंसिलर्स रेजीडेंस के बारे में शिकायत की । उनकी शिकायत जां भी थी और उनकी मांग काबिले मंजूर है ।

जहां तक वैद्य जी का संबंध है, उनको शायद गलतफहमी रही और वह इसको जनरल बजट समझ गये । उन्होंने इस सिलसिले में सिलेबस का भी जिक्र किया । उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ने कोई स्टैन्डर्ड कायम नहीं किया है । हमने तो बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन बना दिया है, वही सब संस्थाओं को मान्यता देता है, उसके लिये रूल बनाती है । संस्थाओं को रिकग्नाइज करने का अधिकार बोर्ड को ही है । चाहे किसी को वह मान्यता दे और चाहे किसी को न दे । बजाय बोर्ड की शिकायत करने के उन्होंने गवर्नमेंट की शिकायत की । गवर्नमेंट ही सब से कमजोर है कि जब चाहे और जहां चाहे उसकी शिकायत करने लगे । मदों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही । इसलिये उसकी तो उनको कोई शिकायत मालूम नहीं देती है ।

लहरी जी ने सब पर कृपा की । मुझे मालूम नहीं मुझ पर वे कृपा करेंगे या न करेंगे लेकिन इसमें कोई ऐसी मद नहीं है जिसमें एक पैसा भी कम करने की गुंजाइश हो क्योंकि कहीं दवायें भेजना है, कहीं अस्पताल खोलना है तो कहीं डाक्टर भेजना है और कहीं आयुर्वेदिक कालेज के लिये इक्विपमेंट्स का प्रबन्ध करना है । यही मदें इसमें हैं जो सब जनहित की हैं और अगर उसमें एक पैसे की भी कटौती हो, जाय एक रुपया तो बहुत ज्यादा होगा, तो उससे जनहित को धक्का पहुंचेगा । मैं समझता हूं कि लहरी जी को जनहित को धक्का नहीं पहुंचाना है । अकेले हैं तो क्या, हमारे साथ कोआपरेट करने के लिये वे इसको मंजूर करेंगे ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैंने कहा, चिकित्सा के क्षेत्र में जनता की बड़ी-बड़ी मांगें हैं और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि इसमें कटौती करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं इस अनुपूरक बजट के अतिरिक्त एक बात की तरफ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कटौती तो कटौती है, श्रीमन्, जो संस्थायें आपको रुपया देना चाहती हैं उसको भी आप नहीं लेना चाहते हैं । उदाहरण के लिये फिरोजाबाद की नगरपालिका ने स्थानीय सरोजनी नायडू अस्पताल में आई० डी० एच० के लिये ३०,००० रुपया रखा है तथा ५,००० रुपया प्रति वर्ष नगरपालिका इसके संचालन को एड के तौर पर देने के लिये तैयार है लेकिन सरकार उसे नहीं ले रही है । कटौती तो कटौती है, जो संस्थायें आपको रुपया देना चाहती हैं उसको भी आप नहीं लेते हैं । मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव को वापस लेता हूं लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मतदाताओं के उन प्रस्तावों की तरफ भी ध्यान कर लिया करें तो जनहित का कार्य बहुत ज्यादा हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती-प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनूपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

इसमें सिर्फ दो मदें हैं जो बड़ी जरूरी हैं और बजट साहित्य में दी हुई हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, जब हम लोग जनहित का काम करने लिये तैयार हैं तो हम सब लोगों को जनहित के कार्य में सहयोग करने के लिये तैयार रहना चाहिये और जब ऐसी बात है तो फिर जन-स्वास्थ्य के मद में ही क्यों कटौती का प्रस्ताव रखा जाय? मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपने उसे पेश ही नहीं किया तो उसे वापस लेने का क्या सवाल है?

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—जन स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[इस समय ४ बज कर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।]

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) और खोज

कृषि मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास, अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) और खोज—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत ६०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, इसमें ज्यादा तो मुझे कुछ कहना नहीं है। यह तो जो ८, ९ डिग्रियां हैं इसकी मांग है, उसमें दो तो ऐसी हैं जो अदालत की डिग्री के बारे में ह और बाकी करीब-करीब सभी ऐसी चीजें हैं जो कृषि में खोज करने की बातें हैं और जिसमें बहुत-सा रुपया अधिकांश केन्द्रीय सरकार देती है। इसलिये उसमें भी मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह की खोज हो जाय तो हमारे प्रदेश का उससे बहुत लाभ होगा। एक रकम उसमें ऐसी है जो कि फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर को पूरा करने के लिये है। वह तो एक आमदनी की मद है। उसमें जो कुछ खर्चा होगा उससे ज्यादा उसकी आमदनी होगी। इसलिये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर कोई वाद-विवाद की आवश्यकता हो और इसलिये मैं आशा करता हूं कि उस पर, सदन अधिक समय नहीं खर्च करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को पेश करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि बिना विवाद के ही इस अनुदान को स्वीकृत कर लिया जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २१ के संपूर्ण धन ६०,८०० रुपये में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, इस संबंध में जो अनुपूरक अनुदान है उस सिलसिले में एक फर्टिलाइजर के लिये विशेष तरह से १४,८०० रुपये की व्यवस्था की गई है। इस देश की खाद्य की समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि हम देख रहे हैं कि बराबर इस समस्या को लेकर के लगातार जब से

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

डीकंट्रोल हुआ १९५१ से, तब से १९५४ को छोड़कर बराबर कुछ न कुछ इस प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय सरकार से सहायता लेनी पड़ी या ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी जो पार्शियल राशनिंग की कही जा सकती है और इस वक्त भी इसी समस्या को लेकर श्रीमन्, विरोधी दल के लोग आन्दोलन चला रहे हैं। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये जहां तक उत्पादन का प्रश्न है फर्टिलाइजर के द्वारा या जैसे सिंचाई की व्यवस्था करनी है, इस समस्या को लेकर के हमें विशेषतौर से विचार करना चाहिये। यह जो प्रदेशीय सरकार की योजना है फर्टिलाइजर की कि शुद्ध खाद मिल सके, कोई ऐसी-वैसी चीज उसमें न मिलायी जा सके, उसका मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारे यहां और भी खादें हैं देशी खादें गोबर की या और भी ग्रीन मैन्योर वगैरह, इसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। हमने देखा कि जिन खेतों में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल किये गए उन खेतों का उत्पादन तीन-चार साल के बाद गिर गया। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां वे यह व्यवस्था कर रहे हैं फर्टिलाइजर हो, वहां उसके साथ-साथ देशी खादों को बनाने की सुव्यवस्था और किसानों में उसके लिये अभिरुचि पैदा करने में भी प्रोत्साहन दें। उसके लिये भी अनुदान में कुछ रकम रखे होते तो इस सदन को विशेष प्रसन्नता होती और मैं इस तरफ उनका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्रीमन्, दूसरा जो आइटम है इसमें फलों के बारे में है--आम का विषय है। यहां उत्तर प्रदेश में आम की फसल विशेष तौर से होती है। उन्होंने एक व्यवस्था इसमें की है कि जिसमें आम के वृक्षों को ठीक तरह से देखा जा सके कि किस तरह से दस-पन्द्रह वर्ष पुराने होन के बाद भी वह अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था वह एक स्थान पर किसी एक जिले में करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी संभव हो उस योजना की छोटी-छोटी शाखायें करके जहां-जहां आम के वृक्ष हों, उसको लागू करें। हमारे यहां आम के वृक्ष बहुत हैं। 'ग्रो मोर फूड' तथा 'ग्रो मोर प्लांट' के सिलसिले में प्लांट लगाने की हमारी योजना है कि हम और वृक्ष लगायें। लेकिन वे वक्ष तीन-चार वर्ष के बाद बेकार हो जाते हैं, किसी बीमारी की वजह से या और किसी कारणवश फल आकर गिरते रहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम हमारे प्रदेश का मुख्य फल है। उसके बारे में कोई ऐसा अनुसंधान कराया जाय, इस तरह की खाद की व्यवस्था उसके लिये की जाय कि आम की फसल प्रति वर्ष हो। इससे अभावग्रस्त क्षेत्र का बड़ा भारी संकट टल जायगा क्योंकि आम की फसल ऐसी ऋतु में होती है कि जिसमें वह प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो सकता है और वह भी बिना किसी विशेष व्यय के। इसलिये इस योजना के बारे में मेरा एक सुझाव है कि एक अंग में नहीं, बल्कि इस योजना की सफलता में कहीं शंका हो तो कहीं मुख्य स्थान पर रख करके अनुसंधान कर लिया जाय और तब इसको सब जगह लागू किया जाय। आम के फल ठीक फल सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। आम के कितने वृक्ष में उसके आंकड़े तैयार किये जायं और किस तरह से उनको व्यवस्थापित करके उनकी फसल को खराब होने से बचाया जाय इसके लिये भी व्यवस्था की गई है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

एक बात यह है कि जो काटन क्राप और बलिया बारली तथा बस्ती में पैडी की व्यवस्था है, काटन के टेस्ट के लिये जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो कीड़ा लग रहा है उससे काटन की पैदावार कम होने लगी है। तो उस संबंध में कहना चाहता हूं कि और भी जो फसलें हैं उनमें जो कीड़ा तेजी से लग रहा है, इस वर्ष प्रदेश के पूर्वी जिलों में जो कीड़ा गंधी बग्स लग रहा ह उसके बारे में भी अनुसंधान करायें।

अन्न की समस्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए चूहे मारने की स्कीम रखी है कि फसल को बहुत नुकसान करते हैं, इसलिये उस स्कीम को चालू करके चूहे मारे जायं और अन्न बच सके। उससे ज्यादा यह है कि जैसे बीज बंटता है, बलिया में जौ का बीज बांटा गया, वह बहुत लेट बोया गया लेकिन फसल नहीं आयी। इसी प्रकार बस्ती में पैडी के बीज का हाल

हुआ। देवरिया में एक गांव में ऐसा बीज बांटा गया। वह रबी की फसल के लिये बांटा गया और सब बेकार रहा, धान की फसल भी खराब हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन की दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा और अपने अधिकारियों को विशेष कर चेतावनी देनी पड़ेगी कि जो बीज देते हैं वह ठीक होना चाहिये। क्योंकि बीज गलत मिलने से हजारों एकड़ खेत खराब हो जाता है। तो खाद्य की समस्या व्यापक है, इसको विशेष सावधानी से हल किया जाय और जो खामियां मैंने बतायीं उनकी तरफ अधिकारियों को विशेष रूप से सावधान किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री द्वारा उपस्थित अनुदान का समर्थन करती हूं। निःसन्देह यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कटौती के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह तो ऐसा विषय है कि इसमें और भी धन मांग लिया जाता तो कोई हर्ज नहीं होता। मैं तो इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में मैंने कहा था कि होर्डिन्ग नहीं है। अगर होर्डिन्ग को मान लिया जायगा तो उससे एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---इससे क्या सम्बन्ध है?

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी---और आज के अखबारों से यह भी पता लगा है कि चन्दौसी, बरेली और मुरादाबाद में जखीरों पर छापा मारा गया तो कुल एक ही मंडी चन्दौसी में १,२०० मन गल्ला मिला। बाकी जगह कुछ नहीं प्राप्त हुआ, न मुरादाबाद में, न बरेली में। एक खतरनाक बात यह हो गई कि बाहर से मंडियों में अनाज आना बन्द हो गया है जिससे गांव में अनाज भी नहीं रहा है और गांव के अन्दर जो छोटे-मोटे व्यापारी थे, जिनके पास बीज के लिये गेहूं रखे हुए थे, उसको उन्होंने ज्यादा पैसे की लालच में बेचना शुरू कर दिया और उनका कायदा यह था कि वह सवाई पर बीज देते थे। इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ कुछ आंकड़े आप के सामने रखूंगी कि गेहूं में ९२,७०,२७२ एकड़ जमीन यू० पी० में बोई जाती है, बारली में ४३,६७,३२७ एकड़ जमीन बोई जाती है, पीज में २४,५५,९४८ एकड़ जमीन बोई जाती है और ग्राम में ६३,७०,६८३ एकड़ जमीन बोई जाती है। इतनी भूमि के लिए लाखों मन बीज की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि आने वाली फसल के लिये लोग इन चीजों के बीज को बचा सकें। इससे आगे पैदावार हम अच्छी कर सकेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आगे आने वाले मोटे अनाज का ज्यादा इस्तेमाल करके हम बीज के लिये अनाज बचा सकें और आगे भाव न बढ़ें, वह चीज अभी से ठीक कर लें। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी कि इस समय जो सरकारी कर्मचारी हैं वे अधिक से अधिक बीज जमा करायें और दूसरे हम व्यापारियों को यह विश्वास दिलायें कि वस्तुस्थिति को हमने जांच लिया है और कोई होर्डिंग नहीं है और उनके मन से यह भय निकल जाय ताकि वे बाहर से माल मंगावें। इससे गल्ला जो कम हो रहा है वह नहीं होगा। मैं अपने को शायद स्पष्ट नहीं कर पाई हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहती थी कि अभी दो मास लोग मोटा नया अनाज खा लें, लेकिन बीज के लिये खास तौर से प्रबन्ध किये रहें और अभी से हम अपने आप को चेतावनी दे लें कि हम एक एक बीज की रक्षा करेंगे। इसलिये बीज का प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि आने वाले खतरे का मुकाबला करने का मौका ही न आये। इसलिये इस सुझाव को सामने रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

***श्री मोहनलाल गौतम**---अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि त्रिपाठी जी का कटौती का प्रस्ताव है मैं तो यह समझा कि उनको बोलने का अवसर मिला और उन्होंने मेरी इस मांग का पूरेतौर से समर्थन किया। जहां तक देशी खाद और गोबर का सम्बन्ध है इसमें कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल गौतम]

दो रायें नहीं हैं कि इसके साथ-साथ अगर उसका प्राविजन होता तो यह मालूम होता कि उसका इन्तजाम है, यह सही नहीं है उसका इन्तजाम है और उसके उपर काफी जोर दिया जाता है।

उन्होंने आम के बारे में कहा। मैं निवेदन करूंगा कि आम की खोज के लिये बस्ती में भी एक केन्द्र खुला हुआ है और वहां भी कई चीजों पर खोज हो रही है जिनमें आम भी है। कुछ ऐसे आम के पौधे भी हैं जो साल में २ फसल देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन पर १२ मास आम आते हैं। इसलिये इस तरह का प्रबन्ध हो रहा है।

जहां तक काटन पेस्ट्स का सम्बन्ध है उसका इन्तजाम भी है और जो गन्धी वगैरा दूसरे कीड़े हैं उनका भी इन्तजाम हो रहा है। एक बात उन्होंने कही थी बीज के बारे में। यह सही है कि कुछ जगह बीज खराब दिया गया था और इसी वजह से वह बीज उगा नहीं। मैं बस्ती खुद गया था और मैंने वहां जाकर देखा कि ८-९ हजार एकड़ जमीन ऐसी थी जिस पर वह बीज जो दिया गया था नहीं उगा। मैंने उसके बाद उस बीज की वसूली माफ कर दी और वहां यह इन्तजाम हो गया कि जितनी जगह अर्ली पेडी का बीज देकर लेट पैडी का हुआ था उस सबके एक-एक एकड़ को बोने की कोशिश की और जो आंकड़े मुझे उसके मिले थे उसमें सिर्फ १८२ एकड़ जमीन बाकी रह गयी थी और उसके लिये भी मैं जिले के अधिकारियों को हिदायत कर आया था कि वे अच्छी तरह से इन्तजाम करें ताकि वह जमीन भी बोई जा सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक भी एकड़ जमीन बाकी न रहे जिसका इन्तजाम न हो सके। उसके लिये तकाबी और बीच के इन्तजाम के लिए कोशिश की गयी और मुझे खुशी है कि उसमें सफलता मिली और कोशिश यह की गयी कि एक भी एकड़ जमीन बोने से बाकी न रह जाय।

तीसरा काम मैंने वहां जाकर यह किया कि डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर, बस्ती, डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर आफिसर, गोरखपुर और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर, गोरखपुर, इन तीनों अफसरों को वहीं सस्पेंड कर दिया जिससे कि यह मालूम हो जाय कि इस तरह की गलती को आगे बरदाश्त नहीं किया जायगा और उसकी तहकीकात डिप्टी डायरेक्टर, गोरखपुर डिवीज़न के सुपुर्द कर दी। उसका नतीजा यह होगा कि अगर वे लोग बेकसूर होंगे तो बहाल हो जायंगे और अगर कसूरवार होंगे तो सजा पायेंगे। इस तरह से इसका इन्तजाम किया जा रहा है और हम नहीं चाहते कि किसी की गलती से एक एकड़ जमीन भी खराब हो।

गोईंदी जी ने जो कहा है उसमें, अध्यक्ष महोदय, आपने काफी छट दे दी है। सबका जवाब दूं तो शायद आप मुझे 'आर्डर', 'आर्डर' कह कर बैठा देंगे।

श्री अध्यक्ष---सिर्फ एक चीज का उत्तर दे दीजिए कि जो बीज के बारे में उन्होंने कहा था।

श्री मोहनलाल गौतम---बीज के बारे में मैं यह कहूं कि उसका अन्दाज हमने कर लिया है। जिले से आंकड़े मंगा लिये हैं, जितने बीज की जरूरत है उसका इन्तजाम कर रहे हैं और जितना सस्ता हम इन्तजाम कर सकेंगे वह करेंगे। हमारे बीज गोदामों में बीज है और हमको यह आशा है कि केन्द्र भी हमको गेहूं और चने के बीज देने में सहायक होगा, क्योंकि केन्द्र ने गेहूं के बीज देने का वादा किया है और हमारे सेक्रेटरी आफ ऐग्रीकल्चर देहली गये हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हर एक एकड़ के लिए, जो भी इस सूबे में जमीन है, उसके लिए हम बीज का इन्तजाम कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस अनुदान को सदन सहर्ष सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मैं माननीय मंत्री जी की कृषि के प्रति जागरुकता के लिए आभार प्रकट करते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१---कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) और खोज---लेखा शीर्षक ४०---कृषि के अन्तर्गत ६०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७---लेखा शीर्षक ४३---उद्योग

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७---उद्योग---लेखा शीर्षक ४३---उद्योग के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसमें तो थोड़ी सी चीजें हैं कि इंडस्ट्रियल एग्जीवीशन होने जा रही है और उसमें समस्त संसार भर के बड़े-बड़े इंटर नेशनल बैंक वगैरह सम्मिलित हो रहे हैं और यह गवर्नमेंट भी शरीक होगी। इसमें २-४ वहीं की मदें हैं जो इस साहित्य में विस्तार से दी गयी हैं और उनके आकस्मिक व्यय होने के कारण भी इसमें लिख दिये गये हैं। इसलिए मैं अधिक कहना आवश्यक नहीं समझता हूं और आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन इसको सहर्ष स्वीकार करेगा।

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग उपमंत्री ने जो अनुदान संख्या २७ से सम्बन्धित राज्यपाल की आज्ञा से १,००० रुपये की धनराशि की स्वीकृति के लिये मांग प्रस्तुत की है मैं उसमें १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

यद्यपि मैं इस अनुदान संख्या में जो चुर्क फैक्टरी के मजदूरों को प्राविडेंट फंड देने की व्यवस्था की गयी है उसका स्वागत करता हूं और मजदूरों की तरफ से आपके द्वारा इस मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजकीय मजदूरों को प्राविडेन्ट फंड की सुविधा देना प्रारम्भ किया, लेकिन एक बात मैं नहीं समझ सका, इसीलिये मुझे इसमें कटौती का प्रस्ताव पश करना पड़ा। आज जब राष्ट्रीय संकट है, जब एक-एक पैसा बचाने की आवश्यकता है तब इस प्रकार प्रदर्शनियों में लाखों रुपया व्यय करना, जो हमारे प्रदेश की सरकार को सूझा है उसकी प्रशंसा की जाय या विरोध यह मेरी समझ में नहीं आया। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की हालत यह है कि अमरीका में तीन व्यक्तियों के पीछे एक मोटर है। उनके पास इतना अन्न है कि दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं और जला भी देते हैं, लेकिन हम दाने दाने के लिये मोहताज होकर विदेशों के सामने झोली पसार रहे हैं कि भूखे भारतीयों को बचाने के लिये हमें अनाज से सहायता दीजिये। अभी ३, ४ वर्ष से व्यापार के ऊपर एक बड़ी रुकावट आ गयी है और वह इसलिये कि हमारे देश की विदेशी पूंजी, स्टर्लिंग समाप्त हो चुकी है। तो आज जब कि हमारी विदेशी पूंजी समाप्त हो चुकी है, भूख से तड़पते हुये नागरिकों के जीवन को बचाने के लिये हम विदेशों के सामने झोली पसार रहे हैं, कर्ज के लिये हर देश का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि भारत के विकास के लिये हमारी आर्थिक सहायता कीजिये तो हमारी समझ में नहीं आता कि वह भिखारी देश...

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री जगन्नाथ लहरी---बहुत अच्छा। .....आज इतना खुश है इस अवस्था में भी कि लाखों रुपये प्रदर्शनी पर व्यय करेगा। अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा ७,४६,५०० रुपये है।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

केन्द्रीय सरकार के हिस्से में मैं समझता हूं कई करोड़ रुपये होंगे। मैं आपके द्वारा इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह भारत सरकार से यह मांग करे कि ऐसे अवसर पर जब कि एक-एक पैसे को बचाने की आवश्यकता है हमें इन प्रदर्शनियों को समाप्त कर देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिये अधिक न कह कर जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७---उद्योग---लेखा शीर्षक ४३---उद्योग के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७---उद्योग---लेखा शीर्षक ४३---उद्योग के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८---लेखा शीर्षक ४७---श्रम

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८---श्रम---लेखा शीर्षक ४७---प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य-निर्माण-कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---सार्वजनिक निर्माण -कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य---निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४,५३,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२---यातायात के साधनों का सुधार---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य---केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष सहायता

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस पर कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं अतः बोलने की अनुमति दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब समय समाप्त हो गया। अब मैं सब पर राय लूंगा। पहले समय निश्चित हो चुका था कि साढ़े चार बजे के बाद कोई वादविवाद नहीं होगा।

अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५--दुर्भिक्ष सहायता--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष तथा दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १९,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण व्यय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--प्रकीर्ण व्यय--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत ६,३१,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--असाधारण व्यय--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत २६,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक : ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गत १२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६८ सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का संपादन--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--औद्योगिक विकास--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ११,४६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत २,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ७०--जन-स्वास्थ्य संबंधी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२--राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--कृषि अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) सरकारी बस सर्विसों आदि पर पूंजी की लागत--लेखा शीर्षक ७०--जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२--राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ४,०५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२--ऋण और अग्रऋण--लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ३,४८,९८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष--अब वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांगेंगे। इसके बाद मैं उसको वितरित करा दूंगा।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, म प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ [The U. P. Appropriation (First Supplementary 1958--59) Bill, 1958] पुर :स्थापित करने की आदरणीय सदन अनुज्ञा द ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामस्वरूप यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ क्षणों के उपरान्त)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, अभी आदरणीय सदन ने विभिन्न ग्रांटों के सम्बन्ध में बहस करके ४,०९,८६,६०० रुपये की मांगों को स्वीकार किया है, इसके लिए आवश्यकता है कि एक विधेयक लाया जाय । वह मैं इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यद्यपि इस विधेयक की जिन मांगों पर विवाद हुआ है मैंने लगभग सभी में भाग लिया है, इसलिए मैं अपनी बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं वित्तमंत्री महोदय का ध्यान उन्हीं के द्वारा इस सदन को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का जो स्मृति-पत्र दिया गया है उसके पृष्ठ ५२ की ओर ले जाना चाहता हूं । यह मुझे इसलिए करना पड़ा कि इसमें एक सिद्धान्त निर्धारित किया जा रहा है । इसमें लिखा है---"परिवहन आयुक्त तथा मुख्य मंत्री के सचिव के लिए १९५६-५७ में बनाये गये दो आवास गृहों पर होने वाले व्यय की सीमा ५०,००० रुपये प्रति आवास गृह के हिसाब से निर्धारित की गयी थी यद्यपि वास्तव में औसत वेतन के आधार पर एक आवास गृह लगभग ६४,००० रु० की लागत का निर्मित किया जा सकता था । अब भवन निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने से इसी प्रकार के आवास गृहों के निर्माण की लागत ५५,००० रु० होगी । इसके अतिरिक्त निर्माण स्थल के विकास के लिये १५,००० रु० की भी आवश्यकता होगी । इस प्रकार निर्माण की कुल लागत, जिसमें निर्माण स्थल का विकास व्यय भी सम्मिलित है, २,३५,००० रु० होगी । व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत हुई बचतों से पूरा किया जायगा ।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी का ध्यान इन लाइनों की ओर दिलाना चाहता हूं---"आवास गृहों पर होने वाले व्यय की सीमा ५०,००० रु० प्रति आवास गृह के हिसाब से निर्धारित की गयी थी, यद्यपि वास्तव में औसत वेतन के आधार पर एक आवास गृह लगभग ६४,००० रु० की लागत का निर्मित किया जा सकता था ।"

अध्यक्ष महोदय, इसका यह मतलब है कि आज हमारे इस प्रदेश के वे अधिकारी, जिन को कि हम विरोधी लोग नौकरशाही के नाम से पुकारते हैं, मकानों के ऊपर खर्च करने का भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्रस्तुत करने लगे हैं । आज हमारे परिवहन विभाग के आयुक्त और मुख्य मंत्री और सचिवों के आवास गृहों पर २,३५,००० रु० खर्च होगा, लेकिन इस सदन के ऊपर यह उदारता दिखाई जा रही है कि उनके वेतन के अनुसार जो निर्धारित निधि थी कि ६४,००० रुपया प्रति आवास गृह खर्च हो, उसमें उन्होंने उदारतापूर्वक कमी करके ५०,००० रुपया प्रति आवास गृह ही मंजूर कराया है; लेकिन दुर्भाग्य है प्रदेश में आवास गृहों के बनाने के सामानों की कीमतों में यकायक बढ़ोत्तरी हो गयी और वह आवास-गृह अब ५५,००० रुपये में तैयार होगा । ५५,००० से कितना रुपया खर्च हुआ और अगर ६४,००० में एक आवास-गृह तैयार होता है तो कितना रुपया खर्च हुआ ? ६४,०००० रुपये से १,२८,००० रुपया व्यय होगा,

[श्री जगन्नाथ लहरी]

लेकिन दो आवास गृहों के लिये २,३५,००० रुपया खर्च किया जा रहा है। फिर भी सदन के ऊपर यह अहसान है कि वेतन के अनुसार उनके आवास गृहों पर कम रुपया खर्च किया जा रहा है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह चेते, हवा का रुख देखे। चाहे मंत्री या उपमंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लिये या विधायकों के लिये मकानों की व्यवस्था न हो सके, लेकिन हमारे अधिकारियों के लिये आवासगृह बनाये जा रहे हैं। उनके वेतन के अनुरूप ही उनके आवास गृहों पर रुपया खर्च किया जाता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं इस सदन में एक नया सदस्य हूं। पुराने सदस्य यहां उपस्थित हैं, मंत्री भी उपस्थित है, वे जरा सदन को यह भी बतलाने की कृपा करें कि किस वेतन के अधिकारी के लिये कितना रुपया आवास गृह में खर्च करने की व्यवस्था है? शायद यह प्रश्न ही न उठता अगर मांग-पत्र में यह न लिखा होता कि "वेतन के औसत से ६४,००० रुपया व्यय होना चाहिये था।"

अध्यक्ष महोदय, मैं यह एक नया संकेत कर रहा हूं और संकेत यह है कि जहां हमारे प्रदेश के अधिकारी सरकारी आज्ञाओं को नहीं मानते, जैसे मैंने स्टाफ कारों के बारे में बतलाया, वही अधिकारी लोग अब अपने रहने के लिये मकानों पर खर्च करने के लिये एक नया जन्मसिद्ध अधिकार इस सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उपमंत्री या मंत्री महोदय २५-२५ हजार रुपये की लागत की कोठियों में रह सकते हैं। लेकिन उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये वेतन के अनुरूप, जो ६४,००० रुपये से कम की न हो, कोठी चाहिये। ५५,००० रुपया खर्च किया जा रहा है। यह एक अहसान है सदन पर। फिर पता नहीं कि दो कोठियों पर जो २,००,००० रुपया व्यय करने के लिये मांगा जा रहा है वह किस हिसाब से? अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी खटकने वाली बात है कि जिसका स्पष्टीकरण होना नितांत आवश्यक है। यदि हमने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया कि परिवहन विभाग के आयुक्त और माननीय मुख्य मंत्री के सचिव के लिये वेतन के अनुरूप कोठी बनायी जाय और उन पर इतना रुपया खर्च किया जाय तो फिर "खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है," इसे हम को याद रखना चाहिये। यह सिद्धान्त निर्धारित हो जाने के बाद हर अधिकारी इसकी मांग करेगा।

गत वर्षों में अधिकारियों के आवास के लिये सरकार ने जो निर्माण किया है अगर वे उनके वेतन के अनुरूप न हुए तो वे इस बात की मांग करेंगे कि हमारा वेतन इतना है, हमको अपने स्टैंडर्ड की कोठी दी जाय। तो यह प्रदेश के लिये एक नया संकट होगा। यहां के अधिकारी अपने लिये एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, इस मांग को मानने के बाद सरकार और इस सदन के सामने जो कठिनाइयां आयेंगी उनका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। फिर तमाम अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की मांग आ सकती है और हम करोड़ों रुपया खर्च करके भी उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि अधिकारियों को सरकार कोठी दे, लेकिन यदि वह उनको पसंद नहीं है तो सरकार उनके लिये किराये की व्यवस्था करे। लेकिन इस सिद्धान्त को मान कर सरकार अपने गले में एक हड्डी न बांधे.....

श्री अध्यक्ष--अब आप संक्षेप में ही कहें।

श्री जगन्नाथ लहरी--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं और बातों पर प्रकाश न डाल कर सिर्फ इसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं और चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बात को मुझे समझाने की कृपा करें। अधिकारियों की इस प्रकार की हठवादिता के आगे सरकार को सिर नहीं झुकाना चाहिये। पहले उन्हें अपनी तरफ से कोठी दी जाय, किन्तु यदि वे उसे नहीं लेना चाहते तो उसके लिये किराया निर्धारित किया जाय, लेकिन वेतन के अनुरूप कोठी देने की बात सदन का अपमान है। मेरी राय में यह सिद्धान्त सदन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो विधेयक रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं और चन्द बातें दुर्भिक्ष सहायता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे पूर्वी जिले, बनारस गोरखपुर डिवीजन पिछले पांच, सात सालों से बराबर बाढ़ और सूखा से पीड़ित रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि वहां यह एक परमानेन्ट समस्या हो गई है। सरकार के जितने कार्य इसके लिये हो रहे हैं वे ठीक हैं, टस्ट वर्क भी खोले जा रहे हैं, रिलीफ भी दी जा रही है यह सब सही है, लेकिन इस सब क होते हुए भी हमारी हालत सुधर नहीं पा रही है और दिक्कतें दूर नहीं होतीं। तो मेरा आप के द्वारा सरकार से निवेदन है कि कुछ तेज और बड़ा काम वहां किया जाय। आजमगढ़ में १९०४ में जब सूखा पड़ा तो वहां एक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। हमारे यहां के जनप्रतिनिधियों और कई लोगों ने सरकार का ध्यान कुछ रेलवे लाइनों के निर्माण करने की ओर दिलाया है। यह केन्द्रीय सरकार का विषय है, लेकिन प्रान्तीय सरकार इतना कर सकती है कि जब ७ सालों से इन जिलों की हालत खराब है तो इसलिये उनमें बड़े-बड़े काम किये जायं। वे टस्ट वर्क की शक्ल में हों या रेलवे लाइन वगैरह बनाने की शक्ल में, लेकिन वे होने चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। आजमगढ़ में जब सन् १९०४ में सूखा पड़ा तो बलिया से आजमगढ़ तक रेलवे लाइन बनी थी। बनारस से चनवक घाट दोहरीघाट होते हुये गोरखपुर तक लाइन का सवाल कई वर्षों से विचाराधीन है और एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि इस योजना को केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया गया है। अकबरपुर से आजमगढ़ होते हुये भी एक योजना है और उसे भी केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है। आजमगढ़ से मऊ होते हुये बकसर तक रेलवे लाइन होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार को प्रेस करे कि ये लाइनें जल्द बनाई जावें। इनसे आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, बनारस, फैजाबाद इत्यादि जिलों को तो लाभ होगा ही, बिहार के भी कुछ हिस्सों को लाभ होगा। पूर्वी जिलों में नलकूप लगे ह, चीजें पैदा की जा सकती हैं, किन्तु भेजें कैसे अगर हम कोई दवा या और चीज लेना चाहते हैं तो वह नहीं मिलती है, साग व सब्जी या फल वहां नहीं मिलते हैं, सीमेंट और कोयला भी यातायात के साधन ठीक नहीं होने से वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं। जब हमारे आने जाने के साधन ठीक हो जावेंगे तो हमारी आर्थिक दशा सुधरेगी। अस्थायी योजनायें तो हम चला रहे हैं लेकिन स्थायी हल भी जरूरी है। प्रदेश की सरकार दबाव देगी तो केन्द्रीय सरकार अवश्य मानेगी।

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय मुक्तिनाथ राय जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़, बलिया और बस्ती में सभी जगह रेल है। जैसा उन्होंने कहा, क्या यह सम्भव हो सकेगा, मौजूदा परिस्थितियों में कि वहां दूसरी रेल भी बनाई जा सके जो बक्सर से उन्हें मिला सके? टेस्ट-वर्क्स के लिये १९५७-५८ में शुरू में १७,००,००० रुपया ही रखा था। इसमें टेस्ट-वर्क्स का काम और ग्रैचुईट्स रिलीफ के संबंध में चीज थी, लेकिन पहले अनुपूरक बजट में ९०,००,००० और जोड़ दिया गया। उसके बाद भी १९,००,००० रुपया कन्टिन्जैंसी फंड से लेकर खर्च किया गया जिसमें टेस्ट-वर्क्स पर भी २,५०,००० रुपया लिया गया था। इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि जहां तक टस्ट-वर्क्स का संबंध है, यह देखते हुये कि पूर्वी जिलों में दिक्कत है सरकार हमेशा यह प्रयत्न करती है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाय जिससे उन गरीबों को सहायता देना आवश्यक हो तो टेस्ट-वर्क्स खोले जावें।

माननीय लहरी जी को मैं बतला दूं कि ये २ आवास नहीं हैं, ४ हैं। उन्होंने आवास का प्रश्न उठाया था। जब हमारा १९५६-५७ का बजट आया, उस समय ५०,००० रुपये की लागत के प्रश्न पर विचार किया जा चुका था। अब यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि ६४,००० रुपये की लागत में आवास में रहने का अधिकार होते हुये उन्हें ५५,००० रुपये का आवास दिया जायगा। गिरानी की वजह से ५,००० रुपया अधिक रखा गया है। हर अधिकारी नियुक्ति

[श्री रामस्वरूप यादव]

के स्थान पर अपना मकान नहीं रख सकता और सुचारु रूप से उनका काम चलाने के कारण उन्हें आवास देना आवश्यक है। जैसा उनका भय है, सरकार हर अधिकारी को मकान देने के लिये बाध्य नहीं है और आज भी बहुत से अधिकारी किराये पर मकान ले कर रहते हैं। लखनऊ में तो यह हालत है कि जो अधिकारी यहां सचिवालय में आते हैं उनको महीनों दूसरों के पास ठहरना पड़ता है और ऐसी जगहों पर भी रहना पड़ता है कि जहां पर वे ठीक प्रकार से रह नहीं सकते हैं क्योंकि यहां आवासों की कमी है। अतः उनके लिये ऐसे आवास-गृह बनाये जाने की आवश्यकता है जो उनके उपयुक्त हों। मेरा विचार है कि माननीय लहरी जी को जो यह भ्रम हो गया है, वह ५०-५५ हजार के धन को देख कर हो गया है। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट जो मकान बनाती है वह ऐसे तो बनाती नहीं है कि १०-२० साल में खराब हो जायं। वह तो ऐसे मकान बनाती है जो बहुत बड़े अर्से तक चलें। अतः इस संबंध में उनको ज्यादा भय नहीं करना चाहिये। उनको यह भी गलतफहमी है कि उपमंत्रियों के लिये जो आवास हैं उनमें २०,००० रुपया लगाया जा रहा है लेकिन वह ऐसा नहीं है। उनके लिये ४०,००० की व्यवस्था की गयी है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--नियमों के अनुसार इसको पारित करने के लिये मैं समय की सीमा को बढ़ा सकता हूं, अतः सदन का समय इसको पारित करने के लिये सवा पांच बजे तक बढ़ा दिया जाता है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५८-५९ के लिये ४,०९,८६,६०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग ४,०९,८६,६०० रु० (केवल चार करोड़, नौ लाख छीयासी हजार, छै सौ) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हों।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड परपजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित-निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२	मालगुजारी . .	. .	२,२००	२,२००
५	वन . .	३००	. .	३००
९	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (अधिष्ठान के व्यय को छोड़कर) . .	१,०६,०००	. .	१,०६,०००
१०	सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय	१,१०,०००	२,८००	१,१२,८००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	७५,४००	३,५००	७८,९००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन के कारण व्यय . .	१००	३,२००	३,३००
१६	जेल . .	१००	३००	४००
१७	पुलिस . .	३,३४,६००	. .	३,३४,६००
१८	शिक्षा	६,००,३००	. .	६,००,३००
१९	चिकित्सा . .	९००	. .	९००
२०	जन-स्वास्थ्य . .	२००	. .	२००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और खोज . .	६०,८००	८००	६१,६००
२२	उपनिवेशन . .	. .	९,७००	९,७००
२३	पशु-चिकित्सा . .	. .	१३,३००	१३,३००
२७	उद्योग	१,०००	. .	१,०००
२८	श्रम	३००	. .	३००
३१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं . .	४,५३,२००	. .	४,५३,२००
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) . .	१,५०,०००	. .	१,५०,०००
३५	दुर्भिक्ष सहायता . .	१९,००,०००	. .	१९,००,०००
३७	बुढ़ौती भत्ते तथा पेन्शन . .	१००	. .	१००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड परपजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित-निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३९	विविध परिव्यय . .	६,३१,४००	२५,३००	६,५६,७००
४२	असाधारण व्यय . .	२६,२००	. .	२६,२००
४३	योजना और समन्वय . .	१२,७००	६००	१३,३००
४४	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन	३००	. .	३००
४६	औद्योगिक विकास . .	११,४६,१००	५,७००	११,५१,८००
४७	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत	२,१००	३,८००	५,९००
४९	कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सर्विसों आदि पर पूंजी की लागत . .	४,०५,१००	. .	४,०५,१००
५२	व्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण . .	३,४८,९८,२००	. .	३,४८,९८,२००
	योग . .	४,०९,१५,४००	७१,२००	४,०९,८६,६००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना व खंड १

१९५८ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक

३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (appropriation) का अधिकार देने की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक नाम । १—यह अधिनियम १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामस्वरूप यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सचिव, विधान सभा द्वारा कुछ सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं कुछ सूचनायें देना चाहता हूं । इस सदन में एक तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था और उस संबंध में विधान सभा के सचिव ने जो एक रिपोर्ट दी थी, वह सदन के सामने पढ़ कर सुना दी गई थी । नियमों के अनुसार सब सदस्यों को उसकी एक-एक प्रति मिलनी चाहिये । उसको छपवा कर नियमानुसार बांट देने की मैंने आज्ञा दे दी है । जब वह माननीय सदस्यों को मिल जायगी, तब मैं सदन के सामने उस प्रश्न को रखूंगा । तब सदन जिस रोज चाहेगा और निश्चित करेगा उस दिन उस पर विचार होगा ।

८ सितम्बर की घटना में पुलिस द्वारा अभिकथित ज्यादती की जांच के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरी सूचना यह है कि कुछ सदस्यों ने, जिनमें अवधेशप्रताप जी, मलिखान सिंह जी, रामस्वरूप वर्मा जी, व शिवप्रसाद नागर जी थे, उन्होंने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । लेकिन मैंने उसके ऊपर अपना यह निर्णय दिया था कि विशेषाधिकार का प्रश्न तो उठ नहीं सकता है ; लेकिन अगर कोई ज्यादती वे समझते हैं कि सोशलिस्ट सदस्यों के हटाने से हुई है, उन सदस्यों को बाहर करते वक्त अगर वे समझते हैं कि जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहिये था उससे अधिक का हुआ है और उस विषय में अगर उनकी शिकायत मौजूद है तो उसकी मैं स्वयं जांच करूंगा। इसलिये मैं परसों से २५ तारीख तक इसकी जांच करना चाहता हूं । उसमें इतवार को तो छोड़ देना चाहिये, लेकिन परसों शनिवार को ३ बजे मेरे दफ्तर में माननीय शिवप्रसाद नागर, श्री मलिखान सिंह, श्री अवधेश प्रताप सिंह और रामस्वरूप वर्मा जी अपनी लिखित शिकायत तो मुझको दे चुके है, लेकिन उनका बयान मेरे सामने होना चाहिये ताकि मैं उनसे पूंछ सकूं । सचिव भी वहां मौजूद रहेंगे और मेरे सामने मार्शल भी मौजूद रहेंगे जिसमें वे मुझे सुझाते जायंगे कि कोई प्रश्न पूछना है तो मैं पूछ सकूं । इसमें से श्री शिवप्रसाद नागर तो आजकाल जेल में हैं लेकिन बाहर श्री मलिखान सिंह, श्री अवधेशप्रताप सिंह और श्री रामस्वरूप वर्मा जी हैं । तो मैंने सचिव, विधान सभा, को आज्ञा दी है कि वे उनको सूचित कर दें कि परसों से यदि वे कोई बयान उस सम्बन्ध में मेरे सामने दें तो उचित होगा ।

दूसरी बात, यह भी मैंने आज्ञा दी है कि जो माननीय सदस्य घटना के समय यहां मौजूद हों या दर्शक में से कोई भी व्यक्ति जो यहां पर मौजूद रहा हो मेरे सदन के स्थगित करने के बाद और प्रत्यक्षदर्शी हो, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा हो, वे भी जांच में कोई सहायता देना चाहें तो दे सकते हैं । सहायता देने का मतलब मुझे अपनी सूचना दें । मैं नहीं जानता कि कौन-कौन इस सदन में यहां उस समय उपस्थित रहे, कम से कम वे लोग तो रहे ही होंगे जिन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न स्वयं देखकर ही उठाया होगा, वे तो बयान देंगे ही और उनके अलावा भी जो लोग यहां पर रहे हों, वे भी हमारे सचिव को सूचित कर देंगे कि वे प्रत्यक्षदर्शी

[श्री अध्यक्ष]

हैं और जो कुछ यहां हुआ उसे उन्होंने देखा है और वे अपना बयान मेरे सामने देना चाहते हैं। तो २५ तारीख के बीच में कोई समय उनके लिये भी मैं दे दूंगा और उस विषय में सूचना देने पर किसी निश्चित समय पर मैं उनका बयान भी ले लूंगा। इस तरह से बयान लेने के बाद मेरा उस सम्बन्ध में निर्णय होगा कि क्या-क्या बात हुई और कुछ ज्यादती हुई या नहीं हुई या किस प्रकार की घटना हुई निकालने के सम्बन्ध में। उस विषय में मैं अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रख दूंगा और अपना निर्णय भी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने एक आज्ञा मार्शल को दी और उस आज्ञा के अन्तर्गत उसके निरीक्षण में यहां पर कुछ कार्य किये गये। तो मैं जान सकता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष की आज्ञा के सम्बन्ध में इस तरह की जांच-पड़ताल हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--मैं तो इस बात की जांच कर रहा हूं कि क्या जो यह आक्षेप किया गया है कि शक्ति का जो उपयोग किया गया है वह आवश्यकता से अधिक किया गया है, वह सही है या गलत। मैंने कोई विशेषाधिकार का प्रश्न तो स्वीकार किया नहीं है। उन्होंने तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था लेकिन मैंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। मैंने जो आज्ञा दी थी कि सदस्यों को सदन से बाहर निकालने में कम से कम शक्ति का उपयोग किया जाय उनके निकालने में क्या घटनायें हुईं, उनकी मैं जांच कर रहा हूं। इसमें मुझे ही जांच करनी है, जब मैं स्वयं ही जांच कर रहा हूं तो उसका निर्णय मुझे ही करना होगा। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मेरी आज्ञा देने पर कोई ज्यादती हुई है कि नहीं हुई है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई बात आपत्ति की नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने उस दिन के लिये आज्ञा दी थी कि सदन को खाली कर दिया जाय। आमतौर पर लोगों ने, सदस्यों ने, खाली कर दिया लेकिन कुछ लोग कि प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहां रहे जिनका बयान होगा और आपने आज्ञा दी है कि उनकी गवाही आपके सामने होगी। तो फिर वह आपकी आज्ञा का उल्लंघन समझा जायगा या नहीं समझा जायगा ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन् यह भी बता दें कि आपने अपनी आज्ञा जो दी थी उसको क्या आप रिवाइज करने जा रहे हैं या कैसे उसकी जांच कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--नहीं रिवाइज करने की बात नहीं है। मैंने जो आज्ञा दी थी उसका परिपालन किस तरह से हुआ उसकी जांच कर रहा हूं मैं।

दूसरा जो प्रश्न उठाया माननीय ब्रजविहारी जी मेहरोत्रा ने कि जो उस वक्त प्रत्यक्षदर्शी होंगे वे मेरे सामने कैसे आयेंगे क्योंकि उनके ऊपर इस बात का आक्षेप किया जा सकता है कि मैंने सदन को खाली करने को कहा और उन्होंने खाली नहीं किया। मैंने सदन खाली करने को तत्काल नहीं कहा था। मैंने तो पहले यह कहा था कि मैं सदन को स्थगित करता हूं और सदन को जो छोड़ने की आज्ञा दी थी वह राजनारायण जी को दी थी। जब सदन स्थगित हो जाता है तो आप लोग स्वयं चले जाते हैं। लेकिन उस रोज चूंकि श्री राजनारायण व उनके साथी लोग नहीं गए तो कुछ लोग तमाशा देखने के लिये रह गए होंगे। तो वे जो रह गए होंगे उनको रहने का अधिकार नहीं था ऐसी बात नहीं है। वह इसलिये नहीं रहे थे कि वह मेरी आज्ञा को भंग कर रहे हों, बल्कि जो दूसरे मेरी आज्ञा को भंग कर रहे थे उसको देखने के लिये रहे। उसके बाद मैंने अपने चेम्बर से, मुझे जब मालूम हुआ कि वे नहीं हट रहे हैं, तब गैलरीज वगैरह के खाली करने के लिए कहा था। इस बीच में यहां बहुत सी घटनायें

हुईं । तो मैंने गैलरीज वालों के लिये ही आज्ञा दी थी । माननीय सदस्यों के लिये मैंने यह आज्ञा नहीं दी थी कि सदन उनसे खाली करा लिया जाय । जो सदस्य राजनारायण जी को पकड़े बैठे थे और उनको हटाने में रुकावट डाल रहे थे उनके लिये आज्ञा दी थी कि उनको भी हटा दिया जाय । तो जो लोग दर्शक रह गए सदस्यों में से उनके लिये कोई आक्षेप है ही नहीं । हां, उनके लिये आक्षेप है कि जो राजनारायण जी को पकड़ के बैठ गए हों । तो वे खतरे से खाली नहीं हैं । वे अपने को बचाना चाहें तो बचा जायं । मेरे पास न आयें ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी––मान्यवर, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने आपके आदेश का पालन किया और अब उसकी जांच हो तो क्या उस पर यह प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसने आपकी आज्ञा का पालन किया और....

श्री अध्यक्ष––इस बारे में मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं । मान लीजिये कहीं पर मुख्य अधिकारी ने यह हुक्म दिया कि फलां आदमी को गिरफ्तार कर लो और वह आदमी वहां जाकर उसको गोली मार देता है तो आप कहेंगे कि चूंकि आज्ञा से वह गया था तो गोली मारना भी माफ है, उसकी जांच न की जाय । तो इस तरह की बात नहीं हो सकती । कर्मचारी ने अगर अपने कर्त्तव्य का पालन किया है, अगर कर्त्तव्य का पालन करने में जितनी शक्ति का उपयोग आवश्यक था उतनी ही शक्ति का उपयोग किया है तो उसे कोई दंडित नहीं करेगा । लेकिन जांच कर लेना इसलिये आवश्यक है कि दूसरे लोग चार्ज इस तरह का करते हैं कि जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहिये था उतना न करके किसी को लात मारी, किसी को बूट से मारा, इस तरह का आक्षेप है । तो उसकी जांच कर लेना मेरे लिये आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की बातें करने की आज्ञा मैंने नहीं दी थी । तो जितनी शक्ति का उपयोग आवश्यक था उतनी का ही उपयोग किया गया या उससे ज्यादा का इसकी जांच की जा रही है । यदि ज्यादती नहीं की गयी हो तो कर्मचारियों पर जो आक्षेप हुए हैं उनकी सफाई होकर उनके हित में जांच साबित होगी ।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा––अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा यह हुई थी कि सदन और गैलरी और साथ ही साथ जो आपकी यह लाबीज हैं ये भी खाली कर दी जायं । इसी वक्त यह घटना हुई थी ।

श्री अध्यक्ष––यह तो बहुत देर बाद की बात है । यह तो हमारे सचिव ने बहुत देर में शायद घोषणा की होगी, जिस वक्त लोग हट नहीं रहे होंगे उस वक्त की बात होगी । लेकिन उसके बीच में बहुत सी बातें घट गई थीं ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)––अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि दो घंटे का समय बढ़ाकर के पंडित दीपनारायणमणि जी और मेहरोत्रा जी की सारी शंकाओं का समाधान कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष––जो नहीं । मैं समझता हूं कि यह पन्द्रह मिनट के अन्दर ही बात समाप्त होगी । उसके बाद हम बैठने वाले नहीं हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
१८ सितम्बर, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

रूपकुन्ड में पाये गये मृत मानवी ढांचों के संबंध में लखनऊ विश्व-विद्यालय के मानव-शास्त्र (Anthropology) विभाग के अध्यक्ष डा० डी० एन० मजूमदार की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण

रूपकुंड में पाई वस्तुओं की वैज्ञानिक जांच करने के बाद, डा० डी० एन० मजूमदार के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

१—हड्डियां ६५० वर्ष पुरानी हैं और किसी भी तरफ १५० वर्षों का अन्तर हो सकता है ।

२—हड्डियों से यह पता चलता है कि रूपकुंड की दुर्घटना के शिकार व्यक्ति सजातीय मानव जाति के वंश के थे और उत्तरी-पश्चिमी भारत के लोगों और स्वात और हुन्जा घाटी के लोगों से मिलते-जुलते थे ।

३—पाई हुई अधिकांश वस्तुओं से यह नहीं मालूम होता है कि स्थानीय लोगों, भोटियाओं और गढ़वालियों के मूल से इनकी कोई समानता है ।

४—कुछ खोपड़ियां, जिनके सिर के पिछले भाग के उभरे हिस्से का विकास असाधारण रूप से हुआ था, कदाचित कुलियों की थीं जो मूल में भोटिया हो सकते हैं ।

५—कुछ लोगों को उनकी खोपड़ियों पर चोट पहुंची थी लेकिन वे मरने से पहिले कुछ समय तक जीवित थे ।

६—बालों की परीक्षाओं से पता चलता है कि उनमें से कुछ कैंचियों से काटे गए थे और कदाचित झील में धार्मिक भेंटों के रूप में झोंके गए थे ।

७—फलोरीन (Florine) परीक्षाओं, बालों की बनावट में अन्तर, आपेक्षित भार (Specific gravity) परीक्षाओं और इस तथ्य से कि कुछ हड्डियां गोश्त के साथ लगी हुयी थीं और अन्य विभिन्न मात्राओं में जुड़ी हुई (impregnated) मिली थीं, यह नहीं प्रतीत होता कि सभी हड्डियां एक ही स्तर-कोप (Strata) की हैं और अत्यधिक जुड़ी हुयी हड्डियां और उन हड्डियों में जो गोश्त के साथ पायी गईं समय विरामों (time intervals) में जरूर कोई अन्तर था ।

इन सभी वैज्ञानिक साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति भारत के उत्तरी-पश्चिमी भागों के रहने वाले थे, जिनका नाश लगभग ६०० वर्ष पहिले हुआ था और जो किसी आक्रमणकारी सेना के सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें अपनी तिब्बत की चढ़ाई में खराब मौसम का सामना करना पड़ा और जो प्राकृतिक आपत्तियों द्वारा नष्ट हो गए थे । जो हड्डियां पायी गयीं हैं वे उन हड्डियों की, जो पत्थरों के नीचे दबी हुयी हैं, केवल एक अंश-मात्र हैं और जब तक ये हड्डियां भी निकाल नहीं ली जातीं, कोई ठीक कल्पना नहीं बनायी जा सकती । इस सम्बन्ध में मुहम्मद तुगलक की तिब्बत की चढ़ाई को नहीं भूल सकते, जिसे बड़ी विपदा का सामना करना पड़ा था और जो तिब्बत जाने वाले दर्रों में नष्ट हो गया था । हम हड्डियों के भिन्न समयों के होने की सम्भावना की भी उपेक्षा नहीं कर सकते ; विभिन्न परतों में विभिन्न जमानों की हड्डियां हैं और हाल के मरने वाले भी बहुत पुराने जमाने की हड्डियों में मिल गए हैं जिससे वह रहस्य पैदा हो गया है जो रूपकुंड है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर)

आगरे के टूरिस्ट व्यवसाय को बढ़ाने के लिये पर्यटकों की सुविधा के हेतु राज्य सरकार द्वारा आगरे में एक पर्यटक केन्द्र खोला गया है जिसमें पर्यटन सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचना दी जाती है। मध्यम वर्ग के पर्यटकों के ठहरने की सुविधा के हेतु एक अल्प-आयु सामुदायिक आवास (Low Income Rest House) का निर्माण किया जा रहा है।

२---पर्यटकों की जानकारी के लिये, घरेलू धंधे तथा हस्तकला की कृतियों का दिग-दर्शन कराने का प्रबन्ध ताजमहल के दरवाजे के पास तथा शहर में शो रूम (Show Room) द्वारा जिसमें स्वदेशी चीजें भली भांति सजाई गई हैं, किया गया है।

३---देशी व विदेशी पर्यटकों की प्रार्थना पर उनके ठहरने, रहने तथा घुमाने आदि का प्रबन्ध किया गया है तथा उनकी सूचना के लिये मुख्य मुख्य स्थानों पर आवश्यक सूचना पट्ट लगाये गये हैं। पर्यटकों के भ्रमण के लिये बसों और डीलेक्स कार का भी प्रबन्ध रोडवेज द्वारा कराया गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६५० पर)

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२०। कुछ प्रयोजनों के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२०। यह इष्टकर है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० संशोधित किया जाय :

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १९ का संशोधन। २—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में निम्नलिखित उस खंड के स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"*Explanation*—For the purposes of this proviso, the first term of a member of the Executive Council shall commence after the expiry of the term of his membership at the time of the commencement of this Act."

उद्देश्य तथा कारण

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट अभी हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ द्वारा संशोधित हुआ है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यकारिणी समिति (Executive Council) के बाहरी सदस्यों की आवृत्ति के सम्बन्ध में भी एक उपबन्ध है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में भी उसी प्रकार का उपबन्ध किया गया था, किन्तु विधान मंडल ने यह स्पष्ट करने के लिये कि वह उपबन्ध भविष्य में ही प्रभावी होगा, और भूतलक्षी रूप से नहीं, एक स्पष्टीकरण जोड़ने का निश्चय किया था। उसी तरह का एक उपबन्ध लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अतएव, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० —१७८ एल० ए०—१९५८—८४०।